भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1976-77

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1976-77

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	अनुभाग	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		क
अध्याय I--सरकारी कम्पनियां		
प्रस्तावना	I	1
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ..	II	6
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड ..	III	28
अन्य सरकारी कम्पनियां	IV	47
अध्याय II --सांविधिक निगम		
प्रस्तावना	V	57
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ..		
ओवरा तापीय शक्ति केन्द्र	VI	60
राजस्व की हानि	VII	87
अन्य रोचक विषय	VIII	93
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ..	IX	103
चेसिस का क्रय तथा बस ढांचों का निर्माण।		

परिशिष्ट

परिशिष्ट I --सरकारी कम्पनियों के कार्य-कलापों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण	118
परिशिष्ट II--सांविधिक निगमों के कार्य-कलापों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण	124

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनके लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:—

(i) सरकारी कम्पनियां,

(ii) सांविधिक निगम, और

(iii) विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम ।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सहित सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखा परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा है । विभागों द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा से उपलब्ध परिणामों की चर्चा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में की गई है ।

3. सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरक अथवा परख सम्परीक्षा करने के लिये अधिकृत है । उन्हें व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने अथवा न्यूनता पूर्ति करने का भी अधिकार है । कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में निर्देश देने का भी अधिकार प्रदान करता है । सरकारी कम्पनियों के कार्य के कुछ विशेष पहलुओं को देखने हेतु इस प्रकार के निर्देश लेखा परीक्षकों को नवम्बर 1962 में दिये गये थे । यह निर्देश दिसम्बर 1965 और पुनः फरवरी 1969 में संशोधित किये गये ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही एकमात्र लेखा परीक्षक है जबकि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्त निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के संबंध में उसे संबंधित अधिनियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार तत्सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा से स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है ।

5. इस प्रतिवेदन में वह बातें कही गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखाओं की परख सम्परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई हैं । उनको संबंधित उपक्रमों के वित्तीय प्रबंध पर सामान्यतया न तो आक्षेप करने के आशय से दिया गया है और न ही उनका वैसा कोई अर्थ लिया जावे ।

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग I

1.01. प्रस्तावना

31 मार्च 1977 को राज्य सरकार की 69 कम्पनियां (22 सहायक कम्पनियों सहित) थीं जबकि 31 मार्च 1976 को 57 कम्पनियां (20 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। 69 कम्पनियों में से 57 (18 सहायक कम्पनियों सहित) अपने लेखाओं को प्रति वर्ष 31 मार्च को और 6 कम्पनियां (1 सहायक कम्पनी सहित) 30 जून को, दो सहायक कम्पनियां 31 जुलाई को और तीन कम्पनियां (1 सहायक कम्पनी सहित) 30 सितम्बर को बन्द करती हैं। शेष एक कम्पनी, यथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड अपने लेखाओं को 31 दिसम्बर को बन्द करती है।

1.02. दिसम्बर 1977 तक प्राप्त नवीनतम लेखाओं के आधार पर 33 कम्पनियों (1976-77--27, 1975-76--4 एवं 1974-75--2) के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का सार रूप विवरण परिशिष्ट I में दिया गया है।

1.03. 31 कम्पनियों के लेखे बकाया पड़े हैं (दिसम्बर 1977)। वे कम्पनियां जिनके लेखे दो अथवा दो से अधिक वर्षों से बकाया हैं निम्नलिखित हैं:--

	वर्ष जिसका लेखा बकाया है
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	.. दिसम्बर 1975 और दिसम्बर 1976 .. को समाप्त वर्ष
उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	.. 1975-76 और 1976-77
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	.. 1974-75 से 1976-77
उत्तर प्रदेश स्टेट बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड	.. 1975-76 और 1976-77
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	.. 1975-76 और 1976-77
उत्तर प्रदेश ऐब्सकांट प्राइवेट लिमिटेड	.. 1975-76 और 1976-77
उत्तर प्रदेश पाटरीज प्राइवेट लिमिटेड	.. 1974-75 से 1976-77
उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	.. 1974-75 से 1976-77
उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लाइन्सेज प्राइवेट लिमिटेड	.. 1974-75 से 1976-77
उत्तर प्रदेश रूफिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	.. 1974-75 से 1976-77

कृष्णा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड	..	1973–74 से 1976–77
बुन्देलखंड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	..	1974–75 से 1976–77

दो कम्पनियों के लेखे, यथा हैन्डलूम इण्टैन्सिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड तथा प्लानिंग ऐण्ड मैनेजमेंट कन्सल्टैन्सी एण्ड डाटा सिस्टम्स कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड, जो 1976–77 में निगमित हुई, देय नहीं थे और एक कम्पनी, यथा इन्डियन बौविन कम्पनी लिमिटेड परिसमापनाधीन है ।

1.04. **प्रदत्त पूंजी**

27 कम्पनियों (जिनके लेखे पूर्ण हैं) की प्रदत्त पूंजी का योग 1976–77 के अन्त में 6,043.79 लाख रुपये था । 27 कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की कम्पनियों, नियंत्रक कम्पनियों और निजी संस्थाओं के निवेश का विवरण निम्न प्रकार है :—

कम्पनियों की श्रेणी	संख्या	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार की कम्पनी	नियंत्रक कम्पनियां	निजी संस्थायें	योग
						(लाख रुपयों में)
राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियां	16	5,197.85	..	..	..	5,197.85
सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियां	4	..	..	771.18	..	771.18
राज्य सरकार तथा निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनियां	5	37.73	..	..	26.78	64.51
नियंत्रक कम्पनी और निजी संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	1	..	..	3.00	0.24	3.24
नियंत्रक कम्पनी और केन्द्र सरकार की कंपनी के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनियां	1	..	..	*7.01	..	7.01
योग ..	27	5,235.58	..	781.19	27.02	6,043.79**

*स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 300 रुपये का अंशदान सम्मिलित है ।

**कम्पनियों के लेखाओं के अनुसार आंकड़े ।

राज्य सरकार ने चार पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनियों में जिन्होंने अपने 1975–76 के लेखे प्रस्तुत किये, 160.10 लाख रुपये का निवेश किया ।

उन दो कम्पनियों में, जिन्होंने अपने 1974–75 के लेखे प्रस्तुत किये, निवेश का विवरण निम्न प्रकार था:—

	धनराशि (लाख रुपयों में)
राज्य सरकार	53.30
नियंत्रक कम्पनी	1.77
निजी संस्थायें	1.70

1.05. **लाभ और लाभांश**

1976–77 के दौरान 24 कम्पनियों के क्रिया-कलाप के परिणामस्वरूप कुल 55.30 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ (18 कम्पनियों द्वारा अर्जित 127.35 लाख रुपये का लाभ तथा 6 कम्पनियों को हुई 72.05 लाख रुपये की हानि मिलाकर) जबकि पिछले वर्ष 31 कम्पनियों के क्रिया-कलाप के परिणामस्वरूप 460.32 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई थी । शेष तीन कम्पनियां, जिन्होंने अपने 1976–77 के लेखे तैयार किये, निर्माणाधीन अवस्था में थीं ।

1975–76 की तुलना में 1976–77 के दौरान जिन नौ कम्पनियों ने अपने कार्य-परिणामों में सारभूत सुधार किया उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम	लाभ (+)/हानि (–) 1975–76	1976–77
	(लाख रुपयों में)	
प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड, लखनऊ ..	(+) 11.16	(+) 28.42
उत्तर प्रदेश शैड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस ऐंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ..	(+) 3.55	(+) 5.57
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर्स कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 0.66	(+) 1.96
टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ..	(—) 0.18	(+) 0.19
शारदा सहायक समादेश क्षेत्रीय निगम लिमिटेड	(+) 0.95	(+) 2.39
उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 57.04	(+) 64.00
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	(–) 60.78	(–) 47.59
प्रयाग चित्रकूट कृषि एवम् गोधन विकास निगम लिमिटेड ..	(–) 0.21	(+) 0.92
उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड ..	(+) 0.07	(+) 0.55

1975–76 की तुलना में 1976–77 के दौरान जिन चार कम्पनियों के कार्य-परिणामों में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम	लाभ (+)/हानि (–) 1975–76	1976–77
	(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड ..	(–) 0.15	(–) 1.67
टैलीट्रांनिक्स लिमिटेड ..	(–) 0.70	(–) 1.50
इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	(+) 5.00	(+) 3.48
उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	(+) 19.46	(+) 14.88

उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड ने 1976–77 के दौरान क्रमशः 3.90 लाख रुपये और 0.19 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया जो इनकी कुल प्रदत्त पूंजी (65 लाख रुपये और 7 लाख रुपये) का क्रमशः 6 तथा 3 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त इंडियन टर्पेन्टाइन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड ने 1976–77 के दौरान पिछले वर्ष से संबंधित 1.52 लाख रुपये के लाभांश का भुगतान किया जो इसकी कुल प्रदत्त पूंजी (31 मार्च 1977 को 21.79 लाख रुपये) का 7 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने क्रियाकलाप के प्रथम वर्ष (1975–76) के दौरान 0.43 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया जो इसकी कुल प्रदत्त पूंजी (30.00 लाख रुपये) का 1.4 प्रतिशत है ।

839.66 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी वाली आठ कम्पनियों को कुल 73.35 लाख रुपये की हानि (1976–77: 72.05 लाख रुपये, 1975–76: 0.62 लाख रुपये, 1974–75: 0.68 लाख रुपये) हुई जिसमें से 68.84 लाख रुपये निम्नलिखित तीन कम्पनियों से संबंधित थे:—

नाम		वर्ष	हानि (लाख रुपयों में)
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	..	1976–77	47.59
उत्तर प्रदेश इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	..	1976–77	16.03
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	..	1976–77	5.22

1.06. **गारन्टियां**

सरकार ने 6 कम्पनियों द्वारा लिये गये कुल 3,054 लाख रुपये के ऋण की अदायगी की गारन्टी दी है जिसमें से 31 दिसम्बर 1976 को 2,723 लाख रुपये अदत्त थे । निम्न तालिका सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण दर्शाती है:

कम्पनी का नाम तथा संक्षिप्त विवरण		अधिकतम धनराशि जिसकी गारंटी दी गई*	31 दिसम्बर 1976 को गारंटी दी गई और अदत्त धनराशि* (लाख रुपयों में)
1. प्रदेशीय इंडस्ट्रियल ऐंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड, लखनऊ			
(क) कम्पनी द्वारा निर्गमित 6 1/4 प्रतिशत बांडों के मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान के लिए गारंटी	..	330	321
(ख) कम्पनी द्वारा कार्यान्वित क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए गारन्टी	..	200	14
2. उत्तर प्रदेश स्टेट ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ			
(क) 500 ट्रैक्टर क्रय करने के लिए कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी के लिए भारतीय स्टेट बैंक को दी गई गारन्टी	..	43	11

कम्पनी का नाम तथा संक्षिप्त विवरण	अधिकतम धनराशि जिसकी गारन्टी दी गई*	31 दिसम्बर 1976 को गारंटी दी गई और अदत्त धनराशि* (लाख रुपयों में)
(ख) उर्वरकों की खरीद हेतु लिये गये ऋण की अदायगी और उन पर ब्याज के भुगतान के लिए व्यावसायिक बैंकों को दी गई गारन्टी	925	925
3. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ		
पुलों के निर्माण हेतु लिये गये ऋणों की अदायगी और उन पर ब्याज के भुगतान के लिए व्यावसायिक बैंकों को दी गई गारन्टी ..	395	347
4. उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ		
(क) कैश क्रेडिट सुविधाओं के लिए दो व्यावसायिक बैंकों को दी गई गारन्टी ..	469	469
(ख) कम्पनी द्वारा नियंत्रित चीनी मिलों को दिये गये ऋणों के लिए व्यावसायिक बैंकों को दी गई गारन्टी ..	167	139
(ग) ऋण की अदायगी और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया को दी गई गारन्टी (किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड) ..	135	135
5. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, कानपुर ऋण की अदायगी और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक को दी गई गारन्टी	378	350
6. उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रेल भाड़े के भुगतान हेतु क्रेडिट नोट-सह-चेक सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड को दी गई गारन्टी	12	12

इसके अतिरिक्त राज्य में कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (ख) के अन्तर्गत आने वाली दो कम्पनियां यथा स्टील ऐंड फास्टनर्स लिमिटेड तथा अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड थीं जिनकी 22 अक्तूबर 1976 और 31 अक्तूबर 1976 को कुल प्रदत्त पूंजी 209.78 लाख रुपये थी जिसमें से 123.96 लाख रुपये राज्य अथवा केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों के थे । इन दो कम्पनियों के 1975–76 के कार्यकलापों में 10.03 लाख रुपयों की शुद्ध हानि दिखलाई गई।

*धनराशियां 1976–77 के वित्त लेखाओं के अनुसार।

अनुभाग II

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

2.01. प्रस्तावना

प्रदेश में कृषि विकास करने तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का बराबर-बराबर अंशदान की हुई 5 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी से, मार्च 1967 में की गई ।

इस कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:—

(क) उत्तर प्रदेश के कृषि औद्योगिक विकास को बढ़ाने अथवा अग्रसर करने के लिए संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों, कलपुर्जों, औज़ारों और सामानों, इत्यादि के निर्माण अथवा उत्पादन के कृषि-उद्योगों, प्रायोजनाओं अथवा उपक्रमों अथवा कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना, उनके कार्य में मदद करना, उनका प्रारम्भ अथवा उनकी स्थापना करना तथा उनका विकास अथवा निष्पादन करना; और

(ख) कृषि उद्योगों तथा उनसे संबंधित क्रियाकलापों के हितों को सहायता प्रदान करना, परामर्श देना, उनके कार्य में मदद अथवा वित्त प्रदान करना या बढ़ाना ।

2.02. क्रियाकलाप

इस कम्पनी ने अपने को मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाकलापों तक ही सीमित रखा है :—

(क) नकद अथवा किराया-क्रय पद्धति के आधार पर ट्रैक्टरों की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी के पूर्व ट्रैक्टरों की सर्विसिंग;

(ख) ट्रैक्टरों के फुटकर पुर्जों को गढ़ना अथवा उनका निर्माण करना तथा कृषि संबंधी उपकरणों का उत्पादन करना;

(ग) रासायनिक उर्वरकों और कीट नाशकों का वितरण ;

(घ) विक्रयोपरान्त सर्विस प्रदान करना और कृषि सर्विस केंद्रों की स्थापना करके मरम्मत की सुविधा प्रदान करना तथा लघु कृषकों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, इत्यादि किराये पर भी देना;

(ङ) खाद्य पदार्थों के निर्माण के कारखानों और शीतागार की स्थापना; और

(च) मवेशियों और मुर्गियों के लिये विभिन्न प्रकार के चारों का उत्पादन करना ।

प्रारम्भ में कम्पनी ने अर्धनिर्मित अवस्था में प्राप्त ट्रैक्टरों का संयोजन एवं उनके वितरण का कार्य तथा कृषि मशीनों और उपकरणों का निर्माण करने और उन्हें नकद/किराया-क्रय पद्धति के आधार पर बेचने का कार्य हाथ में लिया । कम्पनी की संयोजन कर्मशाला में अर्धनिर्मित अवस्था के ट्रैक्टरों का आयात रुक जाने के कारण 1971–72 से ट्रैक्टरों के संयोजन का काम बन्द कर दिया गया, तब इसने कृषकों के पुराने ट्रैक्टरों के पुनर्नवीकरण तथा उनकी मरम्मत का काम प्रारम्भ कर दिया ।

अक्तूबर 1969 से कम्पनी ने राज्य सरकार के आदेशों पर कृषकों को उर्वरक के वितरण करने का कार्य भी हाथ में ले लिया , जिसमें उर्वरकों के आवंटन, विक्रय मूल्य निर्धारण और विक्रय विधि निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश निर्धारित किये गये थे । इस कार्य को करने के लिये कम्पनी का अधि-मूल्य (मार्जिन) इस तरह निर्धारित किये गये विक्रय मूल्य में शामिल था । किन्तु वितरण लागत

बढने के कारण उपलब्ध अधिमूल्य (मार्जिन) की राशि क्रमशः घटती गई। वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान कम्पनी को इस कार्य में क्रमशः 51.55 लाख रुपये, 95.33 लाख रुपये और 56.00 लाख रुपयों की हानि हुई।

स्थानीय कृषि उत्पादकों के उत्पादनों की खपत करके उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा रामगढ़ (नैनीताल) और कायमगंज (फर्रुखाबाद) में स्थापित खाद्य निर्माण कारखाने क्रमशः 1968–69 और 1969–70 में कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिये गये। 1976–77 के अन्त में कम्पनी के प्रोसेस्ड फूड डिवीजन में 62.39 लाख रुपये की सकल पूंजी के निवेश के सात फल सम्साधन के कारखाने, एक मसाला कारखाना तथा तीन पैकिंग केस कारखाने थे। अधिप्राप्ति, उत्पादन तथा उसके विपणन के क्रियाकलापों में समुचित समन्वय का अभाव होने के कारण 31 मार्च 1976 तक इस डिवीजन को हुई कुल संग्रहीत हानि 62.11 लाख रुपये की थी। 18.85 लाख रुपये मूल्य के फल उत्पादन और मसालों का पुराना अन-बिका भण्डार मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो गया।

कम्पनी ने अप्रैल 1974 में संतुलित पशुधन आहार का उत्पादन प्रारम्भ किया।

2.03. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध निदेशकों के एक मंडल में निहित है जिसका प्रधान एक अध्यक्ष होता है। कम्पनी में एक प्रबन्ध निदेशक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 12 अंशकालिक निदेशक और भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक निदेशक हैं। विभिन्न मंडलों के सामान्य प्रबन्धक रोजमर्रे के प्रशासन में प्रबन्ध निदेशक की सहायता करते हैं। लेखाओं के रख-रखाव तथा वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिये कम्पनी का मुख्य लेखा अधिकारी तथा वित्त परामर्श दाता जिम्मेदार है।

2.04. पूंजी ढांचा

कम्पनी की अधिकृत पूंजी, जो इसके निगमन के समय पर 5 करोड़ रुपये थी, 1974–75 के दौरान बढ़ाकर 8.50 करोड़ रुपये कर दी गई। 31 मार्च 1977 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 6.32 करोड़ रुपये थी जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार का बराबर-बराबर योगदान था।

2.05. उधार (बारोइंग्स)

(क) कम्पनी ने राज्य सरकार से समय-समय पर दीर्घ-कालीन ऋण लिये जिनका विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष जिसमें ऋण लिया गया	लिया गया ऋण	अदा किया गया ऋण	वर्ष के अन्त में कुल शेष ऋण (लाख रुपयों में)
1973–74 ..	2.25	..	37.55 (इसमें पिछले वर्षों में लिये गये ऋणों की 35.30 लाख रुपयों की धनराशि सम्मिलित है)
1974–75 ..	28.01	1.96	63.60
1975–76 ..	..	8.54	55.06

(ख) 1970-71 के दौरान कम्पनी ने, सरकार की जमानत पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड से 36.54 लाख रुपयों की आस्थगित उधार (डेफर्ड क्रेडिट) सुविधायें उपलब्ध कीं। इस सम्बन्ध में बकाया दायित्व 31 मार्च 1976 को 12.92 लाख रुपये का था। आस्थगित

उधार सुविधायें ट्रैक्टरों की खरीद के लिये उपलब्ध की गई थीं और इस पर 1975–76 तक भुगतान की गई तथा 31 मार्च 1976 को बकाया ब्याज की राशि क्रमशः 4.12 लाख रुपये तथा 0.63 लाख रुपये थी ।

(ग) इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से सुरक्षित (सिक्योर्ड) ऋण भी लिये थे जिनकी 31 मार्च 1976 को बकाया धनराशि 339.11 लाख रुपये थी । 1975–76 तक तीन वर्षों के दौरान भुगतान किया गया ब्याज निम्न प्रकार था:—

(लाख रुपयों में)

1973–74	12.87
1974–75	36.06
1975–76	63.17

2.06. वित्तीय स्थिति

1975–76 तक तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत संक्षेप में कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित सारिणी में दी गई है:—

	1973–74	1974–75	1975–76
दायित्व			(लाख रुपयों में)
प्रदत्त पूंजी (अंश पूंजी पर अग्रिम सम्मिलित करते हुए)	500.00	570.00	632.00
रिजर्व तथा आधिक्य (सरप्लस) ..	51.17	13.60	12.18
ऋण			
(i) राज्य सरकार से ..	37.55	63.60	55.07
(ii) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से (अस्थगित कालीन दायित्व)	22.38	17.65	12.92
(iii) बैंकों से (कैश क्रेडिट) ..	41.04	355.21	339.11
व्यापारिक देयता तथा अन्य चालू दायित्व (प्राविधानों समेत) ..	484.58	613.20	670.54
योग ..	1,136.72	1,633.26	1,721.82
परिसम्पतियां			
सकल अचल सम्पत्तियां (ग्रास ब्लाक) ..	139.19	172.16	185.28
घटाया—ह्रास	51.02	66.38	75.13
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां ..	88.17	105.78	110.15
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य ..	16.11	38.08	30.85
चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम ..	1,031.75	1,468.72	1,426.25
विविध व्यय ..	0.69	0.82	0.31
संग्रहीत हानि ..	..	19.86	154.26
योग ..	1,136.72	1,633.26	1,721.82
लगाई गई पूंजी ..	638.21	965.29	868.63
शुद्ध मूल्य ..	550.48	562.92	489.61

टिप्पणी : 1. लगाई गई पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्ति (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) तथा कार्यरत पूंजी के योग को दर्शाती है ।

2. शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा अरक्षित निधियों के योग से अदृश्य सम्पत्तियों को घटा कर निकाला गया है ।

2.07. कार्य-कलाप के परिणाम

निम्नलिखित सारणी में 1975-76 तक के तीन वर्षों के कम्पनी के कार्य-कलापों के परिणाम संक्षेप में दिये गये हैं:—

	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
(क) कर के पूर्व लाभ (+)/हानि (–) ..	(+) 47.68	(–) 55.96	(–) 138.01
कर तथा विकास छूट आरक्षण के लिये प्राविधान ..	27.16	1.45	0.78
कर तथा विकास छूट आरक्षण के प्राविधान के उपरान्त लाभ	(+) 20.52	(–) 57.41	(–) 138.79
किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत विक्रय व की गई सेवाओं से आय और शीतागार के किराये को सम्मिलित करते हुए विक्रय ..	2,268.25	1,826.55	1,891.81
व्यवसाय का मूल्य	2,347.34	2,239.50	1,799.29

2.08. विभिन्न डिवीजनों के कार्य-कलाप

उर्वरक डिवीजन

राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर 1969 में लिये गये एक निर्णय के अनुसार कम्पनी ने उर्वरकों की अधिप्राप्ति तथा उसके वितरण के व्यवसाय को अक्टूबर 1969 में अपने हाथ में ले लिया। 1973–74 तक 2,502 पंजीकृत निजी व्यवसाइयों के माध्यम से बिक्री की जाती रही। जून 1973 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि उक्त निजी व्यवसाइयों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाये और उर्वरकों का वितरण कार्य कम्पनी के ही कर्मचारियों द्वारा फुटकर विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जाये। तद्नुसार कम्पनी ने पहली अप्रैल 1974 से निजी व्यवसाइयों की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त कर दी और राज्य भर में 360 फुटकर बिक्री केन्द्रों तथा 150 मौसमी केन्द्रों की स्थापना की किन्तु फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने के लिए कम्पनी को सरकार द्वारा अतिरिक्त अधिमूल्य नहीं दिया गया।

(क) उर्वरकों का क्रय और विक्रय

निम्नलिखित सारणी में 1973–74 से 1975–76 के वर्षों के दौरान उर्वरकों के आवंटन, क्रय और विक्रय की स्थिति दर्शाई गई है:—

	1973–74	1974–75	1975–76
		(मैट्रिक टनों में)	
आवंटन	2,16,058	1,50,118	1,96,277
क्रय	1,94,029	94,238	86,393
प्रारम्भिक रहतिया	19,394	16,133	35,450
निर्मित रहतिया	2,13,423	1,10,371	1,21,843
विक्रय	1,97,290	74,921	84,075

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1977) कि आवंटन की तुलना में कम माल उठाने के मुख्य कारण भण्डार के भारी शेष, मांग का अभाव और साधनों के अभाव थे ।

1974–75 और 1975–76 के दौरान उर्वरकों के विक्रय में गिरावट के निम्नलिखित कारण प्रबन्धकों ने बताये (जून 1977) :—

(i) खुले बाजार में उर्वरकों की अधिक उपलब्धता,

(ii) उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के अनुरूप कृषि उत्पादनों के मूल्यों में वृद्धि न होना,

(iii) व्यापारियों को थोक बिक्री करने के स्थान पर फुटकर विक्रय केन्द्रों के माध्यम से बिक्री,

(iv) उर्वरकों की बिक्री को कृषकों से उनसे गेहूं की अधिप्राप्ति के साथ सम्बद्ध करना (अप्रैल 1974 से जुलाई 1974) तथा परमिट, इनपुट कार्ड और जोत बहियों के आधार पर बिक्री (जुलाई से नवम्बर 1974), और

(v) कृषकों के लिये उधार की सुविधा न होना ।

(ख) कार्य-कलाप के परिणाम

1973–74 से 1975–76 के दौरान उर्वरकों के व्यापार के परिणाम निम्नलिखित थे :—

विवरण	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
प्रारम्भिक रहतिया	162.21	140.02	537.15
क्रय	1720.69	1529.08	1399.70
स्थापना प्रभार	18.55	31.23	34.50
गोदाम किराया	7.66	7.98	8.62
ब्याज	9.03	28.17	50.64
अन्य ऊपरी व्यय	8.71	17.62	9.62
मुख्यालय व्यय	..	4.16	3.17
योग	1926.85	1758.26	2043.40
बिक्री	1842.34	1169.57	1453.54
अन्तिम रहतिया	140.03	537.14	494.53
योग	1982.37	1706.71	1948.07
लाभ (+)/हानि (–)	(+)55.52	(–)51.55	(–)95.33

वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में उर्वरकों के व्यापार में क्रमशः 1.17 लाख रुपये, 9.29 लाख रुपये और 14.88 लाख रुपयों का लाभ हुआ था ।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि 1974–75 और 1975–76 में हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(i) कम्पनी की फुटकर दुकानों से कम बिक्री,

(ii) स्थापना, डिपों का किराया, परिवहन व्यय, तथा अन्य ऊपरी खर्चों में वृद्धि,

(iii) ब्याज की दर तथा बैंकों से लिये गये ऋण में वृद्धि,

(iv) 'नान-पूल्ड' उर्वरकों के मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप प्राप्तियों में हुई गिरावट (16.98 लाख रुपये 1974–75 तथा 38.95 लाख रुपये 1975–76 में) की प्रतिपूर्ति न होना तथा 'पूल्ड' उर्वरकों के मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप होने वाले दावों की प्रतिपूर्ति में विलम्ब, और

(v) वितरण गुंजाइश (मारजिन) का अपर्याप्त होना।

इसके अतिरिक्त प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1977) कि 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान ब्याज व्यय के अधिक भार होने के मुख्य कारण, ब्याज दर में वृद्धि तथा उर्वरकों के क्रय मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप अत्याधिक उधार लेना थे।

बेचे गये प्रति मैट्रिक टन उर्वरकों पर हुआ स्थापना व्यय 1973–74 में 9 रुपये था जबकि इसकी तुलना में 1974–75 और 1975–76 में यह बढ़कर क्रमश: 42 रुपये तथा 41 रुपये हो गया।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि 1974–75 से पूर्व कम्पनी उर्वरकों की खरीद मांग के अनुसार किया करती थी और वे मौसम के दौरान यह अपने पास भारी भण्डार नहीं रखती थी। इसके अलावा, निजी व्यवसाइयों के माध्यम से बढ़ी बिक्री के कारण उनका लगभग 40 लाख रुपया बतौर जमानत के कम्पनी के पास पड़ा रहता था जिससे न केवल कम्पनी के पास उपलब्ध द्रव्य में वृद्धि होती थी बल्कि उससे ब्याज का भार भी कम होता था। चूंकि व्यवसाई उर्वरक सीधे रेल से ही उठा लिया करते थे, कम्पनी को स्थानीय परिवहन, माल उठाने धरने तथा उसके भण्डारण पर कोई व्यय नहीं करना पड़ता था।

(ग) उर्वरकों का परिवहन/दावे

(i) भारत सरकार द्वारा आवंटित कोटे पर बन्दरगाहों से प्राप्त आयातित (पूल्ड) उर्वरक के मामले में गन्तव्य स्थान तक परिवहन व्यय का भुगतान आपूर्तिकर्ता अर्थात्, भारतीय खाद्य निगम (भा0 खा0 नि0) द्वारा किया जाना था। 1971–72 से 1973–74 के दौरान वैगनों की कमी के कारण 'पूल्ड' उर्वरकों की आपूर्ति की व्यवस्था निर्दिष्ट रेल-स्थानों तक ही की गई और भा0खा0नि0 ने उन रेल-स्थानों से गन्तव्य रेल–स्थानों तक का परिवहन व्यय वहन करना स्वीकार किया। भारत सरकार द्वारा किये गये आवंटनों के अनुसार उर्वरकों के सड़क द्वारा बिक्री केन्द्रों तक परिवहन पर कम्पनी ने 1971–72 से 1973–74 तक की वर्षों के दौरान 0.94 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। भारत सरकार तथा भा0खा0नि0 को प्रस्तुत किये गये इस धनराशि के दावों की प्रतिपूर्ति होनी बाकी थी (दिसम्बर 1977)।

इस प्रकार, 'पूल्ड' उर्वरकों को सिथिल दशा में अमानक बोरियों में कम्पनी को भेजने के फलस्वरूप हुई भारी कमी के कारण कुल 1.42 लाख रुपयों के दावे भा0 खा0 नि0 के पास 1975–76 के अन्त तक निपटारे के लिये पड़े थे। दावों का निपटारा होना बाकी है (दिसम्बर 1977)।

(ii) 'पूल्ड' उर्वरकों के मूल्य में घटोत्तरी के कारण कम्पनी के द्वारा भारत सरकार के पास 59.68 लाख रुपये के कुल दावे जून 1977 तक प्रस्तुत किये गये। 18 जुलाई 1975 से मूल्य में घटोत्तरी किये जाने के कारण जून 1976 में प्रस्तुत किये गये 15.30 लाख रुपये के दावों का निपटारा होना बाकी था (दिसम्बर 1977)।

(iii) कम्पनी के कर्मचारियों से वसूल होने वाली उर्वरकों तथा नगदी में कमी (खयानत के मामलों सहित) का योग 31 मार्च 1976 को 13.04 लाख रुपये था। मार्च 1977 तक, 1.93 लाख रुपये दोषी पाये गये कर्मचारियों से वसूल हो चुका था।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि अदालत में अथवा पुलिस/सतर्कता जांच के अन्तर्गत 8.68 लाख रुपये के खयानत, आदि के मामले पड़े थे तथा अनुमत सीमा से अधिक

की 4.26 लाख रुपये की शेष कमियों में से, सम्बन्धित कर्मचारियों से 1.93 लाख की वसूली की जा चुकी थी ।

इनमें से कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :--

1973-74 के लेखाओं का समापन करते समय (जून 1974) सहायक बिक्री अधिकारी, गाजीपुर द्वारा 2.93 लाख रुपये की नगदी तथा 1.03 लाख रुपये मूल्य का 91.159 मैट्रिक टन उर्वरक हिसाब में नहीं लिया गया । कम्पनी के उप-मुख्य लेखा अधिकारी के अनुसार, जिन्होंने मामले की जांच की, लेखाकार और शाखा प्रबन्धक द्वारा बिक्री कार्यालय के लेन-देन पर नियंत्रण रखने में ढिलाई बरतने के कारण, नकद बिक्री की प्राप्तियों को रोकड़-बही में दर्ज किये बिना, तथा बिक्री की धनराशि को कम जमा करने या बिलम्ब से जमा करने के कारण खयानत में सुविधा मिली । प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1977) कि विभागीय जांच पूरी होने पर सहायक बिक्री अधिकारी, गाजीपुर की सेवायें सितम्बर 1977 में समाप्त कर दी गई थी और यह कि राज्य सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी ।

सहायक बिक्री अधिकारी, देहरादून ने कम्पनी के निर्देशों (मई 1970) के खिलाफ अक्टूबर और नवम्बर 1971 में एक व्यापारी को 0.61 लाख रुपये मूल्य की 71.5 मैट्रिक टन उर्वरक उधार बेची । खरीददार ने नवम्बर 1971 में 0.18 लाख रुपये अदा किये किन्तु शेष रकम (0.43 लाख रुपये) का भुगतान नहीं किया । नवम्बर 1972 में कम्पनी द्वारा उस फर्म तथा सहायक बिक्री अधिकारी के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया । अदालत ने सहायक बिक्री अधिकारी के खिलाफ खर्च सहित 0.46 लाख रुपयों की डिग्री मंजूर की (अगस्त 1975); व्यापारी को उर्वरक की सुपुर्दगी प्रमाणित नहीं की जा सकी । सहायक बिक्री अधिकारी की सेवायें 2 जुलाई 1975 को समाप्त कर दी गई और अक्टूबर 1975 में डिक्री निष्पादन का एक मुकदमा दायर किया गया । डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सका (दिसम्बर 1977) क्योंकि उक्त कर्मचारी के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी ।

1972-73 में सहायक बिक्री अधिकारी, रामपुर ने 0.40 लाख रुपयों के मूल्य की उर्वरक की चोरी सूचित की किन्तु चोरी प्रमाणित नहीं की जा सकी । उस अधिकारी की सेवायें जून 1975 में समाप्त कर दी गई । इस राशि की न तो वसूली हुई है और न हीं बट्टे खाते में डाला गया है (दिसम्बर 1977) ।

भारतीय खाद्य निगम ने 31 दिसम्बर 1973 को 0.55 लाख रुपये मूल्य की आयातित यूरिया के 1,030 बोरे (5224 मैट्रिक टन) बम्बई से फैजाबाद भेजे । कम्पनी के फैजाबाद स्थित शाखा प्रबन्धक को संबंधित रेल रसीद 10 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई । रेल अधिकारियों के अनुसार कम्पनी के सहायक बिक्री अधिकारी को परेषण की सुपुर्दगी 20/21 जनवरी 1974 को दे दी गई थी और रेलवे अनलोडिंग बुक पर उसके हस्ताक्षर ले लिये गये थे, यद्यपि सम्बन्धित रेल रसीद उपलब्ध नहीं थी । कम्पनी ने 0.55 लाख रुपये का दावा किया (मई 1974) जो रेलवे द्वारा नामंजूर कर दिया गया (सितम्बर 1974)। सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में एक मुकदमा रेलवे के विरुद्ध दायर किया गया (दिसम्बर 1976); अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

कम्पनी के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने सूचित किया (अक्तूबर 1974) कि फर्टि-लाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के द्वारा 1973-74 के दौरान आपूर्ति की गई 41.29 मैट्रिक टन देशी यूरिया 1973-74 और 1974-75 के दौरान 2,070 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से बेची गई थी जबकि सहायक बिक्री अधि-

कारी द्वारा बिक्री 1,087.07 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से दर्ज की गई थी। इसी प्रकार उसी सहायक बिक्री अधिकारी द्वारा जुलाई-सितम्बर 1974 के दौरान 1,273 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से बेची गई 6.27 मैट्रिक टन उर्वरक की बिक्री कम्पनी के खाते में 703.80 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से दर्ज की गई। ये मामले वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा सामान्य निरीक्षण के दौरान पकड़े गये। बिक्री के इस प्रकार कम दर्ज किये जाने से कम्पनी को 0.48 लाख रुपयों की हानि हुई।

P 15

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि सहायक बिक्री अधिकारी की सेवायें जुलाई 1975 में समाप्त कर दी गई थीं तथा अदालत के माध्यम से धनराशि की वसूली का प्रस्ताव विचाराधीन था।

सेवा मण्डल

कम्पनी के कस्टम सेवा केन्द्र (1976–77 के अन्त तक 53) उन कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो स्वयं ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों को रखने में समर्थ नहीं है। ये कस्टम सेवा केन्द्र मुख्यतया ट्रैक्टरों से कृषि-भूमि को जोतने, फसल की कटाई करने, भूमि को समतल करने, उत्पादन की मड़ाई करने और उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने जैसे कार्य किराये पर करते हैं। ये केन्द्र ट्रैक्टरों की मरम्मत और उनके फुटकर पुर्जे बेचने का भी कार्य करते हैं। सेवा मण्डल गोबर गैस प्लाण्ट के निर्माण (और उनके स्थापन), तथा बैलगाड़ियों और अन्य भण्डारण के लिये धानी के निर्माण का कार्य भी करता है।

(क) कार्य-कलाप के परिणाम

इस मण्डल को जहां 1972–73 में 1.83 लाख रुपये का लाभ हुआ वहां इसे 1975–76 में 2.67 लाख रुपये, 1974–75 में 13.10 लाख रुपये तथा 1973–74 में 4.56 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1976) कि मण्डल को 1975–76 में हानि अंशतः यू0पी0 स्टेट कोआपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के अनुरोध पर कृषकों को पम्प सेट वितरित करने के लिये केन्द्रों की स्थापना पर 3.33 लाख रुपये के प्रारम्भिक व्यय करने के कारण हुई तथा यह 2.69 लाख रुपये की उस आय से वंचित हो गया, जो यह अर्जित करता यदि यह योजना इसे सौंपी न जाती।

(ख) दावे

ट्रैक्टरों अथवा फुटकर पुर्जों के आयात करने के संबंध में सीमा तथा पत्तन प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क की वापसी के लिये तथा बीमा कम्पनियों, शिपिंग कम्पनियों और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड से माल की मार्ग हानियों, कमियों, क्षतियों, इत्यादि के लिये कम्पनी तथा इसके निकासी एजेंट द्वारा 1975–76 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत किये गये दावों की स्थिति निम्नलिखित थीं :

	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
प्रारम्भिक शेष	6.85	11.22	16.94
जोड़ा–वर्ष के दौरान प्रस्तुत दावे ..	8.95	9.18	0.46
योग ..	15.80	20.40	17.40
घटाया–वर्ष के दौरान निपटाये गये दावे			
(i) वसूली द्वारा	4.13	3.06	1.98
(ii) अस्वीकृति द्वारा ..	0.45	0.40	0.60
	4.58	3.46	2.58
अंतिम शेष ..	11.22	16.94	14.82

250 रूमानी ट्रैक्टरों के आयात के लिये कम्पनी द्वारा 1970 में एक आयात लाइसेन्स स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एस0 टी0 सी0) से प्राप्त किया गया। बम्बई के लिये बुक किये गये 80 ट्रैक्टरों को, कथित लेबर ट्रबुल बम्बई बन्दरगाह पर होने के कारण कलकत्ता की ओर उन्मुख कर दिया गया। उन्मुख किया गया परेषण 2 फरवरी 1971 को कलकत्ता पहुंचा। किन्तु पोत परिवहन प्रलेख लखनऊ में कम्पनी के मुख्यालय पर 9 फरवरी 1971 को प्राप्त हुए। तथापि, सुपुर्दगी नवम्बर 1971 में ली जा सकी। इसके अलावा परेषण का सर्वेक्षण, जो माल के बन्दरगाह पर उतरने के 3 दिनों के अन्दर किया जाना था, नहीं किया जा सका जिसका कारण यह बताया गया कि सम्बन्धित प्रलेख स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा देर से भेजे गये थे। निकासी एजेन्ट द्वारा 0.29 लाख रुपये मूल्य की कमियां और क्षतियां पाई गई और बन्दरगाह प्राधिकारी के पास जनवरी 1972 में दावा दायर किये गये।

बातचीत के बाद समझौते के आधार पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन 50:50 के आधार पर दावे को निपटाने के लिये सहमत हो गया (सितम्बर 1974) किन्तु यह कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अगस्त 1975 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने समझौता का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और दावे को अस्वीकार कर दिया। फरवरी 1977 में निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया कि, जैसाकि प्रारम्भ में प्रस्ताव किया गया था, दावे को 50:50 के आधार पर निपटाने के लिये एस0 टी0 सी0 के साथ पुनः बातचीत की जाय। दावे का अन्तिम निपटारा प्रतीक्षित था (दिसम्बर 1977)।

(ग) पम्प सेटों की स्थापना तथा उनका वितरण

यू0 पी0 स्टेट कोआपरेटिव लैंडडेवलपमेंट बैंक लिमिटेड नें चुने हुए 14 जिलों में इंजिनों और पम्प सेटों की स्थापना की एक योजना के कार्यान्वयन के लिये कम्पनी से प्रस्ताव किया (मार्च 1975)। प्रस्ताव के अनुसरण में कम्पनी नें अप्रैल से जून 1975 के बीच में नौ सर्विस स्टेशन खोले और उनके लिये अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। किन्तु बैंक ने कम्पनी को काम नहीं दिया। कम्पनी नें केन्द्रों की स्थापना, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, इत्यादि पर 3.33 लाख रुपये व्यय किये।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी को 2.69 लाख रुपये की उस आय से भी वंचित होना पड़ा जो इसे मड़ाई के काम से अर्जित होती यदि यह योजना इसे सौंपी न जाती।

कम्पनी ने बैंक को 6.02 लाख रुपयों की प्रतिपूर्ति के लिये एक नोटिस दिया (सितम्बर 1975)। दोनों दलों की सहमति से मामले पर गौर करके निर्णय देने के लिये रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, को नियुक्त किया गया है (सितम्बर 1976)। निर्णय की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

(घ) हार्वेस्टर कम्बाइनों तथा बुलडोजरों का कार्य

(i) कृषकों को फसल कटाई और मड़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिये कम्पनी ने 1971–72 में 2.59 लाख रुपये मूल्य के राज्य सरकार के कृषि विभाग से दो हार्वेस्टर कम्बाइन खरीदे। प्रत्येक कम्बाइन से यह आशा की गई थी कि वह फसल कटाई के मौसम में औसतन 2.25 एकड़ प्रति घण्टा के हिसाब से 500 कार्य-घण्टों में प्रतिवर्ष 1,125 एकड़ भूमि की फसल काटेगा। इन मशीनों का वास्तविक निष्पादन निम्नलिखित था:—

	1974–75	1975–76	1976–77
फसल काटी गई (एकड़ में)	470	407	225
अर्जित आय (लाख रुपयों में)	0.59	0.43	0.27

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1977) कि आयातित हार्वेस्टर कम्बाइनों के फुटकर पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण ये फसल कटाई के मौसम में लगातार कार्य नहीं कर सके ।

(ii) 1974–75 के दौरान कम्पनी ने 4.55 लाख रुपयों की लागत से दो बुलडोजर खरीदे। इन बुलडोजरों ने प्रारम्भ में लगभग 300 घण्टे कार्य किया और 1974–75 के दौरान इनसे 0.37 लाख रुपयों की कस्टम आय हुई । उसी वर्ष के दौरान बुलडोजर चलाने वाले कानपुर सर्विस स्टेशन को 1.41 लाख रुपयों की हानि हुई। अप्रैल 1975 से सितम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान इन्होंने 290 घंटे कार्य किया और 0.30 लाख रुपये की कस्टम आय अर्जित की । इसके पश्चात इन बुलडोजरों को पन्तनगर सर्विस स्टेशन (नैनीताल) को स्थानान्तरित कर दिया गया (अक्तूबर 1975), जहां अक्तूबर 1975 से मार्च 1976 तक की अवधि के दौरान इन्होंने 2,554 घंटे कार्य किया (कस्टम आय 2.81 लाख रुपये हुई) । पन्तनगर में बुलडोजर चलाने से 0.45 लाख रुपये का लाभ हुआ बताया गया । 1976–77 के दौरान इन बुलडोजरों ने 2,555 घंटे कार्य किया; कस्टम आय 2.81 लाख रुपये हुई ।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1977) कि कृषि विभाग द्वारा पर्याप्त कार्य का आश्वासन मिलने के आधार पर बुलडोजर खरीदे गये थे जो कि सारभूत नहीं हुआ और इसलिए बुलडोजरों को योजना के अनुसार निरंतर कार्यरत नहीं रखा जा सका ।

(ङ) कमियां तथा खयानत

वर्ष 1972–73 के दौरान गोरखपुर सेवा केन्द्र के स्टोर कीपर तथा सर्विस इंजीनियर के खिलाफ कुल 0.21 लाख रुपये मूल्य की नगदी और सामग्री को लेखाओं में न लिये जाने/कम लिये जाने के मामले कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा सैल द्वारा देखे गये । जनवरी 1973 में नगदी में कमी के विरुद्ध सर्विस इंजीनियर द्वारा 1,500 रुपये जमा कर दिये गये । उसे जुलाई 1973 में निलम्बित कर दिया गया किन्तु सितम्बर 1973 में बहाल कर दिया गया । किन्तु उसने मार्च 1976 में त्यागपत्र दे दिया जो मामला निपटाने के पूर्व ही कम्पनी द्वारा मई 1976 में स्वीकार कर लिया गया । यह बताया गया (जून 1977) कि खयानत इत्यादि के विरुद्ध पुलिस में एक रिपोर्ट सितम्बर 1973 में दर्ज करा दी गई थी और मामला अदालत में पड़ा है (दिसम्बर 1977); स्टोर कीपर अभी निलंबित है ।

(च) त्रुटिपूर्ण पावर थ्रैशर्स

कम्पनी ने कृषकों को बेचने तथा कस्टम सेवा प्रदान करने के निमित्त कानपुर की एक फर्म को तीन नमूनों (माडलों) के 300 पावर थ्रैशर की आपूर्ति करने का एक आदेश दिया (फरवरी 1971) । 1971–72 में उक्त फर्म द्वारा 6.00 लाख रुपये मूल्य के 211 थ्रैशर (डब्लू0टी0ए0 5: 59, डब्लू0टी0ए0 12:75 और डब्लू0 टी0ए0 30:77) की आपूर्ति की गई । उस वर्ष के दौरान में इन थ्रैशरों की जांच नहीं की गयी । इन्हें 1972–73 में प्रयोग में लाया गया और यह पाया गया कि इनकी क्षमता निर्धारित क्षमता से बहुत कम थी । इन मशीनों को सुधारने के लिये कम्पनी ने तकनीशियनों का एक दल गठित किया । सुधारों तथा कुछ हिस्सों को बदलने के बाद भी कोई सुधार नहीं पाया गया । कम्पनी की विभिन्न शाखाओं और सर्विस स्टेशनों पर 60 अन बिके थ्रैशर (लागत 1.70 लाख रुपये) पड़े थे (दिसम्बर 1977) ।

प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया (जुलाई 1977) कि आपूर्ति कर्ता फर्म को देय शेष 10 प्रतिशत भुगतान का 0.42 लाख रुपये रोक लिया गया है और यह कि मामला एक मध्यस्थ के हवाले कर दिया गया है जिसका निर्णय प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1977) ।

प्रौसेस्ड फूड डिवीजन

उत्पादकों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादनों का उपयोग करने के लिये कम्पनी ने सुदूर और अल्पविकसित क्षेत्रों में फल संसाधन और मसालों के कारखाने स्थापित किये। रामगढ़ (नैनीताल) एवं कायमगंज (फर्रुखाबाद) स्थित दो वर्तमान सरकारी कारखाने 1968–69–1969–70 में कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिये गये। फल संसाधन कारखाना, कायमगंज और मसाला कारखाना, झांसी (1972–73 में स्थापित) में कम्पनी ने दूसरे राज्यों से आम और मसाले खरीदे यद्यपि कारखानों को स्थानीय उत्पादनों का उपयोग करना था।

उपर्युक्त कारखानों के अतिरिक्त कम्पनी ने उत्पादन इकाइयां स्थापित कीं, जिनका विवरण निम्नांकित है :

नाम	स्थापना का वर्ष
पैकिंग केस इकाई	
हल्द्वानी (नैनीताल)	1971–72
भुवाली (नैनीताल)	1974–75
फलों की डिब्बाबन्दी, सम्साधन एवं अचार कारखाना	
खलीलाबाद (बस्ती)	1972–73
एग्रो-टाप, लखनऊ	1973–74
हापुड़ (गाजियाबाद)	1975–76
कोसी (अल्मोड़ा)	1975–76
कोटद्वार (गढ़वाल)	1975–76
शहद योजना	
हल्द्वानी (नैनीताल)	1974–75

(क) कार्य-कलाप के परिणाम

1975–76 तक तीन वर्षों में डिवीजन के विभिन्न योजनाओं में वर्गीकृत कार्यकलाप के परिणाम निम्नांकित हैं :

कारखाने	लाभ (+) / हानि (–)		
	1973–74	1974–75	1975–76
		(लाख रुपयों में)	
मसाला कारखाना, झांसी	(+) 0.57	(–) 0.90	(–) 1.77
फल सम्साधन कारखाने			
रामगढ़	(+) 0.67	(+) 0.20	(–) 3.32
कायमगंज	(+) 1.08	(+) 0.76	(–) 7.51
खलीलाबाद	(+) 0.37	(+) 0.12	(–) 3.35
हापुड़	..	..	(–) 2.68
कोसी	..	..	(–) 0.37
कोटद्वार	..	..	(–) 0.39
ऐग्रो-टाप्स	..	(+) 0.05	(+) 0.12
पैकिंग केस इकाइयां			
हल्द्वानी	(+) 0.41	(+) 0.31	(+) 0.47
भुवाली	..	(–) 0.09	(–) 0.17
शहद योजना			
हल्द्वानी	..	(+) 0.04	(–) 0.13
ओइशी रेस्त्रा एवं ऐग्रोकैफे	(–) 0.32	(–) 0.15	..

कारखाने	लाभ (+) / हानि (-) 1973–74	1974–75	1975–76
	(लाख रुपयों में)		
मुख्यालय को सम्मिलित करते हुए सामान्य प्रबन्धक के कार्यालय के अनुपातिक व्यय	(-) 3.52	(-) 10.91	(-) 16.62
योग ..	(-) 0.74	(-) 10.57	(-) 35.72

इकाइयों के उपर्युक्त परिणामों में सामान्य प्रबन्धक कार्यालय के आनुपातिक व्यय और मुख्यालय के व्यय सम्मिलित नहीं हैं । इस सन्दर्भ में निम्नांकित बातें उल्लेखनीय हैं :

(i) विभिन्न कारखानों में न बिकने योग्य सामान के लिये 1975–76 तक के लेखाओं में कुल 11.08 लाख रुपये का प्राविधान किया गया । इस उद्देश्य के लिये गठित समिति द्वारा न बिकने योग्य वास्तविक मात्रा को सुनिश्चित कर लेने के बाद इसे बट्टेखाते में डाला जाना है ।

(ii) उत्पादन प्रतिमान और उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया में हानियों के प्रतिशत निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1976) कि 1975–76 में डिवीजन की शुद्ध हानि में विपणन मंडल की विक्रय वृद्धि में असफलता के कारण न बिकने योग्य 5.07 लाख रुपये मूल्य की तैयार सामग्री/सामान सम्मिलित हैं ।

प्रबन्धकों नें हानियों का मुख्य कारण विशेषकर सुदूर, पहाड़ी और पिछड़े हुए क्षेत्रों में, जहां इकाइयां स्थित हैं, भारी ढुलाई व्यय होना बताया ।

(ख) उत्पादन एवं बिक्री

निम्नांकित सारणी 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान खाद्य उत्पादनों, पैकिंग कैसेस एवं मसालों का लक्ष्य, उनका वास्तविक उत्पादन एवं बिक्री प्रदर्शित करती है:

उत्पादन	उत्पादन का लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	कमी का प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)	
1974–75			
खाद्य उत्पादन	55.08	39.11	29
मसाला	9.00	7.43	17
पैकिंग केसेस	4.85	3.76	22
बिक्री	66.99	32.15	52
1975–76			
खाद्य उत्पादन	32.64	20.81	36
मसाला	9.50	6.87	28
पैकिंग केसेस	6.00	3.63	40
बिक्री	31.56	22.45	29
1976–77			
खाद्य उत्पादन	57.53	38.06	34
मसाला	13.50	5.65	60
पैकिंग केसेस	14.62	21.32	..
बिक्री	138.17	57.61	59

शहद योजना

1976–77 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों में शहद का वास्तविक उत्पादन, संचयन एवं बिक्री निम्नांकित थी:

वर्ष	उत्पादन (लाख रुपयों में)	बिक्री
1974–75	1.30	0.16
1975–76	0.02	0.73
1976–77	0.02	0.42

इस योजना में 1974–75 में 0.04 लाख रुपये का लाभ प्रदर्शित किया, जबकि उसने 0.13 लाख रुपये और 0.20 लाख रुपये की हानियां क्रमशः 1975–76 एवं 1976–77 के दौरान प्रदर्शित कीं। हानियों का प्रमुख कारण प्रबन्धकों ने केन्द्र का अकुशल निष्पादन होना बताया (जुलाई 1977)।

(ग) विभिन्न कारखानों के कार्यकलाप

क--मसाला कारखाना झांसी

स्थानीय मसाला उत्पादनों, यथा धनिया, अदरक, हल्दी एवं लाल मिर्च का उपयोग करने और उत्पादकों की सहायता करने के लिये झांसी में मई 1972 में मसाला कारखाना स्थापित किया गया। प्रारम्भ में कारखाने की तैयार माल उत्पादन करने की क्षमता प्रति वर्ष 6 लाख रुपये मूल्य की होनी थी जिसे अगले तीन वर्षों में बढ़ा कर 15 लाख रुपये मूल्य तक करना था। तथापि, दिल्ली में मसालों को अपेक्षाकृत सस्ता बतलाकर, दिल्ली से कच्चा मसाला खरीदा गया।

निम्नांकित सारणी में 1975–76 तक तीन वर्षों के दौरान उत्पादन, बिक्री और अंतिम रहतिया का विवरण दिया गया है :

	1973–74	1974–75	1975–76
प्रारम्भिक रहतिया	2.96	4.37	4.41
उत्पादन	5.76	7.43	6.87
बिक्री	3.31	4.70	5.55
लागत पर मूल्यांकित अंतिम रहतिया	4.37	4.41	5.24

प्रबन्धकों ने बतलाया (नवम्बर 1977) कि अंतिम रहतिया में वृद्धि का कारण विपणन मंडल की विफलता है, जिसका अब समापन कर दिया गया है।

मसाला कारखाने द्वारा उठाई गई हानियों के मुख्य कारण प्रबन्धकों ने निम्न बताये (जून 1977) :

(i) माल के एकत्रित हो जाने के कारण कुछ मसालों के विक्रय मूल्य में घटोत्तरी क्योंकि एग्रो उत्पादनों का विपणन प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ।

(ii) पालीथीन थैलों से, जिसमें मसालों की किस्म खराब हो गई थी, उन्हें फिर से सादे और कार्ड बोर्ड के थैलों में भरा गया।

कारखाने में कच्चे माल का क्रय, उपभोग और अंतिम रहतिया के मूल्य 1975–76 तक के तीन वर्षों में इस प्रकार थे:

	1973–74	1974–75	1975–76
	(लाख रुपयों में)		
आरम्भिक रहतिया	2.89	4.62	0.51
	(66.553)	(77.689)	(4.975)
क्रय	4.92	1.37	4.87
	(79.690)	(15.098)	(54.335)
उपभोग	3.19	5.48	4.03
	(68.554)	(87.992)	(44.965)
अंतिम रहतिया	4.62	0.51	1.15
	(77.689)	(4.795)	(14.165)

(ख) फलों की डिब्बाबन्दी एवं संसाधन के कारखाने

निम्नांकित सारणी, विभिन्न कारखानों के उत्पादन और विक्रय जो 1976–77 तक के तीन वर्षों में था, इंगित करती है:

कारखाना	1974–75	1975–76	1976–77
	(लाख रुपयों में)		
रामगढ़			
उत्पादन	6.11	4.23	3.62
विक्रय	3.46	2.41	3.66
कायमगंज			
उत्पादन	20.38	5.05	15.82
विक्रय	15.08	3.48	13.73
खलीलाबाद			
उत्पादन	10.24	3.08	3.54
विक्रय	5.69	4.32	3.16
हापुड़			
उत्पादन	..	4.41	11.45
विक्रय	..	0.68	8.94
कोसी			
उत्पादन	..	1.29	0.14
विक्रय	..	0.26	0.17
कोटद्वार			
उत्पादन	..	1.31	0.43
विक्रय	..	0.07	0.14
एग्रो-टाप			
उत्पादन	1.08	1.42	2.00
विक्रय	0.24	0.80	1.25

कोष्टक में दिये गये आंकड़े मात्रा को मैट्रिक टनों में दर्शाते हैं।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि बिक्री में कमी का कारण कम्पनी के विपणन मंडल की अकुशल कार्य प्रणाली थी। तैयार उत्पादनों का भंडार जमा होते रहने के कारण उत्पादन को निर्बमित करना पड़ा।

(घ) कारखाना भवन

सोयाबीन से पाउडर और दूध बनाने व फलों और सब्जियों के सम्साधन के लिये एक कारखाने की स्थापना के लिये लखनऊ में 7.67 लाख रुपये की लागत से बनवाया गया (जून 1975) भवन वांछित मशीनों की अनुपलब्धता और स्रोतों के अभाव के कारण उपयोग में नहीं लाया गया है (दिसम्बर 1977)। इसका उपयोग ऐग्रो-उत्पादनों के बिक्री डिपो के रूप में हो रहा है। जुलाई 1972 से अगस्त 1975 के दौरान नियुक्त एक प्रबन्धक के वेतन और भत्तों पर 0.36 लाख रुपये खर्च किये गये।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1977) कि लखनऊ के आस पास सोयाबीन के बीज अनुपलब्ध होने से, कारखाने को मितव्ययिता से चला सकना सम्भव न था। यह भी बताया गया कि कम्पनी के मुख्यालय से 'ऐग्रो-टाप' कारखाने को इस भवन में स्थानान्तरित करने का विचार किया जा रहा था।

एक लाख रुपये की लागत से कुण्डा (काशी पुर) में मेन्थल संयंत्र लगाने के लिये बनवाया गया (मार्च 1974) दूसरा भवन बेकार पड़ा हुआ था। प्रबन्धकों द्वारा यह सूचित किया गया (अक्तूबर 1977) कि भवन का उपयोग जून 1977 से किया जा रहा था और यह कि जून 1977 से उत्पादन शुरू हो गया था।

शीतागार

1972–73 में 9.63 लाख रुपये की लागत से कम्पनी ने नवाबगंज (इलाहाबाद) में एक शीतागार स्थापित किया। 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान शीतागार के कार्य-कलापों से क्रमश: 2.55 लाख रुपये, 1.63 लाख रुपये और 0.59 लाख रुपये की हानि हुई। 1975–76 में 0.13 लाख रुपये का सीमान्त लाभ (मार्जिनल प्राफिट) हुआ।

प्रबन्धकों ने हानि के कारण मुख्यत: सरकार द्वारा निर्धारित अमितव्ययी भण्डारण दर, मजदूरी और वेतन तथा बिजली के मूल्य में बढ़ोतरी बताया (नवम्बर 1975)।

संयोजन कार्यशाला

अर्धनिर्मित स्थिति में प्राप्त आयातित ट्रैक्टरों के संयोजन हेतु अक्तूबर 1968 में तालकटोरा (लखनऊ) में एक कार्यशाला स्थापित की गयी। इस कार्यशाला की एक पाली में 4,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष स्थापित संयोजन क्षमता थी। दिसम्बर 1971 में इस कार्यशाला को, केन्द्रीय सरकार से अर्धनिर्मित पैकेजों और आवंटन के अभाव के कारण बन्द कर दिया गया। उसके बाद कार्यशाला का कार्यकलाप, पूर्ण ट्रैक्टरों की आपूर्ति पर सुपुर्दगी के पूर्व की सेवाओं और ट्रैक्टरों की मरम्मत तक सीमित रह गया। अर्धनिर्मित ट्रैक्टरों के संयोजन का कार्य भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच0 एम0 टी0), चण्डीगढ़ को सौंप दिया गया। कम्पनी को एच0 एम0 टी0 द्वारा संयोजित ट्रैक्टरों के प्रान्तीय एकाकी वितरक के रूप में नियुक्त किया गया, और 1,500 रुपये प्रति ट्रैक्टर का सकल मार्जिन दिया गया। संयोजित ट्रैक्टरों की प्राप्ति के कारण फालतू हुए कर्मियों की जबरी छुट्टी और छटनी को बचाने के लिये जून 1973 में 5.22 लाख रुपये के पूंजीगत व्यय से ट्रैक्टरों के पुनर्नवीकरण, फ्यूएल इनजक्सन पम्प की मरम्मत, आदि की योजना शुरू की गयी।

(i) निम्न सारणी 1976–77 तक के चार वर्षों में कम्पनी की एच0 एम0 टी0 ट्रैक्टरों की कुल मांग, वास्तविक प्राप्ति एवं काश्तकारों को बिक्री सेवा केन्द्रों को स्थानान्तरित संख्या को शामिल करते हुए इंगित करती है:

वर्ष	कुल मांग	प्राप्ति	वितरित
	(संख्या में)		
1973–74	1,500	1,163	971
1974–75	2,000	1,462	1,448
1975–76	1,000	476	738
1976–77	1,000	931	693

प्रबन्धकों ने बताया कि मांग एवं क्रम-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित संख्या में ट्रैक्टरों की एच0 एम0 टी0 ने कभी आपूर्ति नहीं की बल्कि ठीक इसके विपरीत ट्रैक्टरों की एक बड़ी संख्या की आपूर्ति वर्ष के एक दम अन्त में की गयी ।

(ii) वार्षिक लक्ष्य और वस्तुत: किये गये कार्य का मूल्य, शुद्ध लाभ एवं पुनर्नवीकृत ट्रैक्टरों की संख्या निम्नांकित थी :—

वर्ष	लक्ष्य	किये गये कार्य का मूल्य	शुद्ध लाभ	पुनर्नवीकृत ट्रैक्टरों की संख्या
		(लाख रुपयों में)		
1973–74	अनुपलब्ध	1.59	0.15	120
1974–75	4.00	3.67	0.32	240
1975–76	3.25	2.81	0.34	423
1976–77	3.50	3.81	0.14	189

(क) कार्य-कलाप के परिणाम

1974–75, 1973–74 और 1972–73 में क्रमश: 4.70 लाख रुपये, 6.49 लाख रुपये और 41.91 लाख रुपये के लाभ के विरुद्ध मंडल को 1975–76 में 8.08 लाख रुपये की हानि हुई। प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1977) कि एच0 एम0 टी0 द्वारा ट्रैक्टरों की आपूर्त संख्या में कमी और फलत: कम बिक्री, लाभ में गिरावट के अंशत: कारण हैं । यह भी बतलाया गया कि, सिरोपरि व्यय में बढ़ोतरी भी इस गिरावट का कारण है ।

(ख) महसूल का न लगाना

राज्य में कृषि हेतु उपयोग में आने वाले आयातित ट्रैक्टर सीमा शुल्क से परे थे । दिसम्बर 1970 से मार्च 1971 की अवधि के दौरान कृषकों को कृषि उद्देश्यों के लिये आपूर्ति हेतु कम्पनी ने रूमानिया से 230, यू-650 ट्रैक्टर आयात किये किन्तु इस राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग को 18 ट्रैक्टर, उस विभाग से 1.86 लाख रुपये (1.14 लाख रुपये जून 1973 में और 0.72 लाख रुपये मई 1974 में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भुगतान किये गये) की शुल्क की प्रभार योग्य धनराशि को बिना मांगे हुए अन्य उद्देश्यों के लिए बेच दिये गये । प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि उस राशि को वसूलने के प्रयत्न किये जा रहे थे । यह राशि (1.86 लाख रुपये) वसूली नहीं गयी है (दिसम्बर 1977) ।

कृषि कार्यशाला

कार्यशाला, विद्युत् चालित एवं बैलों द्वारा चालित उपकरण, डिस्कप्लाऊ, जोतने का यंत्र, समतल करने का यंत्र, डिस्क हैरोज, विद्युत थ्रेसर, अनाज भण्डारण की धानी, ट्रैक्टर ट्रेलर्स, आदि बनाती है। 1976–77 तक चार वर्षों के दौरान उत्पादन, बिक्री एवं अंतिम रहतिया इस प्रकार थे:—

वर्ष	उत्पादन का लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	स्थानान्तरण सहित बिक्री	लागत पर मूल्यांकित अंतिम रहतिया (लाख रुपयों में)
1973–74	55.74	38.07	54.01	24.93
1974–75	47.44	46.91	57.37	16.39
1975–76	52.52	42.88	38.17	23.78
1976–77	47.05	41.14	44.55	18.83

1976–77 तक तीन वर्षों में कार्यशाला में बनायी गयी मुख्य वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार थे :—

विवरण	1974–75		1975–76		1976–77	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य (संख्या में)	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
जोतने वाला यंत्र	1,250	767	1,125	780	1,000	587
विद्युत चालित थ्रेसर	133	84	155	36	300	232
ट्रैक्टर ट्रेलर	130	103	110	88	90	110
गोबर गैस संयंत्र	..	48	340	274	180	225
बैलगाड़ी	..	..	..	1,498	4,280	8,007
अनाज भण्डारण धानी	..	287	47	87	49	333

कार्यशाला को 1972–73 से 1974–75 तक के वर्षों के दौरान क्रमशः 13.61 लाख रुपये, 0.05 लाख रुपये और 0.75 लाख रुपये के लाभ के विरुद्ध 1975–76 में 1.00 लाख रुपये की हानि हुई। भारी शिरोपरि प्रभारों के कारण कुछ उपकरणों के विक्रय मूल्यों को, उन्हीं उपकरणों के बाजार मूल्यों की तुलना में, उच्चतर निर्धारित करने की आवश्यकता हुई। पर्याप्त प्रभावी विपणन संगठन का अभाव भी न्यून उत्पादन और विक्रय के लिये उत्तरदायी रहा।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1977) की उच्च शिरोपरि प्रभारों के अतिरिक्त श्रेष्ठ श्रेणी के कच्चे माल के उपयोग के कारण कम्पनी के उपकरणों की दरें बाजार दरों से ऊंची थीं। कार्यशाला उच्च श्रेणी के कच्चे माल से टिकाऊ और प्रमाणिक कृषि उपकरण बनाती रही, जबकि बाजार में उपलब्ध होने वाले उपकरण निम्न स्तरीय श्रेणी के थे।

अनाधिकृत अग्रिम

400 'सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल्स' की आपूर्ति के लिये 1970 में दिये गये आदेशों के विरुद्ध लखनऊ की एक फर्म 25,000 रुपये के ऋण की संस्वीकृति के लिये कम्पनी के पास पहुंची (जनवरी 1974)। कम्पनी के निदेशक मंडल ने अप्रैल 1974 में 20,000 रुपये अग्रिम देने का निर्णय दिया। धनराशि छः वार्षिक किस्तों में वसूल होनी थी और 11.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लेना था। न तो अग्रिम ऋण की किस्तें (10,000 रुपये) और देय ब्याज (7,688 रुपये) का भुगतान किया था और न ही ड्रिलों, जिनकी आपूर्ति प्रति सप्ताह दस के हिसाब से करनी थी, की आपूर्ति फर्म द्वारा की गई (अक्टूबर 1977)। यह बताया गया (जून 1977) कि ऋण और ब्याज वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की जा रही थी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है (दिसम्बर 1977)।

सन्तुलित पशु आहार के कारखाने

31 मार्च 1977 को तीन सन्तुलित पशु आहार कारखाने लखनऊ, गोरखपुर और मुरादाबाद में थे। गोरखपुर स्थित कारखाने ने अप्रैल 1974 से कार्य प्रारम्भ किया जबकि मुरादाबाद स्थित कारखाने ने अपना परिचालन मार्च 1977 में प्रारम्भ किया। लखनऊ स्थित कारखाना जनवरी 1970 से परिचालन में था।

नयी दिल्ली की फर्म को अप्रैल 1972 में 56.90 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से 3500 क्विन्टल खली की आपूर्ति का आदेश कम्पनी द्वारा दिया गया, जिसकी आपूर्ति 27 मई 1972 तक हो जानी थी, जिस तिथि को बाद में 26 जून 1972 तक बढ़ा दिया गया। 19 मई 1972 से 25 सितम्बर 1972 की अवधि के दौरान फर्म ने 1445.58 क्विन्टल खली की आपूर्ति की। 20 और 23 जून 1972 को फर्म को 26 जून 1972 तक बाकी मात्रा की आपूर्ति करने के लिये नोटिस दी गयी। फर्म को कम्पनी द्वारा यह भी बता दिया गया था कि आपूर्ति की विफलता की स्थिति में जोखिम क्रय (रिस्क परचेज) का भी आश्रय लिया जा सकता है। फर्म समय से आपूर्ति पूरी करने में असफल रही और इस कारण कम्पनी ने जोखिम क्रय का आश्रय लिया है। जुलाई 1972 से दिसम्बर 1972 की अवधि के दौरान कम्पनी 1.59 लाख रुपये में 2054.42 क्विन्टल खली खरीदी, फलतः 0.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। कम्पनी द्वारा नई दिल्ली के आपूर्तिकर्त्ता के बिलों से 0.42 लाख रुपये की धनराशि रोक ली गयी। फर्म ने, इस आधार पर कि अनुबंधित अवधि (मई 1972) में कम्पनी द्वारा समुचित नोटिस नहीं दिये गये थे, अतिरिक्त लागत वहन करने में अपने दायित्व को नकार दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार मामले को मध्यस्थता के लिये सौंप दिया गया (अप्रैल 1975)। मध्यस्थ ने अपने निर्णय (जुलाई 1975) में कम्पनी को रोकी गयी धनराशि वापस करने का आदेश दिया। मध्यस्थ के निर्णय के पूर्व ही जमानत की धनराशि दिसम्बर 1974 में दे दी गयी थी।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1977) कि जमानत की धनराशि (10,000 रुपये) अध्यक्ष के आदेश से वापस कर दी गई थी और कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि के लिए मामला मध्यस्थ को सौंपा गया।

आगे यह भी बताया गया कि मध्यस्थ ने कम्पनी के तर्क में किसी प्रकार का दम नहीं पाया, और रोकी गयी धनराशि (0.42 लाख रुपये) के भुगतान करने का निर्णय दिया।

किराया खरीद डिवीजन

1968–69 से 1971–72 के बीच किराया खरीद योजना के अन्तर्गत किसानों को 261.69 लाख रुपये के 2,498 पम्प सेट्स, 874 ट्रैक्टर और 1,868 कृषि उपकरण बेचे गये। कम्पनी के सीमित वित्तीय स्रोतों के कारण 1972–73 में योजना छोड़ दी गयी। फिर भी मूल्य और ब्याज की वसूली 1981–82 तक चलती रहेगी।

किराया खरीद योजना ने 1974–75 और 1973–74 में क्रमशः 7.53 लाख रुपये और 12.26 लाख रुपये लाभ के विरुद्ध 1975–76 में 4.37 लाख रुपये का लाभ दर्शाया। प्रबन्धकों ने लाभ में गिरावट का कारण बतलाया (नवम्बर 1976):

(i) किराया खरीददारों द्वारा भुगतान के लिए देय मूलधन की धनराशि में कमी होने के कारण ब्याज से होने वाली आय में कमी, और

(ii) राज्य सरकार को देय ब्याज के व्यय प्रभार में बढ़ोत्तरी।

1976–77 तक वसूलने योग्य कुल धनराशि 58.32 लाख रुपये थी जिसके विरुद्ध 18.41 लाख रुपये ही वसूल किये गये थे और 39.91 लाख रुपये की वसूली रह गयी थी। प्रबन्धकों ने बतलाया (जून 1977) कि जिला अधिकारियों के माध्यम से भू-राजस्व के बकायों की तरह नादेहनदारों से वसूली के लिये वसूली नोटिसें जारी की गयी थीं।

2.09. अन्य योजनायें

1972–73 में 'स्वयं रोजगार योजना' (सैल्फ इम्पलायमेंट स्कीम) नाम से एक योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षित अभियंत्रण/कृषि स्नातक को 20,000 रुपये नकद और

30,000 रुपये मूल्य की मशीन का ऋण दिया गया। यह योजना 1974–75 तक चली और 165 उद्यमकर्त्ताओं में कुल 80 लाख रुपये वितरित किये गये। यह ऋण 1980–81 तक वसूल होना है। 1976–77 में उद्यमकर्त्ताओं से 35.00 लाख रुपये (मूलधन 27.83 लाख रुपये और ब्याज 7.17 लाख रुपये) वसूल होने थे। इसमें से 8.95 लाख रुपये वर्ष के दौरान वसूल किये गये और 1976–77 के अन्त में 26.05 लाख रुपये वसूली के लिये अति प्राप्य हो गये।

1974–75 में भारत सरकार द्वारा प्रमाणित "हाफ ए मिलियन इम्प्लायमेंट प्रमोशन स्कीम" के अन्तर्गत उद्यमकर्त्ताओं को ऋण के लिये मार्जिन मनी वितरण योजना शुरू की गयी। कम्पनी को 1974–75 में सौंपे गये 36.02 लाख रुपयों में से मार्च 1977 तक उद्यमकर्त्ताओं को ऋण के रूप में 7.35 लाख रुपये वितरित किये गये, यद्यपि उस समय तक पूरी धनराशि का अंतिम रूप से उपयोग हो जाना था। धनराशि (36.02 लाख रुपये) का 50 प्रतिशत 11 1/4 प्रतिशत की दर से ब्याज (समय से मूलधन और ब्याज अदा करने पर 3–1/2 प्रतिशत की छूट के साथ) वहन करने वाला ऋण माना जाना था और शेष 50 प्रतिशत कम्पनी को अनुदान के रूप में माना जाना था। ऋण की संस्वीकृति तिथि से नवें एवं दसवें वर्ष में दो बराबर किश्तों में उद्यमकर्त्ताओं से ऋण की वसूली होनी थी। खर्च न की गई धनराशि (28.67 लाख रुपये) 1977–78 में सरकार को प्रत्यर्पित कर देनी थी। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) कि कम्पनी ने भारत सरकार से अगले वर्ष तक के लिये समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। यह भी बताया गया कि औपचारिकताओं की अपूर्णता और बैंकों द्वारा ऋण आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही में विलम्ब के कारण, कम्पनी को सौंपी गयी धनराशि का एक बड़ा अंश उपयोग नहीं हो सका।

2.10. लागत नियंत्रण

मानक लागत निर्धारण व्यवस्था को रूप देने के लिये लागत अभिलेख नहीं रखे जा रहे हैं और वित्तीय आंकड़ों तथा लागत लेखाओं के आंकड़ों का कालिक मिलान नहीं किया जा रहा है। प्रभाव पूर्ण लागत नियंत्रण लागू करने के लिये आवश्यक मानक लागत का कम्पनी द्वारा चालू करना अभी भी बाकी है (दिसम्बर 1977)।

2.11. आन्तरिक लेखा परीक्षा

कम्पनी द्वारा अगस्त 1972 में विभिन्न आन्तरिक लेखा परीक्षा क्षेत्र में विभिन्न शाखाओं और कारखानों का आन्तरिक लेखा परीक्षण किया। किन्तु कृषि उपकरण कार्यशाला और संयोजन कार्यशाला की लेखा परीक्षा 1976–77 से प्रारम्भ की गई। लेखा परीक्षा किये जाने की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। कम्पनी के निदेशक मण्डल को कालिक आन्तरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की कोई व्यवस्था का उपाय नहीं निकाला गया है। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1977) की आन्तरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण मामले प्रबन्ध निदेशक / अध्यक्ष की जानकारी में लाये गये और यह कि व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी।

2.12. भंडार सूची नियंत्रण

1975–76 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक के अन्त में कम्पनी के भंडार सूची की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:—

	1973–74	1974–75	1975–76
			(लाख रुपयों में)
कच्चा माल और संघटक	37.39	32.41	29.04
भण्डार और फुटकर पुर्जे	49.77	52.76	56.83
तैयार माल	383.94	794.57	701.58
निर्माण प्रक्रिया में माल	9.63	11.95	12.42
मार्गस्थ माल	33.19	44.43	52.33

कच्चे माल और संघटक तथा भण्डार और फुटकर पुर्जों का रहतिया 1974–75 में 9 माह तथा 1973–74 में 12 माह की तुलना में 1975–76 में उत्पादन के लिये आवश्यक लगभग 10 माह की खपत के बराबर था।

प्रत्येक श्रेणी के भण्डार और फुटकर पुर्जों के सम्बन्ध में अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनर्आदेश स्तरों का निर्धारण नहीं किया गया था (दिसम्बर 1977)।

2.13. विविध देनदार

निम्नलिखित तालिका में 1975–76 तक के तीन वर्षों के दौरान बिक्री की तुलना में वर्ष के अन्त में देनदारों का परिमाण दिखलाया गया है :—

वर्ष	वर्ष के अन्त में कुल देनदार (अच्छे समझे गये)	वर्ष के दौरान बिक्री	देनदारों का बिक्री पर प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1973–74	228.67	2,268.25	10.1
1974–75	190.24	1,826.55	10.4
1975–76	200.85	1,891.81	10.6

देनदारों का वर्षानुसार विवरण उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 1976 को 200.85 लाख रुपये के देनदारों में से 116.30 लाख रुपये के देनदार व्यक्तिगत पार्टियों से संबंधित थे।

2.14. अन्य रोचक विषय

(क) आलू की खरीद

कम्पनी ने, जनवरी 1977 में नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली (नेफेड) की ओर से मार्च 1977 तक आपूर्ति करने के लिये 10,000 मैट्रिक टन आलू की खरीद करने का निश्चय किया। इस योजना को 'नेफेड' और कम्पनी की एक बैठक में अन्तिम रूप दिया गया किन्तु किसी लिखित दस्तावेज का आदान प्रदान नहीं किया गया। किन्तु कम्पनी द्वारा यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि 'नेफेड' द्वारा अधिप्राप्ति की लागत तथा 3 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जायेगा। फरवरी 1977 के दौरान कम्पनी द्वारा तीन क्रय केन्द्र (हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली) खोले गये। किन्तु फरवरी और मार्च 1977 के दौरान कम्पनी 221.47 मैट्रिक टन आलू की खरीद 1.23 लाख रुपये में कर सकी और केवल 3,489 रुपये का कमीशन कमाया क्योंकि 'नेफेड' द्वारा निर्धारित दर (48 रुपये प्रति क्विंटल) पर बाजार में आलू की और मात्रा उपलब्ध नहीं थी। इस खरीद के सम्बन्ध में कम्पनी ने, तिरपाल, कांटे और बोरों की खरीद पर (0.30 लाख रुपये) तथा किराये एवं कर, वाहन, लेखन सामग्री, वेतन एवं मजदूरी, भाड़ा-भत्ता, आवागमन, मनोरंजन, डाक व्यय, बैंक व्यय, बिजली और मुख्यालय व्यय पर (0.22 लाख रुपये) कुल 0.52 लाख रुपये का व्यय किया जिसकी वसूली नहीं हुई (दिसम्बर 1977)।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1977) कि 'नेफेड' द्वारा आलू का कम मूल्य निर्धारित किये जाने के कारण योजना सफलतापूर्वक नहीं चली और यह कि 'नेफेड' के पास 0.22 लाख रुपयों का दावा पड़ा हुआ था। तिरपाल, बोरे, इत्यादि की खरीद पर हुए व्यय (0.30 लाख रुपये) के बारे में यह कहा गया कि इन्हें कम्पनी की दूसरी इकाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा था।

(ख) आमों की खरीद

काशगंज (फर्रुखाबाद) स्थित अपने फल संसाधन कारखाने की आमों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कम्पनी ने राज महल (बिहार) में आमों की दरें

तथा उनकी उपलब्धता आंकने के लिये अपने उप-मुख्य लेखा अधिकारी और एक फील्ड अधिकारी से युक्त एक समिति नियुक्त की (जनवरी 1972)। राजमहल में समिति के अनुमान के अनुसार 24–25 किलोग्राम आम की टोकरियां 14 से 16 रुपये प्रति टोकरी की दर से उपलब्ध थी। राज महल में तैनात फील्ड अधिकारी द्वारा एक कमीशन एजेण्ट से 3 प्रतिशत कमीशन पर 11.00 रुपये से 31.25 रुपये प्रति टोकरी की दर से आमों की खरीदारियां की गईं। कम्पनी के मुख्य कार्यालय में आमों की ख रीद के सम्बन्ध में रखे गये लेखाओं की कारखाने में रखे गये उसी से संबंधित लेखाओं से नमूना जांच करने पर निम्न-लिखित तथ्य प्रकाश में आये :—

(i) कम्पनी के मुख्य कार्यालय ने राज महल आमों की 14,731 टोकरियों के लिये 3.25 लाख रुपये तथा भाड़े तथा कमीशन समेत अन्य प्रासंगिक व्ययों के रूप में 0.49 लाख रुपये का भुगतान किया। कम्पनी के वार्षिक लेखाओं में दिखाया गया इन आमों का वजन 3.96 लाख किलोग्राम था। किन्तु कारखाने के अभिलेखों ने प्रदर्शित किया कि राजमहल से कारखाने में प्राप्त आमों का वजन 2.35 लाख किलोग्राम था।

(ii) राज महल आमों के लिये कारखाने के रिकार्ड का हवाला किये बिना जहां वस्तुतः आम प्राप्त किये गये थे मुख्य कार्यालय द्वारा राजमहल आमों के लिए भुगतान कर दिया गया।

1.61 लाख किलोग्राम आमों (मात्रा जिसका भुगतान किया गया तथा मात्रा जो कारखाने में प्राप्त हुई दिखाई गई, का अन्तर) का मूल्य 0.94 लाख रुपया प्रति किलोग्राम की औसत दर से 1.50 लाख रुपया आता है।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1977) कि आम वस्तुतः लगभग 15 किलोग्राम प्रति टोकरी क हिसाब से पैक किये गये थे और प्राप्त टोकरियों की संख्या का मिलान स्कंध पंजी से कर लिया गया था।

कम्पनी के मुख्य कार्यालय में अभिलेखित आमों का वजन और कारखानों में वस्तुतः प्राप्त आमों के वजन में असंगति के कारण स्पष्ट नहीं किये गये।

(ग) मुरब्बा का उत्पादन

संसाधित खाद्य उत्पादन के लिये स्थापित कम्पनी की रामगढ़ फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी द्वारा उत्पादित 0.05 लाख किलोग्राम आड़ू का मुरब्बा प्रति 450 ग्राम के 11,046 डिब्बों में प्रतिरक्षा विभाग को आपूर्ति करने के लिये जून/जुलाई 1972 के दौरान पैक किया गया। चूंकि उत्पादन प्रतिरक्षा विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था इसलिये इसको अस्वीकार कर दिया गया और कारखाने की गोदामों में दिसम्बर 1974 तक रखा रहा जबकि जनता को बेचने के लिये 3,600 डिब्बे लखनऊ डिपो को स्थानान्तरित कर दिये गये और 900 डिब्बे स्थानीय डिपो में रख दिये गये। इनमें से सितम्बर 1977 तक फुटकर में 1,262 डिब्बे बेचे गये। सितम्बर 1977 में 0.42 लाख रुपये के मूल्य के आड़ू मुरब्बा के 9784 डिब्बे भण्डार में थे। समय बीतने के साथ भण्डार मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो चुका था।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्तूबर 1977) कि आड़ू मुरब्बा का उत्पादन कारखाना प्रबन्धक द्वारा किया गया था जिसकी नौकरी समाप्त कर दी गई।

(घ) तेल निकालने का संयंत्र

कम्पनी ने तेल निकालने का संयंत्र 0.32 लाख रुपये में खरीदा (फरवरी 1974) और उसे, कम्पनी अपनी खलीलाबाद (बस्ती) स्थित कैनिंग और पिकिल्स फैक्टरी द्वारा चलाये जाने के लिये उद्योग निदेशक द्वारा 4,360 रुपये वार्षिक किराये पर पट्टे पर दिये गये शेड में फरवरी 1975 में स्थापित किया। इसके ऊर्जीकरण की आशा में संयंत्र द्वारा पेराई के लिये तिलहन (21,760 किलोग्राम: मूल्य 0.85 लाख रुपये) खरीदा गया (अप्रैल से जून 1974)। चार व्यक्ति (हेल्पर, चौकीदार, फिटर और सहायक स्टोर कीपर) संयंत्र चलाने के लिये अप्रैल 1974 में नियुक्त किये गये, किन्तु मशीन चलाने के लिये आवश्यक बिजली कनेक्शन कारखाने ने प्राप्त नहीं किया। चूंकि संयंत्र बिना ऊर्जन के, लगातार बेकार पड़ा रहा, उन चार कर्मचारियों में से दो (हेल्पर और फिटर) की नौकरी समाप्त कर दी गई (जनवरी 1976)। क्रय किये गये 21,760 किलोग्राम तिलहन में से, धूल (2,032 किलोग्राम) और सूखने (1,069 किलोग्राम) के कारण 3,101 किलोग्राम (मूल्य 0.12 लाख रुपये) कम हो गया। शेष तिलहन 18,659 किलोग्राम को निजी कशरों से 1974-75 से 1976-77 के दौरान पिरवाकर कम्पनी सरसों का तेल (4,746 किलोग्राम) और खली (1,3913 किलोग्राम: मूल्य 0.07 लाख रुपये) प्राप्त कर सकी।

संयंत्र में रुपया (0.32 लाख रुपये) फंसाने और तेल तथा खली पर हुई हानि (0.25 लाख रुपये) के अतिरिक्त कम्पनी ने आकस्मिक व्यय इत्यादि पर 0.41 लाख रुपये (सितम्बर 1977 तक) व्यय किये हैं।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1977) कि बाजार का नया सर्वेक्षण निरुत्साहित करने वाला था क्योंकि तेल के दूसरे प्रतिस्पर्द्धात्मक मार्कों की तुलना में कम्पनी का उत्पादन अन-स्पर्द्धात्मक था और यह कि संयंत्र को हापुड़ स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा रहा था। यह भी बताया गया कि तात्कालिक कारखाना प्रबन्धक जिसने संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव किया था अब कम्पनी की नौकरी में नहीं है।

(ङ) मसाले की हानि

अमचुर की बिक्री की सम्भावना को निर्धारित किये बिना ही कम्पनी ने 1972-73 में एक बड़ी मात्रा (40,315 किलोग्राम: मूल्य 2.36 लाख रुपये) कच्ची खटाई (आम की सूखी फांकें) खरीदीं। अर्धनिर्मित (सेमी फिनिश्ड) खटाई (3,926 किलोग्राम: मूल्य 0.20 लाख रुपया) और तैयार खटाई (1,117 किलोग्राम: मूल्य 0.16 लाख रुपये) स्टाक में पड़ी थी (अक्टूबर 1977)। 4,988 किलोग्राम खटाई (मूल्य 0.26 लाख रुपये) की प्रक्रिया और भण्डारण के दौरान हानि हो गई और 647 किलोग्राम: मूल्य 0.09 लाख रुपये) तैयार खटाई 1974-75 के दौरान भण्डारण में नष्ट हो गई। प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1977) कि विपणन मंडल के खराब निष्पादन के कारण खटाई बेची नहीं जा सकी और भंडारण तथा प्रक्रिया हानियां सामान्य प्रतीत होती थीं।

40,315 Kg.

4,988 kg
647

5,635

अनुभाग III

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड

3.01. प्रस्तावना

राज्य में सभी प्रकार के पुलों के निर्माण और रख-रखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग का था। विस्तृत सड़क विकास योजनाओं के कारण नये पुलों का निर्माण आवश्यक हो गया। चतुर्थ योजना में 50 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय से 115 नये पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गयी थी। इसी तरह पंचम योजना में 100 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय से 400 नये पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गयी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेतु संगठन की सीमित क्षमता, अपेक्षित अभियंत्रण कौशल के उचित ठेकेदारों का अभाव और पुल निर्माण के भारी कार्यक्रम को राज्य के बजट स्रोतों से पूरा कर सकने की कठिनाइयों ने राज्य सरकार को 1972–73 में ब्रिज कारपोरेशन की स्थापना के लिये प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड को 18 अक्टूबर 1972 को पूर्ण राज्य स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में दोहरे उद्देश्य से निगमित किया गया, यथा (i) अधिक तीव्रता से सेतु निर्माण-कार्य चलाने के लिये वित्तीय संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों व खुले बाजार से ऋण आकर्षित करना, व (ii) उचित दर पर अपेक्षित अभियंत्रण कौशल के साथ निर्माण-कार्य को निष्पादित करने के लिये एक एजेन्सी की व्यवस्था करना। अपने मेमोरैण्डम आफ एसोसियेशन में कम्पनी ने अन्य कार्यों के साथ-साथ सभी प्रकार के पुलों एवं अन्य निर्माण का कार्य, और पुलों की अन्य सुविधाओं के निर्माण का कार्य, यथा पुलों से मिलने वाली सड़कों को अपने हाथ में लिया। कम्पनी ने मुख्यतः अपना कार्य-कलाप राज्य सरकार के पुल बनवाने और कुछ अन्य सरकारों का कार्य ठेके पर करने तक सीमित रखा। कम्पनी को कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र 16 नवम्बर 1972 को दिया गया और उसने वस्तुतः अपना कार्य पहली मार्च 1973 से शुरू किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की पांच डिजाइन इकाइयों और 12 निर्माण इकाइयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी जो सेतु निर्माण-कार्य में लगे थे, का स्थानान्तरण पहली मार्च 1973 से राज्य सरकार द्वारा कम्पनी में कर दिया गया। सरकार ने 3,519 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले 65 पुलों का निर्माण-कार्य 1972–73 में और 231 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले 19 पुलों का निर्माण कार्य 1973–74 में सार्वजनिक निर्माण विभाग से, स्थानान्तरण की शर्तें तय किये बिना, कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिया। 12 मार्च 1974 को राज्य सरकार ने इस प्रकार हस्तान्तरित कार्यों व उसके बाद में डिपाजिट कार्यों के रूप में निर्माण के लिए सौंपे गये कार्यों की अनुमानित लागत के 9 प्रतिशत की दर से 'प्रतिशत प्रभार' भुगतान करने का निर्णय लिया।

3.02. संगठनात्मक व्यवस्था

कम्पनी का प्रबन्ध अध्यक्ष के नेतृत्व में एक निदेशक मण्डल में निहित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के आयुक्त एवं सचिव कम्पनी के पदेन अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक नामित किया गया है। मण्डल में पांच अन्य अंशकालिक निदेशक हैं, यथा योजना और वित्त विभागों में प्रत्येक के आयुक्त एवं सचिव, न्याय विभाग के सचिव, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। प्रबन्ध निदेशक की सहायता मुख्यालय में एक सचिव एवं वित्त सलाहकार, एक योजना अधिकारी और एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी द्वारा तथा क्षेत्र में तीन परिक्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा की जाती है।

एक परामर्शदाता, जिसने राज्य सरकार के कहने पर कम्पनी की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया, ने अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी (जुलाई 1974) कि कम्पनी की कार्य प्रणाली को वाणिज्यिक

संगठन के रूप में अधिक प्रभावी एवं सफल बनाने के लिये इसका आर्थिक पक्ष अधिक सुदृढ़ बनाने और कम्पनी के अभियंत्रण डिवीजनों से भुगतान कार्य अलग करने के लिये तत्काल कार्य किया जाना चाहिये। सलाहकार की संस्तुतियां कार्यान्वित नहीं की गयी हैं (दिसम्बर 1977)। खण्डीय अधिकारियों द्वारा अधिकृत किये जाने पर अभियंत्रण खण्डों द्वारा भुगतान होना जारी है।

3.03. सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों और दायित्वों का स्थानान्तरण

(i) कम्पनी ने, परिसम्पत्तियां (प्रस्तर मूल्य: 186.88 लाख रुपये) एवं दायित्व (प्रस्तर मूल्य : 81.33 लाख रुपये), बिना किसी प्रकार के औपचारिक] अनुबन्ध और समुचित मूल्यांकन के, ले लिये। प्रस्तर मूल्यों के आधार पर कम्पनी ने राज्य सरकार के खाते में 105.55 लाख रुपये (शुद्ध) अपने लेखा में प्राप्ति के रूप में निक्षेप कार्य हेतु जमा कर लिया। अधिगृहीत परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण, यथा कर्मचारियों को अग्रिम (57.08 लाख रुपये), कैश सैटलमैण्ट सस्पैंस (75.59 लाख रुपये), सामानों का भण्डार (40.12 लाख रुपये), कार्यशाला सस्पैंस (0.67 लाख रुपये) और दायित्व, यथा निक्षेप (15.77 लाख रुपये) एवं ऋय (65.56 लाख रुपये), का सत्यापन नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

(ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खरीदे गये औजारों, संयंत्रों, उपस्करों तथा जुड़नारों (फर्नीचर तथा फिक्चर्स) व गाड़ियों के मूल्यों की जो स्थानान्तरित इकाइयों के लेखाओं पर था, बिना उनकी लागत और कम्पनी द्वारा देय राशि तय किये निर्माण-कार्यों पर प्रयोग हेतु कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिया गया (दिसम्बर 1977)। कम्पनी ने अपने लेखे में इन सामानों का मूल्य शामिल नहीं किया है।

(iii) 11 करोड़ रुपये की लागत के विद्यमान 71 पुलों और अन्य पुलों, जिन पर पथ कर वसूल किया जा रहा था या वसूल किया जाना है, कम्पनी को रख-रखाव एवं पथकर की वसूली के लिये हस्तान्तरित किया जाना था। तथापि, कम्पनी के निदेशक मण्डल ने ऐसे हस्तान्तरण का इस आधार पर अनुमोदन नहीं किया, कि इससे एक अयथार्थवादी पूंजी का ढांचा व पथ कर आदि से प्राप्त राजस्व पर आय कर का दायित्व उत्पन्न होगा। इन मामलों को विचारार्थ सरकार को भेजा गया (मई 1973); उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)। पुलों का औपचारिक हस्तान्तरण नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

3.04. पूंजी संरचना

(क) कम्पनी 1,600 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत की गयी। 31 मार्च 1977 को प्रदत्त पूंजी 150 लाख रुपये, 100 रुपये प्रत्येक के 1.5 लाख सामान्य अंशों में विभक्त थी। सरकार द्वारा 31 मार्च 1976 को कम्पनी की अंश पूंजी में लगायी गयी 100 लाख रुपये की धनराशि, कम्पनी द्वारा बिना किसी मांग के, कम्पनी की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के नाम पर राज्य की आकस्मिक निधि से निकाली गयी। यह सम्पूर्ण धनराशि कम्पनी ने पहली अप्रैल 1976 को स्थायी निक्षेप में निवेशित कर दी, जो उसी तरह पड़ी है (दिसम्बर 1977)। 100 लाख रुपये के अंश राज्य सरकार को औपचारिक रूप से 19 जून 1976 को आवंटित किये गये थे।

(ख) कम्पनी ने 30 जून 1977 तक समय-समय पर बैंकों के कुल 261 लाख रुपये के ऋण (जिनके पुनर्भुगतान की गारन्टी राज्य सरकार द्वारा दी गयी है) भी प्राप्त किये। 30 जून 1977 को 10.78 लाख रुपये (मूल) पुनर्भुगतान के लिये अतिदेय हो गया था।

3.05. वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 4.02 में कम्पनी के लेखाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब का उल्लेख किया गया था। कम्पनी के 30 सितम्बर 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष और उससे आगे के लेखे बकाया हैं (दिसम्बर 1977)। प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि सही रूप में लेखा रख सकना सम्भव न था क्योंकि थोड़े से लेखाकारों को छोड़कर शेष कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के थे।

3.06. वित्तीय स्थिति

कम्पनी अपना लेखा वर्ष पहली अक्टूबर से 30 सितम्बर तक अपनाती है। निम्नांकित सारणी में 30 सितम्बर 1976 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति का सारांश है। 1974–75 और 1975–76 में दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि इन वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है (दिसम्बर 1977) :

	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76 अनन्तिम
दायित्व		(लाख रुपयों में)		
प्रदत्त पूंजी ..	50.00	50.00	50.00	150.00
कर्ज ..	..	40.00	119.57	177.00
चालू दायित्व (प्राविधानों सहित) ..	85.49	167.36	41.18	311.35
योग ..	135.49	257.36	210.75	638.35
परिसम्पत्तियां				
सकल अचल सम्पत्तियां (ग्रास ब्लाक) ..	6.94	8.58	8.71	9.2
घटाया—ह्रास ..	0.15	0.51	0.42	0.50
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां ..	6.79	8.07	8.29	8.52
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य ..	0.80	9.77	43.59	27.68
निवेश ..	46.00	187.00	60.08	499.75
चालू परिसम्पत्तियां (ऋण एवं अग्रिम सहित) ..	79.35	47.96	70.06	57.42
अदृश्य परिसम्पत्तियां				
(i) प्रकीर्ण व्यय ..	0.01	0.01	0.01	0.01
(ii) हानियां ..	2.54	4.55	28.72	44.97
योग ..	135.49	257.36	210.75	638.35
लगायी गयी पूंजी ..	0.65	(–) 111.33	37.17	(–) 245.41
शुद्ध मूल्य ..	47.45	45.44	21.27	105.02

टिप्पणी—(i) लगायी गयी पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों व कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती हैं।

(ii) शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी व आरक्षित निधियों के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है।

3.07. निर्माण निष्पादन

कम्पनी द्वारा किये गये निर्माण-कार्य मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटे गये हैं, यथा (i) निक्षेप निर्माण-कार्य, और (ii) अनुबंधित निर्माण-कार्य। निक्षेप निर्माण-कार्य को आगे विभक्त किया गया है, यथा (क) निर्माण-कार्य जो किफायत से संभव हो यानी सेतु, जिनके निर्माण की लागत पूर्णतः या अंशतः वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋण से पूरी की जाती है; ऐसे ऋण, कम्पनी बैंकों से सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी के आधार पर लेती है और उनका ब्याज सहित भुगतान सरकार द्वारा वसूले गये पथ कर से होता है, जिसे वह वसूल कर कम्पनी को सौंप देती है, और (ख) ऐसे निर्माण-कार्य जिनकी वित्त पूर्ति राज्य सरकार के बजट आवंटन द्वारा होती है। निक्षेप निर्माण-कार्य सरकार द्वारा कम्पनी को वास्तविक लागत जमा 9 प्रतिशत, 'प्रतिशत प्रभार' के आधार पर सौंपा जाता

है जबकि अनुबंधित निर्माण-कार्य कम्पनी द्वारा खुली निविदा प्रणाली में भाग लेकर प्राप्त किया जाता है। निर्माण-कार्य कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के संगठन के माध्यम से कराने हेतु लिये जाते हैं परन्तु विभिन्न निर्माण-कार्यों हेतु ठेकेदारों की सहायता भी ली जाती है। सरकार ने कम्पनी को 31 मार्च 1977 तक 192 पुलों का निर्माण (अनुमानित लागत 7,026 लाख रुपये) 'कास्ट प्लस' आधार पर सौंपा था। उसी अवधि में कम्पनी ने खुली निविदा प्रतियोगिता में भाग लेकर 30 पुलों (अनुमानित लागत 1,551 लाख रुपये) के निर्माण के ठेक प्राप्त किये। इनमें से 94 पुल (अनुमानित लागत: 2,018 लाख रुपये) 'कास्ट प्लस' आधार पर और 21 पुल (अनुमानित लागत 280 लाख रुपये) अनुबंध आधार पर पूरे कर लिये गये थे और 33 पुल (अनुमानित लागत 3,352 लाख रुपये) 'कास्ट प्लस' आधार पर और 9 पुल (अनुमानित लागत 1,271 लाख रुपये) अनुबंध आधार पर, प्रगति में थे (सितम्बर 1977)। बाकी 65 पुलों (अनुमानित लागत 1,656 लाख रुपये), 'कास्ट प्लस' आधार पर, का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था (सितम्बर 1977)।

(क) तकनीकी स्वीकृतियां

शासन के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत (अपने नियमों को अन्तिम रूप देने तक कम्पनी द्वारा अपनाये गये) न तो कोई कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए और न ही उस पर कोई व्यय किया जाना चाहिए जब तक कि उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति न प्रदान की गयी हो। 30 पुल थे, जिन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान हुए बिना ही कार्य प्रारम्भ किया गया। इनमें से 12 पुल 1973 से 1976 तक की अवधि में 472.49 लाख रुपये की कुल लागत से पूरे कर लिये गये थे। 8 पुलों के सम्बन्ध में कार्य की भौतिक प्रगति (कम्पनी अभिलेखों के अनुसार) व्यय की प्रगति के अनुरूप नहीं थी जैसा कि निम्नांकित सारणी से पुष्ट होता है:—

पुल का नाम	कार्यारम्भ का मास	31 मार्च 1977 को पुल सूची* (ब्रिज इन्डेक्स) के अनुसार अनुमानित लागत	31 मार्च 1977 तक किया गया वास्तविक व्यय	31 मार्च 1977 को अनुमानित लागत की तुलना में वास्तविक व्यय (प्रतिशत)	31 मार्च 1977 को भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	टिप्पणी
						(लाख रुपयों में)
कर्मनासा, गाजीपुर	जनवरी 1974	39.75	10.81	27	8	कार्य अगस्त 1974 में रोक दिया गया और अप्रैल 1976 में पुन: प्रारम्भ किया गया।
वरुणा, वाराणसी	नवम्बर 1973	12.10	22.09	183	79	
गंगा, गाजीपुर	अप्रैल 1973	383.25	151.00	39	19	
सेंगुर, इटावा	अक्टूबर 1973	8.49	16.60	195	73	

पुल का नाम	कार्यारम्भ का मास	31 मार्च 1977 को पुल सूची* (ब्रिज इन्डेक्स) के अनुसार अनुमानित लागत	31 मार्च 1977 तक किया गया वास्तविक व्यय	31 मार्च 1977 को अनुमानित लागत की तुलना में वास्तविक व्यय (प्रतिशत)	31 मार्च 1977 को भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	टिप्पणी
					(लाख रुपयों में)	
पहुज, जालौन	जनवरी 1974	50.79	48.90	96	48	
सई, प्रतापगढ़	जनवरी 1974	20.71	19.19	92	70	
सेवई नाला, जौनपुर	मार्च 1974	5.25	8.25	157	65	
छोटी गंडक, देवरिया	अक्टूबर 1971	20.97	28.25	135	72	

*शासन ने पुल सूची 1964 को आधार वर्ष मान कर वर्षवार लागतें इंगित करने हेतु तैयार की है अर्थात्, यदि 1964 में एक पुल की लागत 100 रुपया थी तो उसी पुल की लागत अगर वह 1974–75 में बनाया जाय तो क्या होगी ।

(ख) काम पूरा होने में विलम्ब

शासन द्वारा कम्पनी को निर्माण हेतु सुपुर्द किये गये पुलों के पूर्ण होने की तिथियां इंगित नहीं की जाती हैं । इसलिये कम्पनी द्वारा स्वयं प्रत्येक मामले में कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित की जाती है। 1973–74 से 1976–77 की अवधि में पूर्ण हुए 94 निक्षेप निर्माण-कार्यों में से 46 मामलों में कार्य समाप्ति की मूल लक्ष्य तिथियां संशोधित की गयीं और पांच मामलों में पुनः संशोधित की गयीं । कार्य पूरा करने में चार मास से लेकर इक्कीस मास तक का विलम्ब हुआ । इससे मूल अनुमानित लागत के ऊपर 11 प्रतिशत से लेकर 106 प्रतिशत तक निर्माण लागत में बढ़ोत्तरी हुई । उन पांचों पुलों, जो लक्ष्य तिथियों के 12 से 21 माह बाद पूर्ण हुए, के अभिलेखों की जांच से निर्माण लागत में 5.39 लाख रुपये (पुल सूची के आधार पर निकाली गयी) की बढ़ोत्तरी प्रकट हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

पुल का नाम		लागत की धनराशि में बढ़ोत्तरी (लाख रुपयों में)
सुजानगंज-महाराजगंज में सई पर (जौनपुर)	..	1.47
लालगंज-बछरावां में सई पर (रायबरेली)	..	2.33
ओवरहैड पुल (वाराणसी)	..	0.63
भांभर नाला (गोंडा)	..	0.45
बेलन (मिर्जापुर)	..	0.51
	योग ..	5.39

(ग) सरकारी निधि का उपयोग

निर्माण हेतु सौंपे गये कार्यों और उसके लिये दी जाने वाली राशि के लिये कम्पनी के साथ सरकार द्वारा कोई औपचारिक अनुबंध नहीं किया गया (दिसम्बर 1977) । किसी औपचारिक अनुबंध के अभाव में, शासन ने बजट आवंटन की सीमा तक की धनराशि समय- समय पर प्रदान की और उसे शासन द्वारा पुल निर्माण व्यय कार्यों के अन्तिम शीर्ष के नामे डाल दिया गया ।

कम्पनी को 13 पुल निर्माण हेतु 1972–73 से आगे 21.24 लाख रुपये, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, प्राप्त हुए लेकिन उन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है (दिसम्बर 1977):--

वर्ष					प्राप्त धनराशि (लाख रुपयों में)
1972–73	..	..	..	..	0.60
1973–74	..	..	..	..	7.14
1974–75	..	..	..	..	13.50
				योग	21.24

3.08. निधि राशि का दूसरे मद में व्यय

कम्पनी के निदेशक मण्डल की स्वीकृति बिना प्राप्त किये कम्पनी की एक इकाई द्वारा ऐशबाग, लखनऊ में 9 स्थायी आवासीय फ्लैटों का निर्माण 2.70 लाख रुपयों की लागत से 1974–75 में पूर्ण किया गया। सम्पूर्ण व्यय प्रारम्भ में गंगा पुल रायबरेली के अन्तर्गत लघु शीर्ष "बिल्डिंग" में डाला गया जिसमें से दो लाख रुपये निम्नांकित दो पुलों को परिक्षेत्रीय प्रबंधक के आदेश से जुलाई 1975 से जनवरी 1977 के बीच स्थानान्तरित कर दिये गये:

					(लाख रुपयों में)
गंगा पुल, हरिद्वार	..	..	..	..	0.75
गंगा पुल, इलाहाबाद		..	..	..	1.25

गंगा पुल, रायबरेली के मूल अनुमान में 5 लाख रुपये का प्राविधान निर्माण स्थल कर्मचारियों के लिये अस्थायी शेड आदि के निर्माण के लिये था जिसमें से ऊपर कथित 2.70 लाख रुपये का व्यय मूलत: बुक किया गया था। इस प्रकार इन नौ फ्लैटों की लागत सरकार द्वारा समय-समय पर बजट आवंटनों से दी गयी धनराशि में से तीन निर्माण कार्यों के नाम डाली गयी, जिनका निष्पादन निक्षेप निर्माण-कार्य के रूप में हो रहा था। इस प्रकार, कम्पनी ने 2.70 लाख रुपये की धनराशि को उस निर्माण में लगा दिया, जो सरकार का नहीं था और जिस पर 9 प्रतिशत, प्रतिशत प्रभार (0.24 लाख रुपये) शासन से प्राप्त किया गया।

3.09. अनुबंध निर्माण-कार्य

कम्पनी के उद्देश्य के अनुसरण में अनुबंध निर्माण-कार्य प्राप्त करने के लिये, कम्पनी निर्माण स्थल के प्रारम्भिक सर्वेक्षण आदि के आधार पर निविदाएं प्रस्तुत करती है। यद्यपि, निविदाओं की प्रस्तुति के लिये कम्पनी निर्माण स्थल, स्थानीय परिस्थितियों, मजदूरों व सामान की प्रचलित दरों के परीक्षण के बाद मदवार दरें निकालती है, किन्तु प्रत्येक मद की वास्तविक लागत न तो कार्य निष्पादन के समय और न कार्य पूर्ण होने पर संकलित की जाती है। पूर्ण हुए कार्यों के सम्बन्ध में कम्पनी ने न तो अनुबन्ध वार लाभ/हानि निकाली और न कार्य पूर्ति प्रतिवेदन तैयार किये।

परख जांच से प्रकट दस पूर्ण हुए पुलों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा प्राप्त सम्पादित कार्य की अनुबन्धित मूल्य व व्यय की गयी धनराशि को आमने सामने नीचे दर्शाया गया है:

पुल का नाम		व्यय	किये गये कार्य का अनुबंधित मूल्य (लाख रुपयों में)	हानि	हानि का प्रतिशत
सुरई (नेपाल)	..	16.41	12.18	4.23	35
गुरई (नेपाल)	..	6.25	4.62	1.63	35
8आर0सी0सी0 पुल (नेपाल)	..	56.37	48.00	8.37	17
	योग	79.03	64.80	14.23	22

हानि निम्नांकित मदों पर भारी व्यय के कारण थी:

पुल का नाम	व्यय के मद	अनुमानित लागत	वास्तविक लागत	अन्तर	अन्तर का प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)			
सुरई	(i) स्थापना, (ii) उपकरणों का किराया और उनके चलाने पर व्यय	1.42	2.12	0.70	50
		2.84	6.78	3.94	140
गुरई	उपकरणों के चलाने पर व्यय	0.93	2.86	1.93	208
8 आर0सी0 सी0पुल0	उपकरणों का किराया और उनके चलाने पर व्यय	5.96	16.51	10.55	177

1975 में कार्य पूर्ण होने की विभिन्न लक्ष्य तिथियों के विरुद्ध ये कार्य अप्रैल 1977 में पूर्ण किये गये । प्रबंधकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि अधिकारियों के समक्ष दावे प्रस्तुत कर दिये गये थे और यह कि लेखाओं को अभी बन्द किया जा रहा था ।

कम्पनी अपने कोटेशन प्रस्तुत करने से पूर्व स्थापना, ओवरहेड्स और पूंजी पर ब्याज के व्यय को पृथक पृथक दर्शाते हुए अपने प्राक्कलन नहीं बनाती है । अनुबंधित निर्माण कार्यों हेतु कोटेशन देने से पूर्व लाभ का क्या प्रतिशत शामिल किया जाना चाहिये, इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सौदा तय करते समय कम्पनी द्वारा घटी दरों की व्यवहारिकता का विश्लेषण किये बिना और किन विभिन्न मदों से समान बचत करने का विचार है, इसका संकेत दिये बि दर घटा दी गयी ।

(क) गाजियाबाद में निर्माण-कार्य

कम्पनी ने मई 1975 में उत्तर प्रदेश जल निगम को मुरादाबाद से निजामुद्दीन तक पुल के लिए 2,800 मि0 मी0 व्यास का आर0 सी0 सी0 कन्डुइट, वायाडक्ट, साइफन और अन्य आनुषंगिक निर्माण-कार्य हेतु 870.23 लाख रुपये की निविदा प्रस्तुत की । बातचीत के दौरान कम्पनी द्वारा 15.23 लाख रुपये कम कर दिये गये । परन्तु इस कमी का मदवार विवरण तैयार नहीं किया गया । कार्य दिसम्बर 1975 में प्रारम्भ किया गया और दिसम्बर 1977 में पूरा होने का लक्ष्य था । प्रबन्धकों द्वारा सितम्बर 1977 में लगाये गये लाभदायकता अनुमान ने जुलाई 1977 तक किये गये कार्य (मूल्य: 199.63 लाख रुपये) पर 29.36 लाख रुपये की हानि दर्शायी ।

प्रबन्धकों ने निम्न प्रकार बताया (सितम्बर 1977) :

"बातचीत के दौरान दूसरे लोगों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को दृष्टि में रखते हुए मूल्य घटाना पड़ा, यह कमी स्पष्ट रूप से लाभ के सुरक्षित अंश और ओवरहेड्स से की गयी है ।"

(ख) काम पूरा होने में विलम्ब

अनुबन्ध आधार पर सितम्बर 1977 तक पूरे किये गये 21 पुलों में से 18 पुलों के निर्माण-कार्य पूरा करने में 24 महीने तक का बिलम्ब पाया गया । कम्पनी ने अनुबन्ध में ऐसा कोई प्राविधान नहीं रक्खा, जिसके अनुसार यदि विलम्ब के लिये उत्तरदायी ग्राहक है तो अतिरिक्त व्यय का भुगतान वह करे, जबकि कम्पनी स्वयं द्वारा काम पूरा करने में विलम्ब के लिये दंड भुगतान करने पर सहमत थी । प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि कड़ी प्रतियोगिता के कारण शर्तें निदेशित करना संभव नहीं था ।

इस संबंध में यह बताया जा सकता है कि पूर्ण हुए सभी 21 पुलों में कम्पनी ही एक मात्र निविदादाता थी।

3.10. संस्थागत वित्त

कम्पनी स्थापित करने के मुख्य उद्देश्यों में एक यह भी था कि संस्थागत वित्त के द्वारा वित्तीय स्रोतों को तैयार किया जाय ताकि बजटीय विनिधानों पर निर्भरता कम हो। कम्पनी निक्षेप निर्माण कार्यों के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रस्तावित पुलों/परियोजनाओं की व्यवहारिकता का अध्ययन करती है और आरम्भिक प्राक्कलन तैयार करती है। यही प्राक्कलन और अध्ययन संस्थाओं को दिये गये ऋण आवेदन पत्रों का आधार होते हैं। जहां कहीं भी मूल धन और उस पर ब्याज को 7 से 10 वर्ष की अवधि के अन्दर पथकर की वसूली से अदा किया जा सकता है, पुलों को पूरी तरह व्यवहार्य (वायबल) माना जाता है। कम्पनी द्वारा बैंकों को परियोजना के लिए धन पूर्ति हेतु केवल उस सीमा तक ऋण का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जहां तक उसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य समझा जाता है। परियोजना की शेष राशि को कम्पनी द्वारा सरकार से बजटीय विनिधान से प्राप्त धन से पूरा किया जाता है।

31 मार्च 1977 तक सरकार द्वारा कम्पनी को निर्माण हेतु सौंपे गये 192 पुलों (अनुमानित लागत: 7,026 लाख रुपये), जिनके लिये 1102.29 लाख रुपये की ऋण सहायता का आवेदन किया गया था, कम्पनी द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए 38 पुलों (अनुमानित लागत: 3,345 लाख रुपये) की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया गया। 31 मार्च 1977 तक ऋण के लिये दिये गये आवेदनों और उनकी स्वीकृति की स्थिति निम्नांकित है:

पूर्णरूपेण व्यवहार्य पुल

वर्ष	आवेदित ऋण		स्वीकृत ऋण	
	पुलों की संख्या	धनराशि	पुलों की संख्या	धनराशि
		(धनराशियां लाख रुपयों में)		
1972–73 ..	6	212.18	5	201.38
1973–74 ..	2	36.29	2	36.29
1974–75 ..	2	63.15	2	57.35
1975–76 ..	2	33.06	..	..
1976–77 ..	..	..	..	..
योग ..	12	344.68	9	295.02

आंशिक रूप से व्यवहार्य पुल

वर्ष	आवेदित ऋण		स्वीकृत ऋण	
	पुलों की संख्या	धनराशि	पुलों की संख्या	धनराशि
		(धनराशियां लाख रुपयों में)		
1972–73 ..	12	444.00	8	203.50
1973–74 ..	5	28.50	3	18.00
1974–75 ..	3	41.24	1	12.00
1975–76 ..	1	150.00	1	75.00
1976–77 ..	5	93.87	2	28.20
योग ..	26	757.61	15	336.70

कुल आवेदित ऋण के विरुद्ध बैंकों द्वारा कुल स्वीकृत ऋण का अनुपात आंशिक रूप से व्यवहार्य पुलों के मुकाबले में 44 प्रतिशत और पूर्णरूपेण व्यवहार्य पुलों के संबंध में 86 प्रतिशत था। कम्पनी को बाकी व्यय को राज्य सरकार द्वारा बजटीय आवंटित राशि से पूरा करना था। निक्षेप निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय में से वर्ष वार प्राप्त ऋणों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त होता है	निक्षेप निर्माण कार्य पर कुल व्यय	उपयोग किया हुआ ऋण	कुल निर्माण व्यय पर संस्थागत वित्त का प्रतिशत
		(लाख रुपयों में)	
1973–74	834.11	40.00	4.8
1974–75	593.23	35.00	6.0
1975–76	469.40	102.00	21.7
1976–77	484.07	56.00	11.6

बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि में कमी के कारण रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लगाये गये ऋण पर प्रतिबन्धों को बतलाया गया। दो बैंकों द्वारा दो पुलों के लिये मूलरूप से स्वीकृत ऋण (62.09 लाख रुपये) इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत घट कर 18.60 लाख रुपये हो गया। ऋणों की पूरी राशि देने की सरकार की प्रार्थना (अगस्त 1976) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वीकार नहीं की गयी।

रिजर्व बैंक ने सरकार को सूचित किया (सितम्बर 1976) कि "पुल निर्माण कार्य इन्फरा-स्ट्रक्चर एक्टीविटी होने के कारण, इसका व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने बजटीय विनिधान से पूरा किया जाना चाहिये। इस पर भी एक विशेष मामले की तरह हम इससे सहमत हुए कि हमारे व्यावसायिक बैंक इन क्रियाकलापों के लिये एक सीमा तक ही वित्तीय सहायता दें और वह भी उन मामलों में जहां परियोजनायें एक उचित अवधि में पूर्णरूपेण व्यवहार्य समझी जायं। यह एक सामान्य नीति होने के कारण हमारे लिये उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन के मामले में इससे विरत होना संभव नहीं है"।

3.11. ऋण का उपयोग

1976–77 तक कम्पनी को कुल 631.72 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति मिली, जिसमें से 261 लाख रुपये आहरित किये गये। इस प्रकार 370.72 लाख रुपये काम में नहीं लाये गये जो 12 पुलों (294.64 लाख रुपये) के संबंध में पूर्ण ऋणराशि और 3 पुलों (76.08 लाख रुपये) के संबंध में आंशिक राशि को दर्शाते हैं। प्रबन्धकों ने ऋण आहरण न करने के निम्नांकित प्रमुख कारण बताये (सितम्बर 1977):

(i) ऋण की अदायगी के लिये राज्य सरकार की गारन्टी प्राप्त होने में विलम्ब,

(ii) सरकार की गारन्टी देने में विलम्ब के कारण बैंकों द्वारा स्वीकृतियों के पुनर्वेधीकरण की आवश्यकता,

(iii) सरकार से आंशिक रूप से व्यवहार्य पुलों के संबंध में बराबर का अंशदान प्राप्त न होना, और

(iv) कम्पनी के पास सरकारी निधि की मौजूदगी।

3.12. परियोजनाओं की व्यवहार्यता और ऋणों की वापसी

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत मूलतः यातायात की सघनता के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को सौंपी गई 38 परियोजनाओं की व्यवहार्यता निकाली गयी। संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता से कम्पनी द्वारा बनाये गये तीन ऐसे पुलों के

संबंध में पूर्वानुमानित पथ-कर की प्राप्तियां और वास्तविक प्राप्तियां निम्नांकित सारणी इंगित करती है:

पुल का नाम	वसूली की अवधि	वसूल किये गये पथ-कर की वास्तविक धनराशि	पथ-कर वसूली की पूर्वानुमानित धनराशि	पथ कर में कमी धनराशि	प्रतिशत
		(धनराशियां लाख रुपयों में)			
पूर्ण रूपेण व्यवहार्य					
मालिन	14 जून 1976 से 31 मार्च 1977	0.18	3.01	2.78	92
	1 अप्रैल 1977 से 30 जून 1977	0.05 0.23			
आंशिक व्यवहार्य					
महेवा	1 फरवरी 1976 से 31 मार्च 1976	0.32	4.55	2.66	58
	1 अप्रैल 1976 से 31 मार्च 1977	1.57 1.89			
रामगंगा	1 जुलाई 1975 से 31 मार्च 1976	1.77	6.15	2.48	40
	1 अप्रैल 1976 से 31 मार्च 1977	1.90 3.67			

सरकार द्वारा वसूल हुआ पथ-कर पूरा का पूरा कम्पनी को नहीं दिया गया, जैसा कि निम्नांकित सारणी से इंगित होता है:

पुल का नाम	पुल के पूर्ण होने से जून 1977 तक वसूल किया गया पथ-कर	अगस्त 1977 तक ऋण अदायगी के लिये कम्पनी को दी गयी धनराशि
		(लाख रुपयों में)
महेवा	2.24	1.20
मालिन	0.23	0.11
रिसपाना	12.35	6.97
रामगंगा	4.11	2.36
किच्छा	1.93	1.45
यमुना (हमीरपुर)	16.68	6.60
गंगा (मिर्जापुर)	12.11	5.01
गंगा (हरिद्वार)	3.75	..
योग ..	53.40	23.70

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि मामला सरकार के साथ पत्र-व्यवहार में है । सरकार द्वारा निम्नांकित मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया गया है:

(i) कम्पनी द्वारा पुल निर्माण कार्य पूरा करने में विलम्ब के फलस्वरूप पथकर की विलम्बित वसूली और उससे ऋण की विलम्बित अदायगी के कारण ब्याज दायित्व में वृद्धि

को कौनसा अभिकरण वहन करेगा, और

(ii) सरकार द्वारा वसूल किये गये पथकर को कम्पनी को देने में विलम्ब के कारण ब्याज कौनसा अभिकरण वहन करेगा।

(ख) निम्नांकित सारणी अनुमानित 42.80 लाख रुपये के पथकर पर, जो वसूला जा सकता था यदि पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब न होता, अतिरिक्त ब्याज दायित्व दर्शाती है:

पुल का नाम	ऋण की धनराशि	पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि	पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब की अवधि महीनों में	विलम्ब से वसूली गयी पथ-कर अनुमानित धनराशि	ब्याज दायित्व
	(लाख रुपयों में)				(लाख रुपयों में)	
राम गंगा (फर्रुखाबाद)	20.00	जून 1974	फरवरी 1975	8	1.68	0.18
रिसपाना (देहरादून)	10.00	जून 1974	दिसम्बर 1974	6	2.34	0.19
यमुना (हमीरपुर)	40.00	सितम्बर 1974	मार्च 1976	18	25.02	6.00
गंगा (मिर्जापुर)	36.00	दिसम्बर 1975	अगस्त 1976	8	8.72	0.93
मालिन (बिजनौर)	13.08	जून 1975	जून 1976	12	0.24	0.04
गंगा (हरिद्वार)	25.00	जून 1975	सितम्बर 1976	15	4.80	0.96
				योग ..	42.80	8.30

(ग) तीन पुलों, यथा किच्छा, रिसपाना एवं मालिन को पूर्णरूपेण व्यवहार्य समझा गया और कम्पनी द्वारा तैयार की गयी व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर बैंकों ने उनके निर्माण की पूरी लागत के बराबर ऋण स्वीकृत किये। तथापि, इन पूर्ण हुए पुलों की लागत अनुमानित लागत से और बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि (45.08 लाख रुपये) और साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त (2 लाख रुपये) की राशि से 12.15 लाख रुपये से बढ़ गयी। बढ़ी हुयी लागत को कम्पनी ने अपने श्रोतों से पूरा किया यद्यपि परिकल्पना यह की गयी थी कि निर्माण की पूरी लागत संस्थागत वित्त से पूरी की जायेगी। अभिलेखों से यह पता नहीं चलता कि लागत की अनुमान से अधिक बढ़ोत्तरी की जांच कम्पनी ने की थी। उनके निर्माण एवं वित्त संस्थाओं द्वारा उनकी अर्थ पूर्ति हेतु कोई औपचारिक स्वीकृति भी कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से नहीं ली गयी थी न ही

अधिक व्यय को सरकार से वसूला गया है (दिसम्बर 1977), ये पुल सरकार को फरवरी 1975 से जून 1976 की अवधि से सौंपे गये । ब्योरा निम्नांकित है:

पुल का नाम	वास्तविक व्यय	प्राप्त धनराशि बैंकों	सरकार	योग	कम्पनी की निधि से खर्च की गयी अतिरिक्त लागत की धनराशि (लाख रुपयों में)
किच्छा (नैनीताल)	30.34	22.00	..	22.00	8.34
रिसपाना (देहरादून)	10.80	10.00	..	10.00	0.80
मालिन (बिजनौर)	18.09	13.08	2.00	15.08	3.01
योग ..	59.23	45.08	2.00	47.08	12.15

3.13. निर्माण उपकरण

(i) 31 मार्च 1977 को 126 निर्माण उपकरण, यथा क्रेनें, टिपर्स, गाड़ियां, जनरेटर्स, ट्रैक्टर्स आदि, विभिन्न इकाइयों में बेकार पड़े थे । इनमें से 68 मदों की क़ीमत 7.87 लाख रुपये थी, शेष 58 मदों की कीमत उपलब्ध नहीं थी । ये मार्च-अप्रैल 1976 से (76 मदें) और जनवरी-फरवरी 1977 से (50 मदें) ऐसी ही अवस्था में पड़ी हुयी थीं । प्रबन्ध निदेशक ने विभिन्न इकाइयों से पूछा (अगस्त 1977) कि ये उपकरण बेकार क्यों पड़े हुए थे । इकाइयों से उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 1977) ।

(ii) अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों, क्रेनों और जनरेटरों को छोड़कर निर्माण उपकरणों के उपयोग का कोई प्रतिमान प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हैं । 1974 में प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्धारित 1000 घंटे प्रतिवर्ष के प्रतिमान के विरुद्ध 50 क्रेनों में से 28 क्रेनों का वास्तविक उपयोग 2 से 984 घंटे प्रतिवर्ष (1974 से 1977 की अवधि में) के बीच में रहा ।

3.14. भंडार सूची नियंत्रण

(क) कम्पनी ने न तो मुख्य कार्यालय में कोई क्रय समिति बनायी है और न ही अपनी किसी क्रय नियमावली को अंतिम रूप दिया है (दिसम्बर 1977) ।

कम्पनी द्वारा अपनाये गये भंडार सूची नियंत्रण उपायों की कुछ कमियां निम्नांकित हैं:

(i) कम्पनी के भंडार की 30 सितम्बर 1975 और 30 सितम्बर 1976 की स्थिति का संकलन कार्य चल रहा था (दिसम्बर 1977)। इन दो वर्षों के भंडार के अनुमानित आंकड़ों ने गत वर्षों की तुलना में बहुत विभिन्नतायें दर्शायी जो नीचे दी गयी हैं :

30 सितम्बर की स्थिति	मूल्य (लाख रुपयों में)
1973	.. 34.49
1974	.. 152.51
1975	.. 179.95 (अनन्तिम)
1976	.. 111.13 (अनन्तिम)

अधिकतम भंडार सूची स्तर सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया गया है (दिसम्बर 1977) ।

(ii) भंडार का नियमित सत्यापन और, उपकरणों एवं स्कन्धों का सत्यापन नहीं किया गया है ।

(iii) प्रयोग में आ रहे उपकरणों के मेक, माडल व टाइप के संदर्भ में भंडार में रखे अतिरिक्त पुरजों के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है । मदों को, उनके क्रय और फालतू तथा प्रयोग में न आ सकने वाले मदों का नियमन करने की दृष्टि से, अधिक प्रयोग में आने वाले व कम प्रयोग में आने वाले मदों में वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

3.15. अन्य रोचक प्रसंग

(क) किच्छा पुल

सरकार से बिना कोई प्राधिकरण प्राप्त किये कम्पनी की बरेली स्थित निर्माण इकाई ने किच्छा पुल का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया (फरवरी 1973) । पुल की लागत 16.35 लाख रुपये अनुमानित की गई (दिसम्बर 1974) और उसे जून 1975 तक पूरा किया जाना था । पुल निर्माण कार्य 23.32 लाख रुपये की कुल लागत से मई 1976 में पूरा हुआ जिसका एक भाग एक बैंक से लिये गये ऋण (22 लाख रुपये) और शेष 1.32 लाख रुपये कम्पनी ने अपने श्रोतों से अदा किया । पुल आवागमन के लिये 27 मई 1976 को खोल दिया गया । शीघ्र ही उसके बाद अल्मोड़ा की ओर की उप-सड़क (ऐप्रोच रोड का) लगभग एक किलोमीटर का मिट्टी का तटबन्ध भारी परिवहन का बोझ सह सकने में असफल हो गया और पपड़ी (क्रस्ट) लम्बाई में हट गई । पुल सड़क की मरम्मत के लिये 13 जून 1977 को बन्द कर दिया गया जो मार्च 1977 में 7.02 लाख रुपये की कुल लागत से कम्पनी के अपने ही श्रोतों से पूरी की गई । इस सम्बन्ध में निम्नांकित बातें ध्यान में आयीं:

(i) काम हाथ में लेने के पूर्व कम्पनी ने आवागमन का कोई सर्वेक्षण नहीं किया था;

(ii) बरेली स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रयोगशाला से प्राप्त (फरवरी 1976) किच्छा पुल उप-सड़क की मिट्टी के जांच परिणामों से पता चला कि अपेक्षित 8 से 15 प्रतिशत की जगह मिट्टी की भार वहन क्षमता 7 प्रतिशत थी (कड़े पत्थर की भार वहन क्षमता 100 मानते हुए);

(iii) निर्माण के दौरान परिक्षेत्रीय व्यवस्थापक द्वारा कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया; और

(iv) कम्पनी ने अपने श्रोतों द्वारा खर्च किये गये 8.34 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति के के लिये राज्य सरकार से नहीं कहा (दिसम्बर 1977) ।

(ख) रिन्द पुल

जुलाई 1973 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं के प्रत्युत्तर में कम्पनी ने कानपुर जिले में लखनऊ-झांसी रोड पर रिंद नदी पर पुल बनाने के लिये एक मुश्त 9.60 लाख रुपये का अपना प्रस्ताव भेजा । यह प्रस्ताव कुछ परिवर्तनों के साथ परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित प्राक्कलनों एवं डिजाइनों पर आधारित था ।

प्रस्ताव में अनेक शर्तें, मूल्यवृद्धि की एक मद सहित, सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकार्य नहीं थी, अतः उन्हें वापस ले लिया गया (अक्तूबर 1973) । तदनुसार, प्रस्ताव 10.20 लाख रुपये तक संशोधित कर दिया गया, जिसे विभाग ने इस शर्त पर अन्तिम रूप से स्वीकार किया कि निर्माण कार्य पुल के स्वीकृत प्राक्कलन में दिये गये विवरण एवं डिजाइन के अनुसार किया जायेगा । तदनुसार, कम्पनी को कार्यारम्भ के लिये अधिकृत करते हुए एक टैन्टेटिव पीस वर्क एग्रीमेन्ट किया गया । अगस्त 1974 में विभाग ने धनाभाव के कारण कम्पनी से कहा कि वह आगे काम न करे और इसे तत्काल रोक दें । इस पर, कम्पनी की कानपुर इकाई ने प्रतिपादित कार्य के भाग

लिये अनुबद्ध की शर्तों के अनुसार 0.89 लाख रुपये का एक दावा किया (अगस्त 1974) जिसे विभाग ने इस आधार पर, कि कम्पनी द्वारा निर्मित और कार्यस्थल पर डाली गयी 'कटिंग एज' अनुमोदित डिजाईन के अनुसार नहीं थी, भुगतान से इनकार कर दिया था (अगस्त 1977)। कम्पनी नें (i) साइट बिल्डिंग, गोदाम और कार्यशालाओं और (ii) अपेक्षित मशीनों और सामानों को प्राप्त करने का काम पूरा कर लिया था। परिक्षेत्रीय व्यवस्थापक III जिसके प्रभार में कार्य मार्च 1974 में हस्तांतरित किया गया था, ने कठिन परिस्थिति से निदान पाने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजपथ) और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के साथ एक संयुक्त विचार विमर्श की व्यवस्था की। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजपथ) नें निर्णय किया (सितम्बर 1974) कि :

(i) कम्पनी द्वारा निर्मित अस्थायी इमारतों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वास्तविक लागत के आधार पर ले लिया जायेगा.,

(ii) कम्पनी द्वारा कार्यस्थल पर लायी गई मशीन और सामान कम्पनी अपने स्वयं के खर्चे पर कहीं अन्यत्र ले जायेगी ;

(iii) कम्पनी द्वारा किया गया कार्य सद्भावना प्रकाशन के रूप में माना जायेगा जिसके लिये वह किसी चीज का दावा नहीं करेगी ;

(iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यस्थल पर प्राप्त हुए इस्पात के लिये सीधे आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान करेगा; और

(v) कार्यस्थल पर डाली गयी "कटिंग एज" कम्पनी अन्यत्र प्रयोग के लिये ले जायेगी।

तदनुसार पहले किया गया दावा (0.89 लाख रुपये) वापस ले लिया गया। तथापि कम्पनी ने इन निर्णयों का समर्थन नहीं किया है। कम्पनी द्वारा उठायी गई हानि नहीं निकाली गई है (दिसम्बर 1977)।

(ग) भाकला पुल

भाकला नदी के आर पार बहराइच-भिंगा रोड पर सभी मौसमों के अनुकल एक सेतु मार्ग (रोड ब्रिज) निर्माण का कार्य कम्पनी को मार्च 1973 में सौंपा गया था जबकि उस का 77 प्रतिशत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व ही पूरा किया जा चुका था। सबस्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर आदि का शेष 23 प्रतिशत कार्य कम्पनी द्वारा किया गया और पुल दिसम्बर 1973 में 34.57 लाख रुपये के स्वीकृत अनुमान के विरुद्ध 37.07 लाख रुपये की कुल लागत से पूरा हुआ। पुल को पथ कर वसूली हेतु गमनागमन के लिये 15 दिसम्बर 1973 को खोल दिया गया था लेकिन पुल औपचारिक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग को सितम्बर 1977 में हस्तान्तरित किया गया।

29 जुलाई 1975 को, जबकि भाकला का जल स्तर निश्चित उच्चतम बाढ़ स्तर से 0.76 मीटर नीचे था, पुल के कूप नम्बर 3 के निकट अत्यधिक जल घर्षण से, खम्भा धंस कर मुड़ा और थोड़ा अलग हो गया, फलतः आस पास की दो मेहराबें क्षतिग्रस्त हो गयीं। आधार स्तम्भ (बियरिंग) में अत्यधिक टेढ़ापन आ गया और एक्सपैन्शन ज्वाइन्टस क्षतिग्रस्त हो गये। कूप नम्बर 2 भी प्रभावित हुआ। सुरक्षा उपाय के रूप में फैजाबाद इकाई ने पुल के दो कुंओं के चारों ओर 1.49 लाख रुपये की लागत से 384 घनमीटर बोल्डर डाल दिये। सरकार द्वारा दिसम्बर 1975 में क्षति के कारण सुनिश्चित करने और सुधारक उपाय का परामर्श देने के लिये स्थापित जांच समिति की सलाह पर और भी सुधारक उपाय और मरम्मत के कार्य किये गये। समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षा में बतायी गयी है (दिसम्बर 1977)। जनवरी 1976 से जुलाई 1977 की अवधि में फैजाबाद इकाई द्वारा मरम्मत आदि पर 0.54 लाख रुपये और व्यय किये गये। पूर्ण हुए पुल को सार्वजनिक निर्माण विभाग को औपचारिक रूप से हस्तान्तरित करने में बिलम्ब के कारण जुलाई 1975 से जुलाई 1977 की अवधि में कम्पनी को 2.03 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1977) कि अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण मरम्मत का कार्य किया गया और व्यय की गयी धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मरम्मत के प्राक्कलन अनुमोदित हो जाने पर वसूल की जायेगी ।

(घ) हरिद्वार पुल

फरवरी 1972 में राज्य सरकार द्वारा 430 लाख रुपये की अनुमानित लागत से हरिद्वार में गंगा नदी पर एक प्रत्येक मौसम में काम आने वाले पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया । पुल केन्द्र द्वारा सहायता योजना के अन्तर्गत निर्मित होना था । अगस्त 1972 में 228.81 लाख रुपये के लिये तकनीकी रूप से स्वीकृत आरम्भिक प्राक्कलन के प्रथम खण्ड में चण्डीघाट स्थल पर मुख्य पुल का निर्माण, बायीं ओर का गाइड बांध, बिजनौर की ओर को उप-सड़क (ऐप्रोच रोड) और शहर की ओर की उप-सड़क, जो पुल को पहाड़ी की छोटी सड़क से जोड़े, के निर्माण का प्राविधान था । भारत सरकार और राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कम्पनी ने जनवरी 1973 में कार्य शुरू किया । हरिद्वार में गंगा नदी दो मुख्य जल मार्गों (चनल) में विभक्त होती है, यथा (i) कनखल जलमार्ग और (ii) बिजनौर जलमार्ग और स्वीकृत योजना के अनुसार बिजनौर जलमार्ग को बन्द किया जाना था और वहां एक गाइड बांध निर्मित किया जाना था । कार्यारम्भ के लगभग 18 महीने उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल प्रथम, मेरठ ने कम्पनी को सूचित किया कि बिजनौर जलमार्ग के बन्द करने और गाइड बांध बनाने से कनखल जलमार्ग और सक्रिय हो जायेगा और कनखल कस्बे की ओर उन्मुख होगा, जिससे कस्बे की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा । यह सूचना सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा गंगा नदी (भीमगोड़ा) पर निर्माण किये जाने वाले एक बांध के नमूने के अध्ययन के सम्बन्ध में भेजे गये प्रतिवेदन पर आधारित थी । इसलिये मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग और कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के बीच एक बैठक का प्रबन्ध किया गया, जिसमें यह निश्चय किया गया (फरवरी 1977) कि मूल रूप से स्वीकृत मुख्य पुल की लम्बाई 643.24 मीटर से बढ़ाकर 1,260 मीटर की जाय और गाइड बांध बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया जाय । संशोधित प्रस्तावों पर मार्च 1975 में कार्य शुरू किया गया । इसके परिणाम स्वरूप बिजनौर की ओर की उप-सड़क पर 0.48 लाख रुपये की लागत से किया गया (जनवरी 1973 से मार्च 1975) मिट्टी का कार्य (15,000 घन मीटर) व्यर्थ हो गया ।

(ङ) धनराशि का फंस जाना

तुलसीपुर-पचपेड़वा-बढ़नी सड़क बनरामा नदी (गोंडा) को तीन स्थानों पर काटती है । इन तीन जगहों पर तीन पुल बनाने का कार्य जनवरी 1973 में कम्पनी के सुपुर्द किया गया । पुल I और III जिनका निर्माण कार्य पहले से प्रगति में था, 8.33 लाख रुपये की लागत से क्रमशः जून एवं अगस्त 1973 में पूर्ण हो गये, परन्तु पुल II पर कार्यारम्भ नहीं हुआ (दिसम्बर 1977) जो दोनों के बीच में था और जिसके बिना अन्य दोनों पुलों का उपयोग संभव न था । पूर्ण होने के बाद पुल II और III का उपयोग करने वाली ट्रैफिक से पथकर वसूल होना था परन्तु पुल I जो एक पुराने पुल के बदले में निर्मित हुआ था, पर ऐसा कोई कर नहीं लगना था ।

पुल II पर कार्यारम्भ में देर के कारण 8.33 लाख रुपये की निवेशित राशि फंस गयी और पथकर वसूली से होने वाली प्राप्तियां भी टल गयीं । प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि पुल II पर अक्टूबर 1977 से कार्यारम्भ प्रस्तावित था, यह अब तक आरम्भ नहीं हुआ है (दिसम्बर 1977) ।

(च) मिट्टी के कार्य के लिये भुगतान

एक अल्पावधि निविदा (व्यापक रूप से विज्ञापित नहीं) के आधार पर वरुना नदी (वाराणसी) के पुल के दोनों ओर की उप-सड़कों में 25,000 घन मीटर मिट्टी खुदाई से सम्बन्धित कार्यों को 3.85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 0.96 लाख रुपये के लिये आजमगढ़ के एक ठेकेदार को कम्पनी

द्वारा प्रदान किया गया (अप्रैल 1976) । निर्धारित दर में सात लीड्स और तीन लिफ्ट्स शामिल थे ।

12 जून 1976, 20 जुलाई 1976 और 7 सितम्बर 1976 को एक अवर अभियन्ता द्वारा की गई नापों से यह पता लगा कि मिट्टी की खुदाई 30 मीटर की दूरी के अन्दर की बारो पिट्स से की गई थी जिसमें केवल एक लीड पड़ती थी और जिसके देय दर 2.40 रुपये प्रति घनमीटर निकलती थी । 7 सितम्बर 1976 तक ठेकेदार द्वारा किये गये मिट्टी के कुल काम पर (25,700 घन मीटर), 3.85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 0.37 लाख रुपये (3.85 रुपये और 2.40 रुपये प्रति घनमीटर की दरों का अन्तर) का अधिक भुगतान हुआ । प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1977) कि मिट्टी बहुत कड़ी होने और कंकड़युक्त होने के कारण ऊंची दर पर भुगतान किया गया । तथापि, अभिलेखों में यह कारण उपलब्ध नहीं था ।

(छ) अविवेक पूर्ण क्रय

अक्टूबर 1973 में बम्बई की एक फर्म ने 4,270 रुपये प्रति मैट्रिक टन, रेल द्वारा शुल्क मुक्त बड़ौदा कारखाना की दर से 7 मि0 मी0 व्यास का 100 मैट्रिक टन उच्च तनाव वाले इस्पात तार बेचने का प्रस्ताव कम्पनी को किया । उसके तत्काल बाद ही फर्म का प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रथम से मिला और प्रस्ताव 31 अक्टूबर 1973 तक वैध निर्धारित करते हुए 3,850 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर पर राजी हो गया । प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति की अपेक्षा में केवल 40 मैट्रिक टन के इस्पात तार के एक विचाराधीन मांग-पत्र के विरुद्ध कम्पनी के कार्य में माल की वास्तविक आवश्यकता आंके बिना या उसकी चालू बाजार दर सुनिश्चित किये बिना 3,850 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से 100 मैट्रिक टन इस्पात के तार की आपूर्ति के लिये एक आर्डर 30 अक्टूबर 1973 को दिया गया । उक्त खरीद के लिये प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिसम्बर 1973 में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई । तीन महीने बाद फर्म ने उसी क्षेत्रीय प्रबन्धक से पुनः सम्पर्क किया और 200 मैट्रिक टन वही माल उसी दर पर और उन्हीं शर्तों पर बेचने का प्रस्ताव किया । कम्पनी की भविष्य की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाये बिना प्रस्तावित सम्पूर्ण मात्रा के लिये एक और आर्डर जनवरी 1974 में दे दिया गया (प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के बाद) । फरवरी और मार्च 1974 में इसी ढंग से उसी फर्म को दो सौ मैट्रिक टन प्रत्येक के दो और आर्डर प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति से दिये गये । तार का कोई अंश प्रयोग में नहीं लाया गया । अक्टूबर 1974 में कम्पनी ने 4,500 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से (4,250 रुपये प्रति मैट्रिक टन की निर्गमन दर के विरुद्ध) 400 मैट्रिक टन उच्च तनाव वाले तार गंगा पुल परियोजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिहार सरकार को बेचने का प्रस्ताव किया जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । उसके बाद इस फालतू माल को विभागीय तौर पर केन पुल (बांदा) के निर्माण में बलदार केबिल (स्ट्रैण्ड केबिल) के स्थान पर प्रयोग में लाने का प्रयास किया गया किन्तु यह तकनीकी तौर पर साध्य नहीं पाया गया क्योंकि कम्पनी के उप-मुख्य (डिजाइन) के अनुसार बलदार केबिल की शक्ति 7 मि0 मी0 व्यास के उच्च तनाव वाले तार से 20 प्रतिशत अधिक थी और यह 'किफायती और साथ ही साथ लाभप्रद' भी था । इस पर राज्य में व अन्य राज्यों में स्थित सरकारी निर्माण कम्पनियों, विद्युत परिषदों इत्यादि के समस्त मुख्य अभियन्ताओं को एक नया प्रस्ताव इस माल को बेचने के लिये परिचालित किया गया (अगस्त 1975) किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला ।

29.75 लाख रुपये (गोदाम पर) मूल्य का 700 मैट्रिक टन का सारा माल भण्डारों में पड़ा था (दिसम्बर 1977) ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि "आर्डर उसी दर और शर्तों पर दिया गया था जो उद्योग निदेशक द्वारा 1972 में स्वीकृत की गयी थी और तब से इस्पात के सभी सामानों की बाजार दरें बढ़ चुकी थी । इसलिये, यह सोचा गया कि यदि फर्म पुरानी दर पर माल देती है तो निगम काफी बचत करेगा" ।

जहां तक उपयोग का प्रश्न है, यह बतलाया गया कि 326 मैट्रिक टन तार का उपयोग गाजीपुर में गंगा पुल के ऊपरी ढांचे (सुपर स्ट्रक्चर) में होने की सम्भावना थी ।

(ज) प्राप्त न हुये माल के लिये भुगतान

अक्टूबर 1973 में, बिलेटर्रिरोलर्स कमेटी (बी० आर० सी०) ने कम्पनी को जालंधर की एक फर्म से 20 मि०मी० और 25 मि० मी० व्यास के 50 मैट्रिक टन नरम इस्पात छड़ों का आवंटन किया । आपूर्ति की शर्तों के अनुसार, माल तैयार होने के सम्बन्ध में सूचना मिलने के तीन दिनों के अन्दर कच्चे बिलों के विरुद्ध 100 प्रतिशत भुगतान किया जाना था और उसके सात दिन के अन्दर माल आपूर्तिकर्ता के कारखाने से उठा लेना था । वरिष्ठ अभियन्ता, हरिद्वार ने बराबर राशि के दो कच्चे बिलों के विरुद्ध 0.73 लाख रुपयों का भुगतान 28 फरवरी 1974 को दिया । कई स्मरण-पत्रों के बाद फर्म ने अगस्त 1974 में माल की सुपुर्दगी की तिथि 3 सितम्बर 1974 सूचित की किन्तु जब कम्पनी का प्रतिनिधि उक्त तिथि को फर्म के कारखाने पर पहुंचा तो वह माल की आपूर्ति करने में असफल रही । फर्म ने न तो माल की आपूर्ति की है और न ही कच्चे बिलों के विरुद्ध किये गये भुगतान को वापस किया है (दिसम्बर 1977) । कम्पनी ने मूलधन, ब्याज और क्षति समेत 1.09 लाख रुपयों की वसूली के लिये फर्म के विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा दायर किया (फरवरी 1977) जो सिविल जज, रुड़की की अदालत में पड़ा है (दिसम्बर 1977) ।

(झ) डबल ड्रम इलैक्ट्रिक / डीजल विंचों का क्रय

अगस्त 1973 में आमंत्रित सीमित उद्धरणों के आधार पर सितम्बर 1973 में कम्पनी ने गाजियाबाद की एक फर्म को 26,000 रुपये प्रत्येक की दर से दस डबल ड्रम इलैक्ट्रिक विंचों की और 5500 रुपये प्रत्येक कारखाने पर (बिक्री-कर अतिरिक्त) की दर से "जीवन' मेक की 30 हार्स पावर की बिजली की मोटरों की आपूर्ति के लिये एक आर्डर दिया । माल की सुपुर्दगी फर्म द्वारा फरवरी 1974 तक की जानी थी । तथापि, फर्म ने अप्रैल 1974 तक केवल तीन विंचों की आपूर्ति की और उसके बाद कोई आपूर्ति नहीं की गई । निर्माण यूनिटों से जोरदार मांग आने पर दस इलैक्ट्रिक डबल ड्रम विंचों की आपूर्ति के लिये अगस्त 1974 में कम्पनी द्वारा नये उद्धरण आमंत्रित किये गये । नवम्बर 1974 में बातचीत द्वारा तय की गई न्यूनतम दर, 2,9000 रुपये प्रत्येक कारखाने पर (बिक्री-कर अतिरिक्त), पर दस और विंचों की आपूर्ति के लिये उसी फर्म को आर्डर दिया गया जिससे पिछले आदेश के विरुद्ध आपूर्ति न किये गये माल पर 0.21 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

पिछले आर्डर के विरुद्ध दस बिजली मोटरों की आपूर्ति करने में फर्म की असफलता के कारण कम्पनी नें दिसम्बर 1974 में एक अन्य फर्म से 30 हार्स पावर की दस बिजली मोटरें 7484 रुपये प्रत्येक की दर से प्राप्त की जिसमें लगभग 0.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

बिना दण्ड की किसी धारा (पैनाल्टी क्लाज) को रखे आर्डर देने के कारण कम्पनी माल की सुपुर्दगी के लिये बाध्य करने में या जोखिम क्रय (रिस्क परचेज) का उपाय अपनाने में असफल रही ।

इसके अलावा, कम्पनी की तीन इकाइयों ने आपूर्तिकर्ता को तदर्थ (एड-हौक) आधार पर अग्रिम भुगतान (1.11 लाख रुपये) किया (मई 1975) जबकि नवम्बर 1974 के आपूर्ति आदेश में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं था । कम्पनी ने एक विंच की आपूर्ति नहीं की जिसके विरुद्ध 0.23 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जा चुका था । जुलाई 1977 में फर्म को अग्रिम भुगतान (0.23 लाख रुपये) और क्षति (0.60 लाख रुपये) के लिये 0.83 लाख रुपये की बसूली हेतु एक कानूनी नोटिस जारी की गई ।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1977) कि चूंकि आर्डर में ऐसी कोई शर्त नहीं थी इसलिये फर्म पर कोई दण्ड (पैनाल्टी) नहीं लगाया जा सका और यह कि फर्म को वर्ज्य सूची (ब्लैक लिस्ट) में शामिल किया जा चुका था । आगे यह भी बतलाया गया कि भविष्य मे सुरक्षा के लिये शर्तों की एक

सूची तैयार की गई थी और उसे मुख्य आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध सामान्य रूप से लागू किया जा रहा था।

(ङ) कानूनी और अन्य व्यय

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 1972–73 की रिपोर्ट के अनुच्छेद 50 में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने फरवरी 1966 में इलाहाबाद में गंगा नदी पर 204.25 लाख रुपये में एक पुल बनाने का कार्य बम्बई की एक फर्म को सौंपा था। ठेकेदार ने आवश्यक औपचारिक कार्यवाहियां पूरी करने के बाद जनवरी 1973 में निष्पादित एक अन्तरिम अनुबन्ध के आधार पर मार्च 1968 में कार्य प्रारम्भ किया। कार्य की धीमी प्रगति और कुछ अन्य विवादों के कारण 12 फरवरी 1973 को अनुबन्ध रद्द कर दिया गया। अनुबन्ध के प्राविधान के अनुसार विवादों को दोनों दलों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को सौंप दिया गया। अप्रैल 1973 से सितम्बर 1976 के दौरान मध्यस्थ ने विभिन्न स्थानों पर 47 दिन अपने सत्र रखे। इसी बीच पुल के निर्माण का कार्य कम्पनी को सौंप दिया गया अतएव मध्यस्थ के मामले की देख-रेख भी इसके द्वारा की जा रही है। इलाहाबाद की इकाई ने, जो इस मामले को देख रही थी, पंचायत फीस, कानूनी व्यय और अन्य अनुषंगी व्ययों पर 1973–74 से 1975–76 के दौरान अपने निजी श्रोतों से 1.05 लाख रुपये का व्यय किया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे प्रदर्शित हो कि राज्य सरकार ने इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का कोई आश्वासन दिया था और यह कि धनराशि सरकार से वसूल कर ली गई है (दिसम्बर 1977)।

(च) ब्रिज डिजाइन डिवीजनों का अस्थायी हस्तान्तरण

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, "हाफ-ए-मिलियन जाब्स/एम्पलायमेण्ट प्रमोशन प्रोग्राम्स" योजना के अन्तर्गत, जिसके लिये राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी, राज्य सरकार ने कम्पनी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बिना ही पहली नवम्बर 1973 से 6 अस्थाई ब्रिज डिजाइन डिवीजनों की कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिया। राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत इनमें से पांच डिवीजन 31 मई 1975 को और एक 31 दिसम्बर 1976 को सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुनः स्थानान्तरित कर दिये गये। यह समझते हुए कि सारी लागत को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जायेगा, कम्पनी ने, जितने समय ये डिवीजन इसके नियंत्रण में रहे, उसके दौरान इनके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा कार्यालयों के अन्य आकस्मिक व्ययों पर 19.80 लाख रुपये का भुगतान किया। किन्तु कोई औपचारिक अनुबन्ध नहीं किया गया था। कम्पनी की मांग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 6 लाख रुपये दिये और कम्पनी को सूचित किया (अक्टूबर 1974) कि निधि की कमी के कारण शेष (13.80 लाख रुपये) कम्पनी को अपने श्रोतों से वहन करना पड़ेगा। कम्पनी ने शीघ्र प्रतिपूर्ति के लिये सरकार से पुनः प्रार्थना की (नवम्बर 1976) जो प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1977)।

लेखा परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर में प्रबन्धकों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई (सितम्बर 1977) कि ये डिवीजन कोई फलदायक कार्य नहीं कर रहे थे किन्तु सरकारी आदेशों के अभाव में इन्हें पुनः स्थानान्तरित नहीं किया जा सका।

(छ) कार्यस्थलीय निवास

कम्पनी के निदेशक मंडल ने सितम्बर 1974 में यह निश्चित किया कि जहां नितान्त आवश्यक हो उन पुल निर्माण स्थलों पर कर्मचारियों की बैरक/शयनागार किस्म की आवासीय सुविधा दी जाय और वह इस शर्त पर कि प्रत्येक पुल निर्माण स्थल के मामले में आवश्यक विशिष्टियां और निर्माण की लागत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा पहले ही अनुमोदित करा ली जाय। प्रबंध निदेशक द्वारा विशिष्टियों और लागत की स्वीकृत हुये बिना ही क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेशों के अन्तर्गत गाजियाबाद (लागत: 6 लाख रुपये) और कासगंज (लागत: 2.92 लाख रुपये) में निर्माण स्थल पर आवासीय स्थानों का निर्माण किया गया था।

गाजियाबाद में आवास स्थान का निर्माण मुख्य निर्माण कार्य-स्थल से 25 कि0 मी0 दूर किया गया था। जिससे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान आवश्यक हो गया है।

3.16. निष्कर्ष

31 मार्च 1977 तक कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कही जा सकती है—

(i) 1976–77 तक की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा व्यावसायिक बैंकों से लिये गये ऋणों की राशि 261 लाख रुपये थी जो पुलों के निर्माण पर हुये व्यय (2,381 लाख रुपये) का केवल 11 प्रतिशत थी। इस प्रकार लिये गये ऋणों का उपयोग आंशिक रूप से स्थापना पर होने वाले अनाच्छादित (अन कवर्ड) व्ययों तथा अन्य ऊपरी खर्चों (1975-76 तक 122.93 लाख रुपये) ऋण पर ब्याज (69.08 लाख रुपये) और कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को देय अतिरिक्त वेतन और भत्ते (लगभग 25 लाख रुपये) के भुगतान में किया गया।

(ii) कम्पनी ने न तो पूर्ण हुये पुलों की कार्य समाप्ति (कम्प्लीशन) रिपोर्ट तैयार की है और न ही इसने उनकी अनुमानित लागत (ब्रिज इंडैक्स के आधार पर परिकलित) की तुलना में उन पर हुये वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करने के लिये कोई विश्लेषण ही किया है। किसी ऐसे संकलन/विश्लेषण के अभाव में, किफायती अथवा न्यायोचित दरों पर कार्य का सम्पादन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

अनुभाग IV

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

4.01. जम गए लुगदी पर व्यय

डाला यूनिट में 3,768 मैट्रिक टन लुगदी जम गई (2,000 मैट्रिक टन जुलाई 1974 में और 1768 मैट्रिक टन मार्च 1975 में) जिसके लिये प्रबंधकों द्वारा निम्नलिखित कारण बताये गये थे--

(i) साइलों का असमान्य रूप से बड़ा होना ;

(ii) लुगदी हिलाने के लिये अपर्याप्त प्रबंध होना ; और

(iii) लुगदी में निब्स की उपस्थिति ।

प्रबंधकों ने और आगे बताया (नवम्बर 1976) कि जमी हुई लुगदी को साइलों से मानवीय श्रम द्वारा हटाई गई और यह भी कि इस समस्या का समाधान लुगदी हिलाने के लिये और अधिक हवा का प्रबंध करके और लुगदी में से निब्स का परिमाण घटाकर किया गया । प्रबंधकों ने यह भी बताया (नवम्बर 1977) कि यह गड़बड़ी त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण थी जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा उच्चतर क्षमता के अतिरिक्त कम्प्रेशर निःशुल्क लगा कर सुधार दिया गया ।

लुगदी को पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिये 2.32 लाख रुपये का व्यय 1.15 लाख रुपये मानवीय श्रम द्वारा हटवाने पर और 1.17 लाख रुपये जम गई लुगदी को पुनः प्रकिया से गुजारने (रीप्रासेसिंग) पर किया गया ।

4.02. क्रशर हैमरों की कमी

डाला यूनिट के खदान भंडार में 31 मार्च 1976 को क्रशर हैमरों का अन्तिम रहतिया 164 था किन्तु अगले वर्ष के नये बिन कार्ड में प्रारम्भिक रहतिया 114 दिखलाया गया ।

इसके अलावा भंडार का वास्तविक सत्यापन करने पर (अगस्त 1976) 55 क्रशर हैमर कम पाये गये (77 बुक बैलेंस के विरुद्ध 22 क्रशर हैमर ही पाये गये)। प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1976) कि 105 हैमरों (पुस्तक मूल्य 1.38 लाख रुपये) की कमी के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है ।

मामले की रिपोर्ट कम्पनी को मई 1977 में और सरकार को अगस्त 1977 में की गई थी । उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

4.03. डेसीकेटर चेनों की खरीद

विकर्स रोटरी भट्टों में इस्तेमाल के लिये डेसीकेटर चेनों की आपूर्ति के लिये चुर्क यूनिट ने अगस्त 1970 में निविदा आमंत्रित किये । माल की उपयुक्तता के संबंध में तकनीकीय राय देने के लिये प्राप्त प्रस्तावों को उत्पादन अभियंता के पास भेज दिया गया । उसने दिसम्बर 1970 में मत व्यक्त किया कि सभी पार्टियां, जिन्होंने निविदा सूचना के उत्तर में रेट दिये है, हैण्ड फोर्ज्ड आर्कवेल्डेड चेनों की आपूर्ति करती आई है जो बहुत दिनों तक नहीं चली और अक्सर उनकी बैल्डिंग की आवश्यकता पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप भट्टों के बेकारी समय में वृद्धि के अतिरिक्त रख-रखाव पर भी बारबार (रेकरिंग) व्यय करना पड़ा और उसने सुझाव दिया कि इस लाइन मे एकमात्र विशेषज्ञ बम्बई की फर्म से माल प्राप्त किया जाय ।

तथापि, कारखाने के क्रय संगठन ने 1775 डेसीकेटर चेनों की खरीद के लिये फरवरी 1971 में कलकत्ता की एक फर्म को आर्डर दिया। आपूर्ति आदेश के अनुसार माल की सुपुर्दगी अप्रैल 1971 के अन्त तक पूरी हो जानी थी और भुगतान माल प्राप्त हो जाने एवं जांच हो जाने पर किया जाना था। फर्म ने निर्धारित समय के अन्दर माल की आपूर्ति नहीं की। अतः सितम्बर 1971 में आर्डर निरस्त कर दिया गया।

फर्म से 1125 डेसीकेटर चेनों के प्रेषण कागजात बैंक के माध्यम से 11 अक्टूबर 1971 को प्राप्त हुये और उन्हें 9 नवम्बर 1971 को 0.84 लाख रुपये का भुगतान करके छुड़ा लिया गया। माल की सुपुर्दगी भी उसी दिन ले ली गई। जब पारेषण खोला गया तो उसमें 0.75 लाख रुपये मूल्य की 990 डेसीकेटर चेने कम पाई गई तथा 0.09 लाख रुपये मूल्य की चेनें लम्बाई में अपेक्षाकृत कम व त्रुटिपूर्ण बेल्डिंग की पाई गईं। फर्म ने 143 डेसीकेटर चेनें और आपूर्ति की (नवम्बर 1971: 81 चेनें, जून 1972:28 चेनें और जुलाई 1972:34 चेनें) जिसमें जांच करने पर सबकी सब त्रुटिपूर्ण पाई गईं और अस्वीकृत कर दी गईं। त्रुटिपूर्ण चेनें भंडार में बेकार पड़ी हैं। यूनिट ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये और अन्य स्थानों से चेनें खरीदी हैं।

मामला राज्य अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन जांच में होना बताया गया है (दिसम्बर 1976)।

मामले की रिपोर्ट प्रबंधकों को जुलाई 1977 में तथा सरकार को अगस्त 1977 में की गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड

4.04. सिल्क धागे की कमी

सिल्क यार्न डिपो, वाराणसी के स्टाक का चार्ज देने/लेने के समय (1 से 11 फरवरी 1974 तक) चार्ज लेने वाले भंडार-प्रभारी द्वारा 0.68 लाख रुपये मूल्य के भंडार की कमी जानकारी में आई। कार्य अवमुक्त भंडार प्रभारी ने प्रबंध निदेशक को दिये गये अपने स्पष्टीकरण में बताया (16 फरवरी 1974) कि उसने अपने पूर्व अधिकारी से 17 नवम्बर 1973 को गाठें गिनवा कर कार्यभार लिया था, वजन करवा कर नहीं। गाठें ऐसी व्यवस्थित थी कि उनमें किये गये किसी हेर-फेर का नग्न आंख से पता लगाना असम्भव था। बाद में यह पता लगा कि गांठों का हेर-फेर किया गया किनारा दीवार की ओर था।

कम्पनी ने अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मामले की जांच कराने के लिये सरकार को रिपोर्ट कर दिया (मार्च 1974)।

प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1977) कि माल की कमी के संबंध में जांच की रिपोर्ट अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्राप्त हो चुकी है और कमी के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने की विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

सरकार को मामले की रिपोर्ट सितम्बर 1977 में की गई थी; उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

4.05. बकायों की वसूली न होना

उत्तर प्रदेश रेशम औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून (एक पंजीकृत सहकारी समिति) द्वारा उत्पादित सिल्क धागे की बिक्री बढ़ाने हेतु कम्पनी ने संघ के साथ एक अनुबन्ध किया (19 अप्रैल 1975) जिसमें अन्य बातों के साथ कम्पनी को एकमात्र बिक्री एजेण्ट के रूप में नियुक्त करने और कम्पनी के द्वारा दिये गये अग्रिम के विरुद्ध संघ का भण्डार कम्पनी के पास बन्धक रखने तथा उस पर बैंक दर से आधा प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज के भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया।

1975–76 के दौरान कम्पनी ने संघ को 12.25 लाख रुपये का अग्रिम दिया जिसमें से 1.08 लाख रुपये (31 मार्च 1976 तक देय 0.87 लाख रुपये ब्याज समेत) बकाया थे (अक्टूबर

1977) । प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1977) कि ऋण की शेष राशि (0.21 लाख रुपये) संघ द्वारा विवादग्रस्त है क्योंकि इसके लेखे के अनुसार कुछ भी बकाया नहीं था । निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा संघ को अवांछनीय गतिविधियों के आधार पर अक्टूबर 1975 में अधिक्रमित कर दिया गया ।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० I) लिमिटेड

4.06. परामर्शदाता को भुगतान

कम्पनी ने 'टर्नकी' के आधार पर दो स्पिनिंग मिलों को एक मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) और दूसरी बाराबंकी में, स्थापना करने के लिये बम्बई की एक परामर्शदात्री फर्म को नियक्त किया (8 फरवरी 1974) । अनुबन्ध के अनुसार परामर्शदात्री फर्म को पारिश्रमिक रूप में, वास्तविक पूंजी लागत (भूमि के लागत को छोड़कर) के 1.9 प्रतिशत की दर से निश्चित अन्तराल पर किश्तों में भुगतान किया जाना था । कार्य नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना था और तत्पश्चात् 12 महीने तक मिलें प्रारम्भ होने के पश्चात् की सेवायें दी जानी थीं । कार्य के स्थगन करने या छोड़ने की अवस्था में परामर्शदात्री फर्म क्षति के रूप में उस राशि के लिये देय थी जो कम्पनी को ठेके की नियत राशि से अधिक व्यय करनी पड़ती ।

दिसम्बर 1975, में कम्पनी के निदेशक मण्डल ने परामर्शदाता द्वारा किये गये निम्न किस्म के काम पर गौर किया और बाराबंकी परियोजना से उसकी सेवायें समाप्त करने का निश्चय किया किन्तु उसे मऊनाथ भंजन में मिलों से सम्बन्धित कार्य करने दिया गया ।

कम्पनी द्वारा बाराबंकी परियोजना के लिये परामर्शदाता को 2.20 लाख रुपये पहिले ही दिये जा चुके थे । दिसम्बर 1975 में कम्पनी ने बाराबंकी परियोजना के लिये किये गये अनुबन्ध को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया ।

परामर्शदाता ने ठेके की अगली संविदागत अवधि (26 अप्रैल 1976 तक) के लिये 5.96 लाख रुपयों का दावा प्रस्तुत किया । फिर भी कम्पनी की धारणा रही कि 26 जनवरी 1976 तक की ही राशि का भुगतान देय होगा क्योंकि परामर्शदाता की सेवायें समाप्त करने के लिये जारी किया गया पत्र 18 दिसम्बर 1975 से प्रभावी होना था और इस तरह देय राशि 4.60 लाख रुपये आती है । कम्पनी ने शेष 2.40 लाख रुपये (2.20 लाख रुपये पहले ही भुगतान किये जा चुके थे) की राशि की देनदारी को परामर्शदाता की असफलता को ध्यान में रखते हुए 1.30 लाख रुपये तक सीमित करने का निश्चय किया जो परामर्शदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया । तदनुसार मार्च 1976 में 1.30 लाख रुपये का और अधिक भुगतान कर दिया गया ।

यद्यपि परामर्शदाताओं की सेवायें असंतोषजनक समझी गयी थीं फिर भी मूल अनुबन्ध में कार्य सम्पन्न करने में विलम्ब के लिये किसी दण्ड तथा ठेका समाप्त करने के ढंग के सम्बन्ध में कोई प्राविधान होने के कारण कम्पनी को 3.50 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा ।

मामले की रिपोर्ट कम्पनी को दिसम्बर 1976 में और सरकार को सितम्बर 1977 में कर दी गई थी, उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० II) लिमिटेड

4.07. निष्क्रिय कम्पनी

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की एक सहायिका के रूप में उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं०II) लिमिटेड का निगमन 20 अगस्त 1974 को हुआ था और

व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज द्वारा पहली अक्टूबर 1974 में जारी किया गया था ।

होल्डिंग कम्पनी के निदेशक मण्डल नें 21 अक्टूबर 1974 को यह निश्चय किया कि सहायिका को निष्क्रिय रखा जाये और इसे सौंपी गई स्पिनिंग परियोजनाओं (झांसी, संडीला, मेरठ और काशीपुर) को होल्डिंग कम्पनी के अपने कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कराया जाये । सहायिका के पास, कम्पनी अधिनियम के प्राविधानों के सांविधिक अनुपालन के अलावा और कोई कार्य नहीं रह गया । 4 अक्टूबर 1977 को होल्डिंग कम्पनी के निदेशक मण्डल ने सहायिका कम्पनी को बन्द कर देने का निश्चय किया, बशर्ते कि इसके लिये सरकार की अनुमति मिल जाये । सहायिका द्वारा 1974–75 में व्यय (0.49 लाख रुपये), स्थापना और अन्य फुटकर व्यय (0.29 लाख रुपये) के रूप में 0.78 लाख रुपये का व्यय किया गया ।

सहायिका को होल्डिंग कम्पनी से 17 अक्टूबर 1974 को एक लाख रुपये प्राप्त हुए थे । 20 जनवरी 1975 से 12 मई 1976 तक की अवधि में सावधि निक्षेप में 0.30 लाख रुपये से 0.60 लाख रुपये के बीच की राशियां जमा कर रखी गयी थी,।

होल्डिंग कम्पनी के प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1977) कि भारत सरकार द्वारा रुग्ण कपड़ा मिलों को नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (यू0 पी0) को स्थानान्तरित करने और राज्य सरकार द्वारा सूती धागों की अधिप्राप्ति तथा उसके वितरण से सम्बन्धित कानूनी मूल्य नियंत्रण उठाने के लिये अध्यादेश जारी करने (अक्टूबर 1974) का निर्णय लाभकर समझा गया था । आगे यह भी बताया गया कि चूंकि सहायक कम्पनी की स्थापना करने में पहले ही व्यय किया जा चुका था अतएव उसे बिल्कुल बन्द कर देने के बजाय निष्क्रिय रखना उचित समझा गया ।

उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

4.08. ऋण की स्वीकृति

देहरादून की एक फर्म ने, जिसे 338 लाख रुपये मूल्य के रबर स्पन्ज वाल्स की आपूर्ति करने के लिये युनाइटेड किंगडम की एक फर्म से आर्डर मिला था, वित्तीय सहायता के तौर पर एक लाख रुपये के एक ऋण के लिये कम्पनी से निवेदन किया (नवम्बर 1967) । उस फर्म को पुनर्भुगतान की शर्तों को समावेश करके एक अनुबद्ध के आधार पर 7 मार्च 1968 को ऋण दिया गया ।

अनुबद्ध की शर्तों के अनुसार फर्म द्वारा एक आवासीय-गृह (2.68 लाख रुपये) कम्पनी के पास बन्धक रख दिया गया । ऋण पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय था । इसके अलावा फर्म द्वारा किये गये कुल निर्यात व्यापार पर 3 प्रतिशत कमीशन कम्पनी को पाना था । देहरादून की फर्म द्वारा निर्यात के समस्त कागजात कम्पनी के माध्यम से भेजे जाने थे और विदेशी खरीदारों से बिक्री-प्राप्ति कम्पनी द्वारा अपने बैंकरों के माध्यम से एकत्र की जानी थी । देहरादून की फर्म ने निर्यात के कागजात कम्पनी के माध्यम से भेजने के बजाय बिक्री-प्राप्ति अपने बैंक के माध्यम से प्राप्त कर ली । ऋण के किसी भी अंश का भुगतान नहीं किया गया (दिसम्बर 1977) ।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, विवाद को मध्यस्थ को सौंप दिया गया जिसने अपने निर्णय में (30 अगस्त 1973) कम्पनी को 28 फरवरी 1974 तक 1.61 लाख रुपये की वसूली का हक दिया और भुगतान न किये जाने की दशा में बन्धक जायदाद बेच दी जानी थी । निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि मामला न्यायालय में न्यायिक पुष्टि में था (दिसम्बर 1977) ।

आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड

4.09. निष्क्रिय पूंजी

कम्पनी की स्थापना 31 मार्च 1976 को की गई थी और 1976-77 के राज्य योजना व्यय (स्टेट प्लान आउट ले) में से सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये (75 लाख रुपये जुलाई 1976 में

और 25 लाख रुपये अगस्त 1976 में) का अभिदान अंश-पूंजी के रूप में किया गया। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य थे (i) आगरा मण्डल में मण्डल के आर्थिक, औद्योगिक और कृषि विकास में सहायता करना, सहयोग करना, उन्नत करना तथा गति प्रदान करना, (ii) भूमि का कटाव रोकने; पर्यटन यातायात का विकास और सिंचाई सुविधाओं आदि का प्रसार करने के लिये लघु नदी घाटी परियोजनाओं को चलाना, इत्यादि।

प्रारम्भ में सरकार से प्राप्त सारी रकम बचत बैंक खातों में (25 लाख रुपये यू0 पी0 कोआप-रेटिव बैंक, आगरा में और 75 लाख रुपये स्टेट बैंक आफ इण्डिया आगरा में) 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर रखी गई थी। तत्पश्चात्, चूंकि हाथ में कोई काम नहीं था और किसी अनुमोदित योजना के अभाव में बड़ी रकम तत्काल व्यय करने की प्रत्याशा न थी, 90.95 लाख रुपये 13 से 61 महीनें की सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा कर दिये गये (अक्टूबर 1976 से जुलाई 1977 तक) लगभग 38 लाख रुपयों के व्यय की योजनाओं पर कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अप्रैल 1977 में विचार किया गया और निधि के निवेश की समीक्षा मई 1977 में की गई।

यदि प्रारम्भ से ही रुपयों को बचत बैंक खातों में रखने के बजाय स्थायी निक्षेप में रख दिया गया होता तो कम्पनी को 1.44 लाख रुपयों की अधिक आय हुई होती।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 1977) कि बड़ी रकमों के व्यय की प्रत्याशा वाली विभिन्न योजनायें सक्रिय रूप से विचाराधीन थीं और इन योजनाओं पर तत्काल व्यय की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता था।

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड

4.10. स्वैच्छिक समापन

उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों के शारदा नहर कमाण्ड क्षेत्र में कृषि विकास कार्यों को चलाने के लिये 2 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी से 4 मार्च 1975 को कम्पनी गठित की गई थी। 31 मार्च 1977 को कम्पनी को पूर्णतया सरकार द्वारा अभिदत्त प्रदत्त पूंजी 47 लाख रुपये थी। कम्पनी व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर पाई थी (दिसम्बर 1977)।

समान उद्देश्यों के लिये शारदा सहायक कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण के गठन (दिसम्बर 1976) पर प्रबन्धकों ने स्वेच्छया कम्पनी को समापित करने का निश्चय किया (जनवरी 1977)। अगस्त 1977 में एक समायक (लिक्विडेटर) की नियुक्ति की गई है। 31 मार्च 1977 तक कम्पनी 0.34 लाख रुपये का प्रारम्भिक व्यय कर चुकी थी।

समय-समय पर कम्पनी के द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्राप्त रकम निम्न प्रकार से सावधि निक्षेपों में निविष्ट की गई थी :—

प्राप्ति		निवेश	
दिनांक	रकम (लाख रुपयों में)	दिनांक	रकम (लाख रुपयों में)
29 मार्च 1975	15.00	14 मई 1975	14.95
22 जनवरी 1976	8.50	30 जनवरी 1976	8.50
13 अप्रैल 1976	23.50	11 अगस्त 1976	23.50
24 दिसम्बर 1976	20.00		20.00 लाख रुपये शारदा सहायक कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण को 25 फरवरी 1977 को हस्तान्तरित कर दिये गये।

पन्द्रह दिनों की छूट दे देने के उपरान्त निधि का निवेश करने में पहले मामले में एक महीने तथा तीसरे मामले में 31/2 महीने का बिलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 8 प्रतिशत की दर से 0.65 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई। प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इन दोनों मामलों में असमान्य बिलम्ब हुआ।

गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड

4.11. स्वैच्छिक समापन

गोरखपुर और देवरिया जिलों में सिंचाई व्यवस्था तथा अन्य आनुषंगिक उद्देश्यों का विकास करने के लिये 2 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से 15 मार्च 1975 को कम्पनी का गठन किया गया था। व्यवसाय आरम्भ करने का प्रमाण-पत्र 2 जनवरी 1976 को प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 1977 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 46 लाख रुपये थी।

कम्पनी ने कोई व्यवसाय नहीं किया और समान उद्देश्य के लिये गण्डक कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण का गठन (दिसम्बर 1976) होने के कारण प्रबन्धकों ने कम्पनी की स्वेच्छया समापन करने का निश्चय किया (जनवरी 1977) जो सरकार द्वारा जनवरी 1977 में अनुमोदित किया गया। 31 मार्च 1977 तक कम्पनी ने प्रारम्भिक व्यय के रूप में 0.34 लाख रुपये खर्च किया था।

नवम्बर 1975 से जनवरी 1977 तक की अवधि के दौरान निश्चित संभ्रांतजनों के सत्कार में 0.10 लाख रुपये का व्यय किया गया था। समापन निर्णय के बाद स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद पर 0.40 लाख रुपये व्यय किये गये (फर्नीचर और कैलकुलेटिंग मशीन: 0.04 लाख रुपये, मोटरकार: 0.31 लाख रुपये, मोटरकार के लिये एक गैरेज के निर्माण पर: 0.05 लाख रुपये)। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि ये परिसम्पत्तियां अब गंडक कमांड एरिया विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दी गई है।

कृषक सेवा समितियों (फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज) के पुनर्गठन और वित्तीय सहायता की योजना के लिए उपदान के रूप में 31 मार्च 1977 को गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को क्रमशः 1.67 लाख रुपये और 0.84 लाख रुपये प्रदान किये गये। योजना, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, गोरखपुर द्वारा उसी दिन प्रस्तुत की गई थी।

प्रबन्धकों/सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि कृषक सेवा समितियों की योजना तथा उपदान का भुगतान निदेशक मंडल द्वारा 29 अप्रैल 1977 को अनुमोदित किया जा चुका था।

एक विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी ने स्वैच्छिक समापन का संकल्प किया (7 जून 1977) और एक समापक की नियुक्ति की जिसने 8 जून 1977 को कार्यभार ग्रहण किया। 16 अगस्त 1977 को हुई कम्पनी की अंतिम बैठक में समापक का विवरण स्वीकार (एडाप्ट) कर लिया गया और यह निर्णय किया गया कि कम्पनी के अभिलेख और लेखा पुस्तकें गंडक कमांड एरिया विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दी जायं।

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड

4.12. ग्राहक द्वारा मक्खन की अस्वीकृति

दिसम्बर 1975 से फरवरी 1976 तक की अवधि के दौरान 20.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 80 टन डिब्बाबन्द मक्खन की आपूर्ति करने के लिए दिसम्बर 1975 में कम्पनी ने आर्मी परचेज आर्गेनाइजेशन (प्रतिरक्षा विभाग की एक इकाई) से एक अनुबन्ध किया।

31 दिसम्बर 1975 से 15 जनवरी 1976 तक की अवधि के दौरान निर्धारित 21.42 मैट्रिक टन मक्खन में से 11.40 मेट्रिक टन ग्राहक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया जनवरी/ फ़रवरी 1976) क्योंकि :

(i) माल का निबल भार निर्दिष्ट परिमाण से कम था;

(ii) माल तलीय बदरंगीकरण तथा स्पष्ट फंफूंदी वृद्धि से मक्त नहीं था; और

(iii) प्रतिग्राम मक्खन में खमीर और फंफंद गणना विशिष्टि से अधिक थे ।

अस्वीकृति के बावजूद कम्पनी आपूर्ति के लिय डिब्बाबन्द मक्खन का उत्पादन करती रही । बाद में उन्हीं आधारों पर 45.05 मेट्रिक टन और मक्खनक्रेता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

कुल अस्वीकृत उत्पादन की मात्रा 56.45 मेट्रिक टन थी । इसे कहीं अन्यत्र अंशतः बेंचने और शेष मक्खन को पुर्नप्रक्रिया करके उसे घी में परिवर्तित करने में कुल 2.03 लाख रुपये की हानि हुई । प्रतिरक्षा विभाग द्वारा 0.88 लाख रुपये की क्षति का दावा जून 1977 में किया जिसे कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

सरकार द्वारा बताया गया (दिसम्बर 1977) की अस्वीकृति के कारणों की जांच की गई और प्रतिग्राम खमीर और फंफूंद के परिणाम को विनिर्देशों की सीमा के अन्दर ही रखने के लिए डिब्बों की दरारों (सीम) और जोड़ों पर 'बटर पेपर' का प्रयोग किया गया । आर्मी परचेज आर्गेनाइजेसन के उच्चतर अधिकारियों से भी मामले के संबंध में बात की गई किन्तु कोई फल न निकला और मक्खन अस्वीकृत कर दिया गया ।

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड

4.13. मोटे ऊनी कपड़े की मिल

अगस्त 1971 में कम्पनी ने ऊनी धागा, ऊनी रेशा और कम्बल इत्यादि बनाने के लिए एक मोटे ऊन के मिल की स्थापना करने का निश्चय किया । कम्पनी ने नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, (एन०आई०डी०सी०) को एक परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए कहा (नवम्बर 1971) जो अप्रैल 1972 में प्राप्त हुई । परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पूंजी की आवश्यकता 64 लाख रुपये आंकी गई थी (मशीनें व गुदड़ इत्यादि के आयात के लिए वांछित 20 लाख रुपये समेत) कारखाने की स्थापना अकबरपुर (फैजाबाद) में की जानी थी । कम्पनी ने अप्रैल 1972 में परियोजना रिपोर्ट स्वीकार कर ली और 4.23 लाख रुपये पर डिजाइन तैयार करने तथा मशीन की स्थापना करने का कार्य एन०आई०डी०सी० को सौंपा (एन०आई० डी०सी० द्वारा जून 1972 में स्वीकृत) । कम्पनी को 12 करघों तथा 600 तकलियों के साथ मिल स्थापित करने का आशय-पत्र दिसम्बर 1972 में मिला; संयंत्र और उपकरणों की आपूर्ति के लिये नवम्बर 1973 में सारे विश्व से टेंडर मंगाये गये किन्तु प्राप्त एकमात्र टेंडर के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया । इसी बीच कम्पनी ने 0.16 लाख रुपये की लागत से 7 एकड़ भूमि का क्रय किया और उस पर बाड़ लगवाने (फैंसिंग) इत्यादि पर 0.60 लाख रुपये व्यय किये ।

कम्पनी ने परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था निम्न प्रकार करने का निश्चय किया:

(i) 38 लाख रुपये का ऋण लेकर;

(ii) शेयरों के लिये और मांग करके 19 लाख रुपये; और

(iii) भारत सरकार से 7.00 लाख रुपये का उपदान प्राप्त कर।

चूंकि संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं था कम्पनी ने सह उद्यम के लिये निजी पार्टियों को आमंत्रित किया (जुलाई 1975) । दिल्ली की एक पार्टी ने पूंजीनिवेश के लिये 14.12 लाख रुपये देने का प्रस्ताव किया किन्तु कम्पनी ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया । दिल्ली की पार्टी ने अपना प्रस्ताव

सितम्बर 1976 में वापस ले लिया । सितम्बर 1976 में कम्पनी ने एन0आई0डी0सी0 को पुनः परामर्श देने को कहा (i) क्या परियोजना अब भी सम्भाव्य थी; और (ii) वर्तमान लागत दर के आधार पर सम्भावित पूंजी लागत; एन0आई0डी0सी0 की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 1977.) । इसी बीच एक निजी पार्टी ने सहउद्यम के लिए कम्पनी से प्रस्ताव किया (जनवरी 1977) । कम्पनी ने कोई निर्णय नहीं लिया था (अक्टूबर 1977) । बहरहाल, मई 1977 में राज्य सरकार ने कम्पनी को इस मामले में और कुछ न करने की सलाह दी ।

इस योजना पर कम्पनी 1.47 लाख रुपये (0.76 लाख रुपये भूमि तथा बाड़ आदि लगवाने पर: 0.10 लाख रुपये सम्भाव्यता रिपोर्ट पर: 0.50 लाख रुपये परामर्शदाताओं की फीस और 0.11 लाख रुपये विविध मदों पर)व्यय कर चुकी है।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण परियोजना पर कार्य निलम्बित रहा और यह कि एक उपयुक्त सहयोगी की तलाश करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

4.14. निष्क्रिय उपकरण

कम्पनी ने नवम्बर 1973 में हैदराबाद की एक फर्म से 300 क्विंटल प्रतिदिन पेराई की क्षमता का एक क्रशर (मूल्य 0.72 लाख रुपये) निचलौल में गन्ना पेराई के लिये खरीदा । इसका वहां उपयोग किया गया और फिर इसे रुद्रपुर फैक्टरी को स्थानान्तरित कर दिया गया (अक्टूबर 1974) । जहां से इसे उसी महीने में चित्तौड़ को पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया जहां पर इसने 1974–75 और 1975–76 में क्रमशः 1730 और 570 क्विंटल गन्ने की पेराई की । चूंकि अन्तर्निहित त्रुटियों के कारण क्रशर का निष्पादन कम्पनी द्वारा संतोषजनक नहीं समझा गया इसलिये 1976–77 के पेराई मौसम में इसका उपयोग नहीं किया गया । चित्तौड़ा गिल की पेराई की आवश्यकता पूरी करने के लिये कम्पनी ने समान क्षमता का एक और क्रेशर नवम्बर 1976 म मुरादाबाद की एक फर्म से 1.20 लाख रुपये में खरीदा (26 दिसम्बर 1976 को स्थापित किया गया) । हैदराबाद की फर्म से पहले खरीदा गया एक्सपेलर पूर्णरूपेण उपयोग में नहीं लाया गया है । प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1977) कि उसे आपाती रूप में रख लिया गया था और नये संयंत्र की पेराई क्षमता से अधिक परिमाण में गन्ना उपलब्ध होने पर उसे उपयोग में लाया जायेगा।

4.15. बिक्री-कर

निर्धारण वर्ष 1974–75 के लिये कम्पनी क लिये 1.35 लाख रुपये बिक्री कर का आकलन किया गया जिसका भुगतान मई 1976 तक कर दिया जाना था । कम्पनी ने 0.81 लाख रुपये का भुगतान निर्धारित समय में कर दिया और शेष 0.54 लाख रुपये का भुगतान सितम्बर 1976 और जून 1977 में किया गया जिसका कारण निधि की कमी बतलाई गयी । बिक्री-कर का बिलम्ब से भुगतान करने के लिये बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा 0.16 लाख रुपये का अक्षम्य अर्थदण्ड लगाया गया है (जुलाई 1976) ।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण बिक्री-कर का भुगतान करने में बिलम्ब हुआ और यह कि निगम ने बिक्री कर दायित्व के पुर्ननिर्धारण के लिये अपील की है ।

4.16. बिजली क चार्ज का भुगतान

कम्पनी ने कादीपुर (सुल्तानपुर) स्थित अपनी छोटी चीनी मिल के लिए 112 किलो वाट (150 हार्स पावर) का एक कनेक्शन 18 दिसम्बर 1972 से लिया था । कनेक्शन ली गई बिजली का उपयोग नवम्बर 1974 से जून 1977 तक की अवधि के दौरान नहीं किया

जा सका जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के रेट शेड्यूल में दिये गये न्यूनतम चार्ज (2,800 रुपये प्रति मास) की दर से भुगतान करना पड़ा। उसी अवधि में कम्पनी ने न्यूनतम चार्ज के तौर पर 0.90 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसके खिलाफ वस्तुतः उपभोग की गई बिजली का दाम 0.15 लाख रुपये था जिसके परिणामस्वरूप 0.75 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मासिक बिलों का भुगतान न करने के कारण कारखाने को परिसर को 5 मार्च 1976 को असमबद्ध कर दिया गया; 0.57 लाख रुपयों के बकाया के विरुद्ध 0.48 लाख रुपये का भुगतान करने पर नवम्बर 1976 में पुनः कनेक्शन दिया गया (शेष 0.09 लाख रुपये का भुगतान दिसम्बर 1976 में किया गया)। अपने रेट शेड्यूल के प्राविधानों के अनुसार परिषद् ने, प्रति 100 रुपये प्रति दिन पर सात पैसे की दर से, अतिरिक्त हर्जाना लगाया, जिसका योग नवम्बर 1974 से जून 1977 तक की अवधि तक के लिए 0.10 लाख रुपये हुआ, इसका भुगतान अभी किया जाना है (दिसम्बर 1977)।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 1977) कि न्यूनतम चार्ज का भुगतान परिषद् के रेट शेड्यूल के अनुसार किया गया था और बिजली की रुक-रुक कर होने वाली आपूर्ति तथा फैक्टरी का चालन मौसमी ढंग का होने के कारण अनुबंधित बिजली का उपयोग नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया (अक्टूबर 1977) कि मौसम के बाद बिजली का उपयोग करने के लिए अन्य आनुषंगिक इकाईयों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड

4.17. सहायक कम्पनी का समापन

10 लाख रुपयों की अधिकृत पूंजी से, बुन्देलखंड कंक्रीट स्ट्रकचरल्स लिमिटेड का गठन 2 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से कम्पनी की एक सहायक संस्था के रूप में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य (क) प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट इलैक्ट्रिक पोल और ब्रिजस्पैन, पूर्व निर्मित मकान, खम्भे, स्लैब, और अन्य सभी प्रकार के प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट के उत्पादनों, (ख) ईंट, सीमेंट, चूना के रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के पोल, इत्यादि की रचना और उनका निर्माण करने का व्यवसाय करना था।

प्रीस्ट्रेस्ड/रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल का निर्माण करने का कारखाना स्थापित करने के लिए सहायक कम्पनी द्वारा फरवरी 1974 में भूमि (तीन एकड़) क्रय की गई। किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय किया (जुलाई 1974) की अग्रिम आदेशों तक भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

चूंकि पोल की मांग कम हो गई इसलिये कम्पनी के निदेशक मंडल ने 19 अप्रैल 1976 को सहायक कम्पनी के समापन का निर्णय लिया। सहायक कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा इस निर्णय की पुष्टि 8 अक्टूबर 1976 को की गई।

कम्पनी और दूसरे सहयोगी अर्थात् उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को कोई शेयर नहीं जारी किये गये। मई 1976 तक कम्पनी 1.58 लाख रुपये का पूंजी व्यय और 0.82 लाख रुपये का राज व व्यय (स्थापना 0.34 लाख रुपये प्रारम्भिक व्यय 0.24 लाख रुपये सीमेंटः 0.09 लाख रुपये और विविधः 0.15 लाख रुपये) कर चुकी थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 1977) कि 2.40 लाख रुपये का व्यय निष्फल नहीं होगा क्योंकि कम्पनी ने निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सहायक कम्पनी समाप्त की गई थी और पूंजी के अभिदान के अनुपात में उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड से उसकी वसूली की जायेगी।

4.18. निष्क्रिय मशीनें

1973–74 के दौरान खरीदे गये 2.58 लाख रुपय मूल्य के आठ रा स्टोन क्रशर में से तथा 1974–75 के दौरान खरीदे गये 0.67 लाख रुपये के दो रोलर क्रशर में स केवल एक

कगार (0.32 लाख रुपये) उपयोग में लाया गया (नवम्बर 1975) और अन्य अप्रतिष्ठापित पड़े थे (अक्टूबर 1977)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 1977) कि भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण मशीनें और पहले नहीं प्रतिष्ठापित की जा सकीं और उन्हें प्रतिष्ठापित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड
और
उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

4.19. बिक्री-कर का अधिक भुगतान

26 मई 1975 से संशोधित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य में स्थित केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकार द्वारा स्वामित्व की गई या नियंत्रित किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम के सभी कार्यालय अपने स्वयं के प्रयोग के लिए किसी भी वस्तु का क्रय (लेकिन दुबारा बिक्री के लिए या किसी वस्तु के निर्माण या पैकिंग में प्रयोग के लिए नहीं) बिक्री-कर की रियायती दर पर अर्थात् 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत और उसके बाद 4 प्रतिशत, कर सकती थी। यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध थी जब कि संबंधित क्रयकर्ता अधिकारी, बिक्री-कर विभाग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में विक्रय व्यापारी को एक घोषणा प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इसमें से चार कम्पनियों ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 7.27 लाख रुपये बिक्री-कर द्वारा अधिक भुगतान किया:—

कम्पनी का नाम	अवधि	खरीदे गये सामान का कुल मूल्य	अधिक भुगतान किये गये बिक्री-कर की रकम
		(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन लिमिटेड (बाराबंकी यूनिट)	मई 1975 से अप्रैल 1977	13.21	0.39
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	सितम्बर 1976 से जून 1977	13.13	3.06
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	जनवरी 1976 से मई 1977	119.90	3.61
उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	जून 1975 से मार्च 1976	3.68	0.21
		योग ..	7.27

उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धकों ने बताया अक्टूबर 1977 में (राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1977 में पुष्टित) कि बिक्री-कर अधिनियम में रियायत के बारे में कम्पनी को सर्वप्रथम जनवरी 1976 में पता चला और उसके तत्काल बाद बिक्री-कर विभाग से इसके पंजीकरण के लिये कार्यवाही की गई।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम का संशोधन निगम को प्राप्त नहीं हुआ था। कानूनी व्यवस्था की सुनिश्चित व्याख्या के अभाव में संबंधित इकाइयों को पूरी दर पर बिक्री-कर (अधिभार सहित) का भुगतान करना पड़ा। यह भी बताया गया कि अधिक भुगतान किये गये बिक्री-कर की वापसी का दावा करने के लिए यूनिटों को पहले ही कहा जा चुका है और छाता और चांदपुर की चीनी मिलों से संबंधित 0.74 लाख रुपये प्राप्त किये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन के संबंध में सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

अध्याय II

सांविधिक निगम

अनुभाग V

5.01. प्रस्तावना

31 मार्च 1977 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे, यथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की स्थापना विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1959 को हुई थी । परिषद् को पिछले वर्ष में 1282.70 लाख रुपये की हानि के विरुद्ध वर्ष 1976–77 के दौरान 417.86 लाख रुपये की हानि हुई ।

(i) ऋण पूंजी

1976–77 के अन्त में परिषद् द्वारा प्राप्त सरकारी ऋणों, बाण्डों, ऋण-पत्रों और निक्षेपों सहित दीर्घावधि ऋणों का योग 1508.01 करोड़ रुपये था और गत वर्ष के अन्त में 1300.76 करोड़ रुपये के कुल दीर्घावधि ऋणों के ऊपर 207.25 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रतिदर्शित करता था ।

(ii) गारंटियां

दिसम्बर 1976 के अन्त में ऋणों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान के लिये परिषद् की ओर से सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का योग 209.91 करोड़ रुपये था जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर 1976 को 146.97 करोड़ रुपया बकाया था ।

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की उच्चतम धनराशि*	31 दिसम्बर 1976 को बकाया धनराशि*
	(करोड़ रुपयों में)	
बाण्डों का सार्वजनिक निर्गमन	62.53	62.53
वित्तीय संस्थायें (बैंकों सहित)	147.38	84.44
योग ..	209.91	146.97

सरकार ने असीमित दायित्व के साथ डायरेक्टर जनरल, सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल्स के माध्यम से क्रय किये गये भण्डारों की कीमत के भुगतान और भाड़ा और अन्य देयों का रेलवे बोर्ड को भुगतान की गारण्टी दी है ।

(iii) वर्ष 1976–77 के लिये परिषद् के कार्य-कलापों के सारांशित वित्तीय परिणाम दर्शाते हुए एक रूपरेखात्मक विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है ।

---

* आंकड़े वर्ष 1976–77 के वित्त लेखाओं के अनुसार ।

(ख) अन्य सांविधिक निगम

(I) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना पहली जून 1972 को हुई थी। नवम्बर 1976 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 1972–73 वर्ष के लेखे पहली बार तैयार किये गये थे (अक्तूबर 1977)। लेखाओं ने 88.72 लाख रुपये (पूंजी पर ब्याज छोड़कर) की हानि दर्शायी। 1973–74 और उसके बाद के लेखे निर्धारित प्रपत्रों में नहीं तैयार किये गये हैं (नवम्बर 1977)।

गारंटियां

सरकार ने 31 मार्च 1976 तक निगम द्वारा लिए गए ऋणों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान की गारन्टी दी है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

स्रोत	सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की उच्चतम धनराशि*	गारन्टी दी गई और 31 दिसम्बर 1976 को बकाया धनराशि*
		(लाख रुपयों में)
एक वाणिज्यिक बैंक	1100.00	1100.00
इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया ..	755.00	755.00
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	100.00	100.00

(II) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1962 की धारा 31 (10) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के वार्षिक लेखे, उन पर सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, निगम की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष आगामी 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर दिये जाने चाहियें। वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने और अपनाने में विलम्ब के बारे में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1975–76 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 5.01 (ख) (II) में जिक्र किया गया था। अक्तूबर 1977 में पूर्ण हुए और अपनाए गए वर्ष 1975–76 के लेखाओं को वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977) वर्ष 1976–77 के लेखे बकाया है। पिछले वर्ष (1974–75) में 6.75 लाख रुपये के शुद्ध लाभ के विरुद्ध 1975–76 के दौरान निगम ने 53.37 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

(III) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(i) पूंजी

31 मार्च 1977 को पूंजी 375 लाख रुपये थी जो पिछले वर्ष के अन्त में 300 लाख रुपये की पूंजी के ऊपर 75 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित करती है।

(ii) दीर्घावधि ऋण

31 मार्च 1977 को निगम द्वारा प्राप्त दीर्घावधि ऋणों का शेष 2732.55 लाख रुपये था। आर्थिक स्रोतों के अनुसार शेष का ब्यौरा नीचे दिये गये अनुसार था:—

स्रोत	धनराशि (लाख रुपयों में)
राज्य सरकार	49.12
बाण्डों का सार्वजनिक निर्गमन	1529.88
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया	1153.55
योग ..	2732.55

*आंकड़े वर्ष 1976–77 के वित्त लेखाओं के अनुसार

(iii) गारन्टियां

राज्य सरकार ने अंशपूंजी को चुकाने और उस पर वार्षिक लाभांश के भुगतान, बाण्डों को चुकाने और उन पर ब्याज का भुगतान आदि की गारन्टी दी है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:—

सूक्ष्म विवरण	गारन्टी की गई अधिकतम धनराशि*	31 मार्च 1976 को बकाया धनराशि*
	(लाख रुपयों में)	
अंशपूंजी (3½ प्रतिशत वार्षिक लाभांश की भी गारन्टी)	420.00	420.00
बाण्ड्स (उन पर ब्याज की भी गारन्टी)	1500.00	1499.00

(iv) लाभ

पिछले वर्ष के दौरान 100.83 लाख रुपये के लाभ, जो 300 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 33.6 प्रतिशत प्रदर्शित करता है, के विरुद्ध 1976-77 के दौरान निगम ने 93.24 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया जो 375 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 24.9 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।

5.02. तीन निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य-कलापों के सारांशित आर्थिक परिणाम दर्शाते हुए आधुनिकतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर एक रूप रेखात्मक विवरण परिशिष्ट II में दिया है।

*आंकड़े वर्ष 1976-77 के वित्त लेखाओं के अनुसार।

अनुभाग VI

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

ओबरा तापीय शक्ति केन्द्र

6.01. प्रस्तावना

राज्य में चिरकालिक शक्ति की कमी को पूरा करने और सिंगरौली में उपलब्ध कोयले के उपयोग हेतु सरकार ने सन् 1959 में ओबरा (मिर्जापुर) में एक तापीय शक्ति केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया। एक रूसी फर्म द्वारा तैयार की गयी (1959) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार द्वारा 1962 में स्वीकार की गयी। 250 मेगावाट की (50 मेगावाट प्रति की पांच इकाइयां) उत्पादन क्षमता वाले ओबरा तापीय संयंत्र का निर्माण मई 1965 में प्रारम्भ किया गया और सभी इकाइयां जुलाई 1971 तक 40.57 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से चालू की गयीं। 64.99 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से 100 मेगावाट प्रति की तीन और इकाइयां लगाकर शक्ति केन्द्र की उत्पादन क्षमता 550 मेगावाट तक बढ़ाने के लिये संयंत्र के विस्तार का कार्य सितम्बर 1969 में शुरू किया गया और जनवरी 1975 में पूरा किया गया।

6.02. संगठनात्मक स्थिति

शक्ति केन्द्र की व्यवस्था एक सामान्य प्रबन्धक तथा तीन उप सामान्य प्रबन्धकों द्वारा होती है जिन्हें क्रमशः प्रशासन, परिचालन, रख-रखाव एवं नयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है। परिचालन एवं रखरखाव से सम्बन्धित लेखाओं के लिये एक वरिष्ठ लागत लेखाकार उत्तरदायी है और निर्माण कार्य से सम्बन्धित लेखाओं के लिये एक लेखा अधिकारी है।

6.03. विस्तार परियोजना (एक्सटेंशन प्रोजेक्ट)

जबकि मूल परियोजना (5×50 मेगावाट) कार्यान्वयन के अन्तर्गतथी परिषद् ने कृषि जरूरतों और औद्योगीकरण के बढ़ते हुए उत्साह से उत्पन्न शक्ति की मांगको पूरा करने और साथ ही सिंगरौली के विशाल कोयला भण्डारों के सद् उपयोग के लिये ओबरा में विस्तरण परियोजना (स्तर I) को आरम्भ करने का निश्चय किया (सितम्बर 1966)। अगस्त 1969 में तैयार की गयी परियोजना रिपोर्ट में 31.31 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत से 100 मेगावाट प्रति की तीन इकाइयां लगाने का प्राविधान था। संयंत्र की आपूर्ति, निर्मिति और प्रारम्भ करने का काम सितम्बर 1969 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को सौंपा गया। कलकत्ता की एक निजी फर्म को अक्तूबर 1979 में परिषद् के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया और मई 1976 तक उसे 50.71 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(i) परामर्शदाता को क्षतिपूर्ति

परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये कार्यक्रमानुसार 100 मेगावाट सेट्स की आपूर्ति, निर्मिति और प्रारम्भ को नियमित व समन्वित करने के लिये आपूर्तिकर्ता के साथ परिषद् द्वारा एक अनुबन्ध प्रतिपादित नहीं करवाया गया। परामर्शदाता फर्म के साथ किये गये अनुबन्ध में जनवरी 1973 तक इसकी सेवाओं का प्राविधान था। विस्तरण इकाइयों के चालू होने में विलम्ब के कारण परिषद् के परामर्शदाता का कार्यकाल जनवरी 1973 से सितम्बर 1975 (33 मास से) बढ़ा दिया गया। बढ़े हुए कार्यकाल के लिये परामर्शदाता का 13.30 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति का दावा परिषद् के विचार के लिये पड़ा हुआ है (दिसम्बर 1977)।

(ii) निर्माण और संयंत्र एवं उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित कार्यक्रमानुसार नहीं हो पायी। मूल कार्यक्रम की तुलना में निजी विस्तरण इकाइयों के चालू होने में विलम्ब की सीमा निम्नांकित है:—

विस्तरण इकाई	मूल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रारम्भ होने का मास	मास जिसमें वस्तुतः कार्यारम्भ वाणिज्य भार पर हुआ	विलम्ब की सीमा महीनों में
I	अगस्त 1971	अक्तूबर 1973	26
II	अप्रैल 1972	दिसम्बर 1974	32
III	नवम्बर 1972	जनवरी 1976	38

जुलाई 1977 में परियोजना प्रबन्धकों द्वारा विस्तरण इकाइयों के प्रारम्भ होने में विलम्ब का कारण (i) मशीन और संयंत्र की आपूर्ति में विलम्ब, (ii) सिविल कार्य के पूरा होने में विलम्ब, (iii) सीमेन्ट और इस्पात का अभाव एवं अनुपलब्धि आदि को बतलाया गया। यह अनुमान लगाया गया (जुलाई 1977) कि इकाइयों के प्रारम्भ होने में देरी के फलस्वरूप पूंजी लागत 31.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 64.99 करोड़ रुपये हो गयी थी। परियोजना प्रबन्धकों द्वारा बताये गये पूंजी लागत में बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण थे (i) संयंत्र एवं उपकरण और निर्माण सामग्री की कीमत में बढ़ोत्तरी (23.20 करोड़ रुपये), (ii) कुछ मदों के लिए अपर्याप्त प्राविधान और प्राविधान का अभाव (8.74 करोड़ रुपये), और (iii) बढ़ी हुई मजदूरी, वेतन आदि (1.74 करोड़ रुपये)।

6.04. संयंत्र परिचालन एवं बन्दी (प्लांट ऑपरेशन एवं आउटेजेज)

शक्ति केन्द्र में 50 मेगावाट प्रत्येक की पांच इकाइयां और 100 मेगावाट प्रत्येक की तीन इकाइयां हैं। 50 मेगावाट और 100 मेगावाट के सेट भिन्न-भिन्न संयंत्र विशिष्टियों पर आधारित हैं। अलग-अलग क्षमताओं के सेटों में बायलरों, टरबाइनों, जनरेटरों, विद्युत उपकरणों और कुशलता तथा उत्पादन अनश्रवण प्रणाली के सन्दर्भ में अलग-अलग परिचालन एवं रख-रखाव सुविधायें हैं।

राज्य सरकार द्वारा मार्च 1972 में नियुक्त एक विद्युत तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में संस्तुति दी कि परिषद् के शक्ति केन्द्रों को थोड़े ही समय में तापीय उत्पादन इकाइयों के लिये 80 प्रतिशत और आगामी दो या तीन वर्षों में 85 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धि (प्लान्ट अवेलेबिलिटी) प्राप्त करने का उद्देश्य रखना चाहिये। तथापि, शक्ति केन्द्र की अधिकांश इकाइयां 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान 80 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पायीं। 1976–77 तक के तीन वर्षों के सम्बन्ध में प्रत्येक इकाई के उपलब्ध घंटे, वास्तविक परिचालन घंटे और संयंत्र उपलब्धि का प्रतिशत नीचे सारणीबद्ध है:

इकाई	1974-75			1975-76			1976-77		
	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालन घंटे	प्रतिशत उपलब्धिता	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालन घंटे	प्रतिशत उपलब्धिता	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालन घंटे	प्रतिशत उपलब्धिता
5×50 मेगावाट सैट्स									
I	8760	6664	76.1	8784	6959	79.2	8760	6746	77.0
II	8760	5337	60.9	8784	5041	57.4	8760	2816	32.1
III	8760	6996	79.9	8784	6494	73.9	8760	6828	77.9
IV	8760	6259	71.4	8784	6540	74.5	8760	7004	80.0
V	8760	6345	72.4	8784	7047	80.2	8760	7295	83.3
पांचों इकायों का कुल निष्पादन	43800	31601	72.1	43920	32081	73.0	43800	30689	70.1

इकाई	1974–75			1975–76			1976–77		
	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालन घंटे	प्रतिशत उप-लब्धिता	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालन घंटे	प्रतिशत उपलब्धिता	उपलब्ध घंटे	वास्तविक परिचालन घंटे	प्रतिशत उप-लब्धिता
3×100 मेगावाट सैट्स									
I	8760	7451	85.1	8784	4859	55.3	8760	6195	70.7
II	2570	1336	52.0	8784	6693	76.2	8760	5580	63.7
III	..	..	..	2184	1739	79.6	8760	6722	76.7
तीन इकाइयों का कुल निष्पादन	11330	8787	77.6	19752	13291	67.3	26280	18497	70.0
केन्द्र का कुल निष्पादन	..	..	74.0	..	..	70.3	..	..	70.2

टिप्पणी– (i) आंकड़े शक्ति केन्द्र के कुशलता, उत्पादन एवं मानीटरिंग खण्डों द्वारा रखे गए संयंत्र अभिलेखों पर आधारित हैं।

(ii) केन्द्र की कुल प्रतिशत उपलब्धिता कुल लगाई गयी क्षमता के सन्दर्भ में उपलब्ध कार्य क्षमता घंटों के आधार पर निकाली गयी है।

1976-77 तक के तीन वर्षों की अवधि में शक्ति केन्द्र के उत्पादन सैटों के संबंध में बंदी (अउटेजिज) का विवरण नीचे दिया गया है :

	बंदी (घंटों में)					
	5×50 मेगावाट सेट्स			3×100 मेगावाट सेट्स		
	1974–75	1975–76	1976–77	1974–75	1975–76	1976–77
(क) बाह्य						
(i) ग्रिड में मांग का अभाव	..	379	147	..	112	48
(ii) ग्रिड में बाधायें	42	23	29	..	..	8
(iii) भट्टी तेल की अनुपलब्धि	..	385	147	..	..	..
(iv) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभियंताओं द्वारा तकनीकी अभ्यक्तियों के अन्तर्गत	129	..	..	..	..	..
योग	171	787	323	..	112	56
(ख) आन्तरिक						
(i) वृहत् ओवर हालिंग	4075	2920	..	..	2218	..
(ii) वार्षिक रखरखाव/निरीक्षण	1903	1094	3368	339	161	2997
(iii) जनरेटर को क्षति	..	..	4847	..	..	..
(iv) कोयला हैण्डलिंग प्लांट में आग	329	61	..	..	480	..

	बंदी घंटों में					
	5×50 मेगावाट		सेट्स	3×100 मेगावाट		सेट्स
	1974–75	1975–76	1976–77	1974–75	1975–76	1976–77
(v) निम्न के चलन के दौरान विभिन्न गड़बड़ियों/टूटफूट की मरम्मत व सुधार–						
बायलर ..	5721	6793	4509	2204	3480	4564
टरबाइन ..	..	17	64	..	10	10
जनरेटर ..	..	167	..	..	..	156
योग ..	12028	11052	12788	2543	6349	7727
योग (क) + (ख) ..	12199	11839	13111	2543	6461	7783

टिप्पणी:---ये आंकड़े शक्ति केन्द्र के कुशलता, उत्पादन एवं मानीटरिंग खण्डों द्वारा रखे गए संयंत्र अभिलेखों पर आधारित हैं।

(क) वृहत ओवर हालिंग और वार्षिक रख रखाव

भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी परामर्शदात्री समिति (बड़े तापीय शक्ति केन्द्रों में रख-रखाव प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु) ने अपने जून 1972 के प्रतिवेदन में संस्तुति दी कि वृहत् ओवर हालिंग व वार्षिक रख-रखाव की अवधि घटाकर क्रमशः 6 और 3 सप्ताह होनी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विद्युत् तकनीकी समिति ने अपने दिसम्बर 1972 के प्रतिवेदन में बतलाया कि समुचित रखरखाव, परिचालन कार्यक्रम और तकनीकी एवं परिचालन कर्मचारियों के सुसंगठन से परिषद् को यह अवधि घटाकर क्रमशः 8 और 4 सप्ताहों, अर्थात् 1344 एवं 672 घंटे तक कर सकना सम्भव होगा।

प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार वृहत् ओवर हालिंग की जाना आवश्यक है। कुछ इकाइयों की वृहत् ओवर हालिंग के लिये शक्ति केन्द्र द्वारा लिया गया समय अत्यधिक था जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

इकाई	अवधि		लिये गये घंटे
50 मेगावाट			
II	जनवरी से जून 1975	..	3720
III	सितम्बर 1973 से अप्रैल 1974	..	5118
V	अगस्त से सितम्बर 1974	..	2174
100 मेगावाट			
I	अगस्त से नवम्बर 1975	..	2218

50 मेगावाट की इकाई I की 1974–75 से 1976–77 की अवधि में वृहत् ओवर हालिंग नहीं की गयी और 100 मेगावाट की II और III इकाइयों की 1976-77 तक नहीं की गयी। 50 मेगावाट की इकाई IV की ओवर हालिंग में लिया गया समय (901 घंटे) सामान्य था।

इसी प्रकार, शक्ति केन्द्र के कुछ टर्बोजनरेटिंग सैट्स के वार्षिक रख-रखाव में लिया गया समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विद्युत तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत समय (672 घंटे) से अधिक था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

इकाई	अवधि	लिये गये कुल घंटे
I (50 मेगावाट)	जून से अगस्त 1974	1140
III (50 मेगावाट)	जून से जुलाई 1975	1094
III (50 मेगावाट)	जून से अगस्त 1976	1101
IV (50 मेगावाट)	नवम्बर से दिसम्बर 1974	763
I (100 मेगावट)	अक्टूबर 1976	744
II (100 मेगावाट	जून और जुलाई 1976	950
III (100 मेगावट)	अगस्त और सितम्बर 1976	1303

भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने अपने प्रतिवेदन (जून 1972) में कहा कि "बायलरों को बिना ओवर हालिंग के इतने लम्बे समय तक परिचालन में रखना अनुपयुक्त है क्योंकि इससे गैर किफायती और अकुशल उत्पादन, बढ़ी हुई बन्दियों और अत्यावश्यक रखरखाव के लिये सुनियोजित बन्दियों और कुछ क्षतियां होने से कीमती बदलियों (रिप्लेसमेन्टस) को बढ़ावा मिलता है"। फिर भी इकाई I और V के बायलरों का वार्षिक रखरखाव 1975–76 के वर्ष में नहीं किया गया। कुल बन्दी की तुलना में बायलरों की बन्दी 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान 50 मेगावाट सेटों के सम्बन्ध में क्रमशः 47, 57 और 34 प्रतिशत थी जब कि 100 मेगावाट सेटों के सम्बन्ध में इन वर्षों के दौरान यह 90, 54 और 59 प्रतिशत थी। बायलरों के रख-रखाव और मरम्मत व्यय भी 1974–75 में 66.85 लाख रुपये से बढ़कर 1976–77 में 136.69 लाख रुपये हो गया।

(ख) जनरेटर को क्षति

10/11 सितम्बर 1976 की रात्रि में, एयर ब्लास्ट ब्रेकर के डिसकनैक्टर हिस्से के शैटरिंग के कारण 50 मेगावाट की इकाई II बन्द हो गयी जिससे 220 के0वी0 मेन पर बसबार त्रुटि उत्पन्न हो गयी। बसबार त्रुटि के कारण आने और जाने वाली सभी सरकिटें ट्रिप हो गयीं और परिणामस्वरूप जनरेटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। परियोजना प्रबन्धकों ने मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की (16 सितम्बर 1976)।

समिति ने सूचित किया (दिसम्बर 1976) कि (i) मशीन के तीन फेज क्षतिग्रस्त हो गये थे, (ii) स्टेटर वाइंडिंग में तांबा पिघल कर पिण्ड बन गया था, (iii) स्टेटर के दोनों छोर पाकिट्स, जहां तांबा पिघल गया था, वहां से जल गये थे और (iv) स्लाट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि "जनरेटर में क्षति काफी गहरी थी"। समिति ने परिचालन कर्मचारियों के मध्य जनरेटिंग सयन्त्र के बहुत से रूपों (फीचर्स) की जानकारी का सामान्य अभाव पाया और यह कि कर्मचारियों द्वारा बायलर, टरबाइन, जनरेटर और स्विच यार्ड के सम्बन्ध में सामान्य व आपत्ति कालीन दशाओं के दौरान परिचालन की विधि, परिचालन व्यवहार व तकनीकी रूपों को स्पष्ट रूप में पूर्णतया/उचित रूप से नहीं समझा गया था। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि बिना समुचित प्रशिक्षण और उचित कार्यकर्ताओं के चयन की स्थिति और बिगड़ेगी। समिति ने क्षति के लिये 13 कर्मचारियों को दोषी ठहराया। कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति में है (दिसम्बर 1977)।

समिति ने जनरेटर को क्षति के कारण हुई हानि की सीमा को नहीं आंका। 24 सितम्बर 1976 को मशीनों की मरम्मत का एक कार्यक्रम बनाने के लिये आपूर्तिकर्ता (भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड) से सम्पर्क किया गया। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने आकलन किया कि क्षति बहुत ही गंभीर प्रकृति की थी जिसके लिये कुछ पूरक पुर्जों (कम्पोनैन्टस) की रुस से आयात की आवश्यकता थी। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा तैयार किये गये मोटे (रफ) प्राक्कलनों के

अनुसार, पुर्जों और मरम्मत खर्चों की लागत, ढुलाई और निर्मिति व्यय के अलावा, 1.50 करोड़ रुपये होगी। लेकिन परिषद् के अध्यक्ष ने सलाह दी (11 अक्तूबर 1976) कि यदि मरम्मत के लिए आवश्यक समय लम्बा हो तो, उसी क्षमता का एक पूर्ण जनरेटर रूस से आयात कर लिया जाय। मशीन का रोटर और स्टेटर भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को मरम्मत के लिये क्रमश: 19 दिसम्बर 1976 और 11 मार्च 1977 को भेजे गये। जब कि रूस से स्टेटर वाइंडिंग बार्स आयात करने हेतु प्रयास प्रगति में थे, देश में अन्य शक्ति केन्द्रों से कुछ पूरक पुर्जे (कम्पोनेन्ट्स) प्राप्त करने के प्रयास किये गये। परियोजना प्रबन्धकों ने पूर्वानुमान लगाया (सितम्बर 1977) कि इन मदों की प्राप्ति के बाद संयंत्र चलाने के लिये मरम्मत पूर्ण करने हेतु 12 महीनों के और समय की आवश्यकता होगी।

(ग) अग्नि दुर्घटनायें

(i) 11 दिसम्बर 1974 को (2 बजे प्रात:) एक आग दुर्घटना हुई और दो सम्प्रेषक पट्टियां (कनवेयर बेल्ट्स) क्षतिग्रस्त हो गयीं। यह पाया गया कि आपरेटरों और ठेकेदार के मजदूरों द्वारा फेंके गये जले हुए कोयलों और राख के कारण आग लगी जिसे वे पट्टी के पास बैठकर शीत की रात्रि में तापने के लिये प्रयोग कर रहे होंगे। निकाली गयी हानि (29,800 रुपये) का कारण परियोजना प्रबन्धकों द्वारा जुलाई 1975 में ड्यूटी पर तैनात आपरेटरों की असावधानी और लापरवाही बताया गया।

(ii) 12/13 जनवरी 1975 की रात्रि में आग से एक सम्प्रेषक पट्टी (कन्वेयर बेल्ट) क्षतिग्रस्त हो गई। परियोजना प्रबन्धकों द्वारा आग का कारण निश्चित नहीं किया जा सका। सम्प्रेषक पट्टी और उसके सहायक पुर्जों की मरम्मत और बदलने पर 1.99 लाख रुपये खर्च किये गये। इस अवधि में 50 मेगावाट की इकाई I और III क्रमश: 34 और 295 घंटों के लिये बन्द रहीं।

(iii) 11 जून 1975 को दो सम्प्रेषकों में आग लगी। पिसाई घर (क्रशर हाउस) और परिवहन बिन्दु के बीच की तीन पट्टियां अपने इस्पाती ढांचे के साथ और इन दो सम्प्रेषकों के कोयला प्रयोग प्रणाली के पावर केबिल्स और कन्ट्रोल केबिल्स पूर्णतया जल गये और उनकी बिजली की फिटिंग्स भी क्षतिग्रस्त हो गयीं। 50 मैगावाट की एक इकाई और 100 मेगावट की दो इकाइयां 541 घंटे तक बन्द रहीं। विद्युत उत्पादन में हानि के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त अधिष्ठापनों की मरम्मत ओर पुर्जे बदलने की लागत 25.83 लाख रुपये आयी। परिषद् ने 25 जून 1975 को, अग्निकाण्ड के कारणों की जांच करने और उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिये एक समिति गठित की। समिति न अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1975) में यह निष्कर्ष निकाला कि कोयला यार्ड में स्वतोदहन के कारण हो सकता है कि कुछ कोयले के टुकड़े जो अभी पूरी तरह बुझे नहीं थे, सम्प्रेषक पट्टी से हापर में गिर पड़े हों। समिति ने यह भी बतलाया कि जली हुई पट्टियों में से एक (न0 6) बहुत दिनों से कार्यरत नहीं थी और यह काफी समय से किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निरीक्षित नहीं की गयी थी और यह कि इसकी निश्चित सम्भावना थी कि उसके भीतर कोयले के चूरे, कोयले के टुकड़े और अन्य सामाग्री के संग्रह से आग के फैलने में तेजी आयी हो। समिति आग के लिये कर्मचारियों पर सीधे जिम्मेदारी निश्चित न कर पाने के कारण इस राय की थी कि "पहली घटनाओं के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं सन्तुष्टि की सामान्य भावना, कर्मचारियों में उचित अनुशासन का अभाव और क्षति की सीमा व संकट, जो आग के कारण हो सकती है, की अनभिज्ञता प्रत्येक स्तर पर व्याप्त थी"। परिषद् द्वारा प्रतिवेदन पर कार्यवाही होनी बाकी थी (दिसम्बर 1977)।

ऊपरवर्णित तीन अग्निकांडों से हुई क्षति के लिये कुल 28.11 लाख रुपये के दावे (जुलाई 1975-सितम्बर 1975) बीमा कर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिन्होंने अन्तिम समझौते में केवल 5.98 लाख रुपये की सीमा तक के दावे स्वीकार किये (27 जनवरी 1977)। परियोजना प्रबन्धकों द्वारा बीमा कर्ताओं को सूचित किया गया (नवम्बर 1977) कि देय दावे की राशि 14.24 लाख रुपये कम आंकी गयी थी और इसीलिये उनसे भुगतान वाउचरों के पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना की गयी। बीमा-कर्त्ताओं के उत्तर की प्रतिक्षा थी (दिसम्बर 1977)।

(घ) अन्य असूचीबद्ध बन्दियां

शक्ति केन्द्र में असूचीबद्ध बन्दियां मुख्यत: बायलरों से सम्बद्ध होती हैं। 50 मेगावाट सैट्स के बायलरो में क्रमश: 1974-75, 1975-76 व 1976-77 में 5721 घंटे, 6793 घंटे और 4509 घन्टे बन्दियां थीं और एक इकाई सितम्बर 1976 से बंद पड़ी थी। 100 मेगावाट सैट्स में भी असूचीबद्ध बंदियों में वृद्धि पर्याप्त मात्रा में थी (1975–76 में 3480 घंटों और 1974–75 में 2204 घंटों की तुलना में 1976–77 में 4564 घंटे) यह इन वर्षो में टर्बोजनरेटिंग सैट्स के वार्षिक रख रखाव में व्यय घंटों (9862) के अलावा थी। विद्युत तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में इस बात पर जोर दिया कि असूचीबद्ध, काम बंदी, टूटफूट, मरम्मत और उसके सुधार के लिये लिया गया समय संयंत्र उपलब्धि के 4 प्रतिशत के भीतर होना चाहिये। असूचीबद्ध बंदियों के लिये लिया गया समय उपलब्ध घंटों का 50 मेगावाट सैट्स में 1974–75, 1975–76 व 1976–77 में क्रमश: 13, 16 और 10 प्रतिशत और 100 मेगावाट सैट्स में 19, 18 और 18 प्रतिशत था।

6.05. क्षमता उपयोगिता

प्रति इकाई / प्रति सैट उत्पादन और/या स्थिर उत्पादन क्षमता का प्रतिमान परिषद् द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। 1976–77 तक के तीन वर्षों के लिये प्रतिष्ठापित क्षमता, परिचालन घंटों के दौरान संभव उत्पादन, उसके विरुद्ध वास्तविक उत्पादन और प्रतिष्ठापित क्षमता और निजी इकाईयों और समग्ररूप से शक्ति केन्द्र के सम्भावित उत्पादन पर वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है:—

इकाई	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (एम के डब्लू एच)	वास्तविक उत्पादन (एम के डब्लू एच)	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	वास्तविक परिचालन घंटों के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमतानुसार संभव उत्पादन (एम के डब्लू एच)	वास्तविक परिचालन घंटों के दौरान संभव उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत
1974–75					
50 मेगावाट सैट्स					
I	438	289	66	333	87
II	438	216	49	267	81
III	438	272	62	350	78
IV	438	248	57	313	79
V	438	286	65	317	90
सैट्स के लिये समग्र	2190	1311	60	1580	83
100 मेगावाट सैट्स					
I	876	649	74	745	87
II	257	98	38	134	73
सैट्स के लिए समग्र	1133	747	66	879	85
केन्द्र के लिये समग्र	3323	2058	62	2459	84

इकाई	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (एम के डब्लू एच)	वास्तविक उत्पादन (एम के डब्लू एच)	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	वास्तविक परिचालन घंटों के दौरान प्रतिष्ठापित क्षमतानुसार संभव उत्पादन (एम के डब्लू एच)	वास्तविक परिचालन घंटों के दौरान संभव उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत
1975–76					
50 मेगावाट सेट्स					
I	439	269	61	348	77
II	439	212	48	252	84
III	439	251	57	325	77
IV	439	256	58	327	78
V	439	295	67	352	84
सैट्स के लिये समग्र	2195	1283	58	1604	80
100 मेगावाट सेट्स					
I	878	373	42	486	77
II	878	569	65	669	85
III	218	159	73	174	91
सैट्स के लियेसमग्र	1974	1101	56	1329	83
केन्द्र के लिये समग्र	4169	2384	57	2933	81
1976–77					
50 मेगावाट सेट्स					
I	438	281	64	337	83
II	438	122	28	141	87
III	438	274	63	341	80
IV	438	275	63	350	79
V	438	307	70	365	84
सैट्स के लिये समग्र	2190	1259	57	1534	82
100 मेगावाट सेट्स					
I	876	507	58	620	82
II	876	419	48	558	75
III	876	595	68	672	88
सैट्स के लिये समग्र	2628	1521	58	1850	82
केन्द्र के लिये समग्र	4818	2780	58	3384	82

शक्ति केन्द्र की निम्न क्षमता उपयोगिता मुख्यत: निम्न कारणों से थी (i) अत्याधिक बन्दियों के कारण उत्पादन क्षमता की कम उपलब्धि और (ii) उत्पादन इकाइयों का कम भार पर परिचालन–तीन वर्षों में 50 मेगावाट और 100 मेगावाट के पूर्ण भार के स्थान पर औसत भार क्रमश: 40 मेगावाट से 42 मेगावाट और 82 मेगावाट से 85 मेगावाट के बीच में ।

6.06. सहायिकाओं में शक्ति का उपभोग

दोनों मूल 250 मेगावाट स्तर और 300 मेगावाट विस्तरण स्तर के परियोजना प्राक्कलनों में 50 मेगावाट और 100 मेगावाट सेट्स के सम्बन्ध में सहायिकाओं में क्रमश: आठ और सात प्रतिशत विद्युत उपभोग का प्राविधान था। इसकी तुलना में 1976–77 तक के चार वर्षों के दौरान सहायिकाओं में वास्तव में उपभोग की गयी शक्ति नीचे दिये गये अनुसार थी :—

वर्ष	50 मेगावाट सैट्स			100 मेगवाट सैट्स		
	उत्पादित शक्ति	सहायिकाओं में उपभोग की गयी (एम के डब्लू एच)	उपभोग का प्रतिशत	उत्पादित शक्ति	सहायिकाओं में उपभोग की गयी (एम के डब्लू एच)	उपभोग का प्रतिशत
1973–74	1300.6	116.8	9	167.2	13.3	8
1974–75	1310.9	139.8	11	747.4	67.3	9
1975–76	1282.6	145.8	11	1100.9	107.8	10
1976–77	1259.3	138.5	11	1520.5	151.8	10

1973–74 के उपभोग के स्तर को आधार मानकर 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान सहायिकाओं में अधिक उपभोग की गयी शक्ति के संभावित विक्रय से राजस्व नीचे दिये गए अनुसार था —

विवरण	वर्ष		
	1974–75	1975–76	1976–77
सहायिकाओं में वास्तविक उपयोग (एम के डब्लू एच)	207.1	253.6	290.3
1973–74 के स्तर पर उपभोग्य शक्ति (एम के डब्लू एच)	181.5	209.0	242.5
1973–74 के स्तर की तुलना में सहायिकाओं में शक्ति का अत्यधिक उपभोग (एम के डब्लू एच)	25.6	44.6	47.8
सिस्टिम लासिस की छूट देने के बाद बिक्री के लिये सम्भावित उपलब्ध शक्ति (एम के डब्लू एच)	20.0	35.2	37.3
परिषद् की औसत बिक्री वसूली पर शक्ति के विक्रय से प्राप्ति योग्य राजस्व (लाख रुपये में) ..	41.30	87.72	90.90

6.07. प्रोत्साहन योजना

उच्चतर श्रम उत्पादकता और उपकरण उपयोगिता प्राप्त करने के लिये परिषद् ने पहली नवम्बर 1973 से एक तापीय प्रोत्साहन योजना आरम्भ की। योजनानुसार (i) संयंत्र के परिचालन और रख-रखाव से सीधे सम्बद्ध (वर्ग I) और (ii) संयंत्र परिचालन और रख-रखाव से परोक्ष रूप से सम्बद्ध (वर्ग II) कर्मचारियों को योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन गणना के लिये लागू वेतन निर्धारित प्रतिशत नगदी में प्रोत्साहन मिलना था

(वस्तुतः प्राप्त संयंत्र उपयोगिता तत्व पर निर्भर) बशर्ते एक माह में उपकरण उपयोगिता तत्व (प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन पर वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत) 55 या ऊपर हो।

निम्नांकित सारणी 1976–77 तक के पांच वर्षों के लिये उत्पादन क्षमता, उत्पादित शक्ति, संयंत्र उपयोगिता और भुगतान किये गये नगदी प्रोत्साहन की धनराशि इंगित करती है:—

वर्ष	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (एम के डब्लू एच)	उत्पादित शक्ति (एम के डब्लू एच)	समग्र रूप से संयंत्र उपयोगिता तत्व (प्रतिशत)	भुगतान किये गये प्रोत्साहन की धनराशि (लाख रुपयों में)
1972–73	2190.000	1356.377	61.9	..
1973–74	2610.400	1468.840	56.1	2.95
1974–75	3323.000	2058.291	61.9	11.68
1975–76	4169.200	2383.514	57.1	7.25
1976–77	4818.000	2779.832	57.7	9.70
			योग	31.58

सारणी से प्रकट होता है कि यद्यपि 1973–74 तक संयंत्र उपयोगिता ह्रासोन्मुखी रुख को 1974–75 में समुन्नत किया गया, (i) भट्टी तेल के उपभोग में 1972–73 में 8.7 किलोलीटर प्रति दस लाख के डब्लू एच से 1976–77 में 21.4 किलोलीटर प्रति दस लाख के डब्लू एच की वृद्धि और (ii) 1975–76 में I और V इकाइयों के वार्षिक रखरखाव को स्थगन के बावजूद संयंत्र उपयोगिता तत्व 1975–76 और 1976–77 में कम हो गया। परिषद् ने प्रोत्साहन की गणना के लिये योजना लागू करने के पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्राप्त स्तर से नीचे स्तर पर न्यूनतम संयंत्र उपयोगिता तत्व निर्धारित किया था। प्रोत्साहन प्रत्येक महीने के संयंत्र उपयोगिता तत्व पर आधारित है और इस प्रकार योजना वर्ष भर के समग्र संयंत्र उपयोगिता तत्व की उपेक्षा करती है।

प्रोत्साहन योजना का आरम्भ प्रयोगात्मक आधार पर किया गया था। योजना के कार्यान्वियन में संशोधन, सुधार और परिवर्तन परिषद् द्वारा तय किये जाने थे। योजना आरम्भ होने के समय (नवम्बर 1973) शक्ति केन्द्र की प्रतिष्ठापित क्षमता 350 मेगावाट थी। परियोजना प्रबन्धकों ने जून 1974 तक 100 मेगावाट की इकाई I में प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण इसकी संयंत्र उपयोगिता तत्व की गणना प्रतिष्ठापित क्षमता 330 मेगावाट मान कर की थी। दिसम्बर 1974 में 100 मेगावाट की इकाई II व्यवसायिक भार पर चालू की गई जिससे प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर 450 मेगावाट हो गयी। तथापि संयंत्र उपयोगिता तत्व प्रतिष्ठापित क्षमता और 100 मेगावाट की इकाई II का उत्पादन, उस इकाई के प्रारम्भिक कठिनाइयों में होने के आधार पर, छोड़ते हुये दिसम्बर 1974 व जनवरी 1975 के महीनों के लिये निकाला गया। 100 मेगावाट की इकाई II के उत्पादन और वास्तविक प्रतिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखते हुये उन महीनों के दौरान प्राप्त 65 और 53 के विरुद्ध इन दो महीनों के लिये निकाला गया उपयोगिता प्रतिशत 75 और 61 था। फरवरी से अप्रैल 1975 तक के महीनों के लिये संयंत्र उपयोगिता प्रतिष्ठापित क्षमता 430 मेगावाट मानकर निकाली गई थी। जनवरी 1976 में 100 मेगावाट की इकाई III व्यवसायिक भार पर चालू की गई जिससे प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर 550 मेगावाट हो गयी। तथापि संयंत्र उपयोगिता तत्व इकाई III में प्रारम्भिक कठिनाइयों के आधार पर, जनवरी 1976

के लिये क्षमता 530 मेगावाट मानकर, निकाला गया। यह पूर्ण प्रतिष्ठापित क्षमता के 70 प्रतिशत के विरुद्ध 73 प्रतिशत निकला। घटायी गयी प्रतिष्ठापित क्षमता के आधार पर निकाली गई दरों पर नकदी प्रोत्साहन का भुगतान परिषद् के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है (दिसम्बर 1977)।

आरम्भिक कठिनाइयों के कारण नयी उत्पादन इकाइयों के अवमूल्यन और नवम्बर 1973 से जून 1974, दिसम्बर 1974 से अप्रैल 1975 और जनवरी 1976 के महीनों में संयंत्र उपयोगिता तत्व उच्च स्तर पर निकाले जाने के फलस्वरूप इन महीनों के लिये शक्ति केन्द्र के कर्मचारियों को उत्पादन प्रोत्साहन का कुल भुगतान देय 8.28 लाख रुपये के विरुद्ध 11.56 लाख रुपये था। यद्यपि परियोजना अधिकारियों ने समय-समय पर इन अवमूल्यनों के अनुमोदन के लिये परिषद् से अनुरोध किया है, परिषद् द्वारा इनका अनुमोदन नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

6.08. कोयले की खरीद और उपभोग

(क) शक्ति केन्द्र में प्रयोग के लिये कोयला सिंगरौली कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। मूल और विस्तरण इकाइयों दोनों के लिये एक कोयला व्यवस्था खण्ड है, वही ईंधन की आपूर्ति, ढुलाई और भण्डारण की व्यवस्था करता है। खण्ड उपभोग का हिसाब भी रखता है। इसके अतिरिक्त, दो कुशलता (इफीसियेंसी) खण्ड हैं (मूल और विस्तरण इकाइयों के साथ संलग्न एक एक) और वे भी ईंधन उपभोग का हिसाब रखते हैं। शक्ति केन्द्रों को नियमित कोयला आपूर्ति के लिये कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोई अनुबंध नहीं है; फलतः आपूर्ति में कमियों के लिये भुगतान में समायोजन नहीं किये गये।

भारत सरकार के आदेश (अगस्त 1975) के अनुसार कोयले का मूल्य उसमें निहित ताप तत्व से सम्बद्ध है। बिजली घर की प्रयोगशाला में आपूर्ति कोयले का नमूनों की जांच के आधार पर विश्लेषण होता है और उसी आधार पर भुगतान का नियमन होता है। 14 अगस्त 1975 से जून 1977 की अवधि में आपूर्ति किया गया कोयला प्रेषण अभिलेखों के अनुसार आपूर्ति की गई किस्म की तुलना में निम्न कोटि का पाया गया। आपूर्तिकर्ताओं को निम्न कोटि के लिये अतिरिक्त भुगतान कुल 266.70 लाख रुपये का किया गया। शक्ति केन्द्र ने इस सम्बन्ध में कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष कुल 181.70 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया। 85 लाख रुपये के दावे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं क्योंकि जुलाई–दिसम्बर 1976 के बीच प्राप्त आपूर्तियों के सम्बन्ध में वांछित प्राथमिक कार्यवाहियां जैसे, संयुक्त सैम्पलिंग, परीक्षण, आदि नहीं की गयी थीं। तथापि, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा 181.70 लाख रुपये के दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं। विवरण नीचे दिये गये हैं:—

(i) अगस्त 1975 से दिसम्बर 1975 की अवधि से सम्बान्धित 36.59 लाख रुपये का दावा (22 जून 1976 से 23 जुलाई 1976 के बीच प्रस्तुत) इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया (अगस्त 1976) कि उसे परिषद् और कोल इण्डिया लिमिटेड के बीच हुए एक प्रारूप अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) सिंगरौली में माल भराई छोर पर प्रबन्धकों और आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त नमूने निकाले जाने होते हैं। जनवरी से जुलाई 1976 की अवधि में संयुक्त नमूने नहीं निकाले जा सके क्योंकि इस बीच शक्ति केन्द्र का प्रतिनिधि माल भराई छोर पर उपलब्ध न था। निकाले गये नमूनों के बिजली घर प्रयोगशाला में विश्लेषण के आधार पर निम्नकोटि के कोयले की आपूर्ति के लिये दावा भी कोयला प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया। 118.89 लाख रुपये का दावा 21 जुलाई 1977 को प्रस्तुत किया गया, विलम्ब 12 से 18 महीनों तक का था। यह दावा भी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

(iii) जनवरी से मार्च 1977 की अवधि में हुई आपूर्तियों से नमूने, आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में माल भराई स्थान पर निकाले गये। नमूनों में प्राप्त ताप तत्व के आधार पर निम्न कोटि की आपूर्ति के लिये आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कुल 24.50 लाख रुपये के दावे 19 फरवरी 1977, 30 मार्च 1977 और 26 अप्रैल 1977 (आपूर्ति के तीस दिन के भीतर) को प्रस्तुत किये गये। दावे अभी तक स्वीकार नहीं किये गये हैं (दिसम्बर 1977)।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र द्वारा की जाने वाली आपूर्तियों के सम्बन्ध में संयुक्त नमूने लिये जाने की पद्धति अप्रैल 1977 से बिना किसी लिखित कारणों के बन्द कर दी गयी। अप्रैल 1977 के बाद की निम्न कोटि की आपूर्तियों के लिये दावा, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

(iv) अप्रैल से जून 1977 की तिमाही में करनपुरा (बिहार) कोयला क्षेत्र से प्राप्त आपूर्तियां निम्न कोटि की पायी गयीं। आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध 23 जुलाई 1977 को किया गया 1.72 लाख रुपये का दावा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

(ख) सिंगरौली खानें ओबरा से 90 किलो मीटर की दूरी पर स्थित हैं। रेल द्वारा कोयले के लिए सामान्य रास्ता समय, प्रबन्धकों द्वारा एक या दो दिन बताया गया है। 30 सितम्बर 1977 को लापता कोयला वैगनों की स्थिति, जिनके लिये परिषद् ने प्रेषण कागजातों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को पूरा भुगतान कर दिया है, इस प्रकार थी :—

वर्ष	लापता वैगनों की संख्या	परिमाण (मैट्रिक टनों में)	लगभग मूल्य (लाख रुपयों में)
1973	30	1680	1.18
1974	191	10696	7.48
1975	120	6720	4.70
1976	428	23968	16.78
1977 (सितम्बर)	204	11424	8.00
योग ..		54488	38.14

(ग) कोयले का उपभोग

(i) रूसी डिजाइनरों द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर, 50 मेगावाट सेट्स के बायलरों को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि उसमें सिंगरौली कोयला क्षेत्र में उपलब्ध कोयला जल सके। कोयले के लक्षण थे कि (i) कोयले का कैलोरीफिक मूल्य 3320 और 3590 किलो कैलोरी/किलोग्राम के बीच होना चाहिये, (ii) राख तत्व 38.9 से 42 प्रतिशत तक होना चाहिये और (iii) नमी तत्व 6 से 13 प्रतिशत होना चाहिये। सिंगरौली कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति की प्रत्याशा में शक्ति केन्द्र ने 1967-68 से 1970–71 के दौरान बिहार स्थित कोयला क्षेत्रों से कोयला लेना शुरू किया; आपूर्ति कोयले में कैलोरिफिक मूल्य 3800 और 5000 किलो कैलोरी/किलोग्राम की सीमा के बीच था। इसलिये बायलरों में 1967–68 से 1970–71 के दौरान कुछ सुधार किये गए ताकि वे उस समय प्राप्त हुये कोयले के उपयुक्त हों।

प्रसार परियोजना प्रतिवेदन (अगस्त 1969) में बतलाया गया कि "इस परियोजना के बायलरों में निम्न वर्ग का कोयला ईंधन के रूप में प्रयुक्त होगा, जो कि निकट की कोयला खानों में उपलब्ध है"। तथापि, परिषद ने उच्चतर कैलोरिफिक मूल्य 4330 से 4485 किलो कैलोरी/किलोग्राम के कोयले जलाने के लिये डिजाइन किये गए बायलर प्रसार परियोजना की उत्पादन इकाइयों के लिये खरीदे।

1971–72 से शक्ति केन्द्र ने सिंगरौली कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त करना शुरू किया जिसका कैलोरिफिक मूल्य 50 मेगावाट सैट्स के बायलरों की डिजाइन की गई विशिष्टियों के अनुरूप था। 100 मेगावाट सैट्स में जलाया गया कोयला 1974-75 में 3800 से 4000 किलो कैलोरी/किलो ग्राम, 1975–76 में 4000 से 4470 किलो कैलोरी/किलोग्राम और 1976-77 में 4200 से 4600 किलो कैलोरी/किलोग्राम कैलोरिफिक मूल्य का था, जिस पर बायलर डिजाइन किये गये थे।

(ii) शक्ति केन्द्र में पुल तुला (वे ब्रिज) के अभाव में कोयले को भौतिक रूप से नहीं तौला गया। प्रेषण कागजात में अंकित वजन और भौतिक शेष, जो वर्ष के अन्त में वोल्यूमीटरिक नाप के आधार पर निकाला गया, के अन्तर को वर्ष के उपभोग के रूप में ले लिया गया। फलतः उठायी-गीरी, रास्ते में हुई हानियां और चोरियां, यदि कोई हुई हों, पकड़ में नहीं आयीं और वे उपभोग मान ली गयीं। इसलिये वर्ष के दौरान वास्तविक उपभोग सत्यापित नहीं किया जा सकता था। परियोजना प्राक्कलन में दिये गये प्राविधान के अनुसार प्रति के डब्लू एच उपभोग होने वाले कोयले की मात्रा, शक्ति केन्द्र द्वारा निकाला गया वास्तविक उपभोग और प्रति के डब्लू एच लागत नीचे इंगित है:—

विवरण		वर्ष		
		1974–75	1975–76	1976–77
		(मात्रा किलोग्राम में)		
50 मेगावाट सेट्स				
परियोजना प्राक्कलन के अनुसार	..	0.85	0.85	0.85
वास्तविक उपभोग	..	0.82	0.82	0.82
100 मेगावाट सेट्स				
परियोजना प्राक्कलन के अनुसार	..	0.60	0.60	0.60
वास्तविक उपभोग	..	0.77	0.78	0.78
पैसे में समग्र लागत	..	3.6	5.5	5.5

100 मेगावाट सेट्स के सम्बन्ध में परियोजना प्राक्कलन के अनुसार निकाले गए उपभोग से तीन वर्षों की अवधि का अधिक उपभोग लगभग 579 लाख रुपये मूल्य का 5,79,300 मैट्रिक टन कोयला था। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1975–76 में हरदुआगंज और पनकी तापीय संयंत्रों में प्रति के डब्लू एच कोयला उपभोग क्रमशः 0.65 किलोग्राम और 0.61 किलोग्राम था।

(iii) 1975–76 में शक्ति केन्द्र के कोयला व्यवस्था और कुशलता (इफीसियेंसी) खण्डों द्वारा प्रतिवेदित कोयले उपभोग की मात्रा में अन्तर था। कोयला व्यवस्था खण्ड द्वारा अंकित उपभोग 19·40 लाख मैट्रिक टन था जबकि कुशलता खण्ड द्वारा यह 19.06 लाख मैट्रिक टन अंकित किया गया। अन्तर (33.90 लाख रुपये मूल्य का 33,900 मैट्रिक टन) का समाधान नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977)।

6.09. तापीय कुशलता

संयंत्र निर्माताओं द्वारा गारण्टी की गयी और शक्ति केन्द्रों के दो सेटों द्वारा 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गयी तापीय कुशलता के बारे में विवरण (उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन में निवेशित ताप शक्ति के प्रतिशत के रुप में इंगित विद्युत् शक्ति का उत्पादन) नीचे दिये गए हैं :—

विवरण	गारण्टी की गई तापीय कुशलता	वास्तविक कुशलता		
		1974–75	1975–76	1976–77
		(प्रतिशत)		
50 मेगावाट सेट्स ..	29.3	28.6	25.3	27.8
100 मेगावाट सेट्स ..	29.1	..	23.8	27.4

निर्माताओं द्वारा गारण्टी की गयी तापीय कुशलता प्राप्त न होने के कारण विश्लेषित नहीं किये गये हैं (दिसम्बर 1977)।

6.10. रेल दावे

30 सितम्बर 1977 को लापता तेल वैगनों, बिलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क, आदि के लिये 1968–69 से चले आ रहे रेल के बकाया दावों की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार थी :—

वर्ष	धनराशि (लाख रुपयों में)
1968–69	4.98
1969–70	0.11
1970–71	0.12
1971–72	0.10
1972–73	0.48
1973–74	1.28
1974–75	2.47
1975–76	13.27
1976–77	4.67
योग ..	27.48

परिषद् ने शीघ्रता से निबटारे हेतु रेल दावों का अनुसरण (परस्यू) करने के लिये एक कौल मूवमेन्ट निदेशक नियुक्त किया है (अप्रैल 1977)।

21 नवम्बर 1975 को सम्प्रेषण पट्टी (2 ए) में एक मामूली अग्नि दुर्घटना हुई; 270 मीटर सम्प्रेषण पट्टी पूर्ण रूपेण नष्ट हो गयी। इस कारण परियोजना अधिकारियों द्वारा आंकी गई हानि (दिसम्बर 1975) 2.97 लाख रुपये थी।

6.11. भट्टी तेल

(क) भट्टी तेल की प्राप्ति, भण्डारण और निर्गमन, जो उत्पादन में पूरक ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है, की व्यवस्था कोयला व्यवस्था खण्ड द्वारा की जाती है जबकि उपभोग के अभिलेख शक्ति केन्द्र के कुशलता, उत्पादन और मानीटरिंग खण्डों द्वारा प्रत्येक इकाई के लिये अलग-अलग रखे जाते हैं। उपभोग दोनों छोरों पर (भण्डारण टंकी और बायलर) यांत्रिक फीडिंग प्रणाली के आधार पर अंकित किया जाता है। 1972-73 से 1976-77 के वर्षों के दौरान दोनों छोरों पर अंकित भट्टी तेल के उपभोग के आंकड़ों में अन्तर थे। वर्ष वार अन्तर नीचे इंगित है :—

वर्ष	उपभोग किया गया कोयला व्यवस्था खण्ड के अभिलेखानुसार (टंकी)	भट्टी तेल कुशलता, उत्पादन और मानीटरिंग खण्ड के अभिलेखानुसार (बायलर) (किलोलीटर में)	कोयला व्यवस्था खण्ड में अंकित अधिक उपभोग	अधिक उपभोग का लगभग मूल्य (लाख रुपयों में)
50 मेगावाट सेट्स				
1972–73 ..	11823.83	11772.98	50.85	0.15
1973–74 ..	16761.50	16302.84	458.66	1.79
			509.51	1.94
100 मेगावाट सेट्स				
1975–76 ..	21315.26	19166.17	2149.09	9.19
1976–77 ..	29368.31	23872.35	5495.96	55.13
			7645.05	64.32
		कुल अधिकता ..	8154.56	66.26

न तो इन अन्तरों की जांच की गयी और न ही दोनों छोरों पर दो अलग-अलग आंकड़ों के बीच समाधान करने का कोई प्रयास किया गया (दिसम्बर 1977)।

(ख) भट्टी तेल का अत्यधिक उपभोग

भट्टी तेल को गौण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है— (i) जब कभी उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता के 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है उस समय बायलर को ज्वलन स्थिति की शुरुआत करने के

U.P.F.C.

Draft For Approval

लिये, (ii) बायलर को ठण्ड/भारहीनता की स्थिति से चलाने के लिये, और (iii) कोयले में अधिक नमी या कटाव, निरुद्धि आदि से हवा निकलने के कारण ज्वलन शीलता की अस्थिरता पर नियंत्रण रखने के लिये। परिषद् ने अप्रैल 1977 में बतलाया कि एक बार बायलर चल निकले और उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता के 70 प्रतिशत पर आ जाये तो भट्टी तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि कोई निरुद्धियां न हों। तथापि, यह पाया गया कि 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान ईंधन के रूप में भट्टी तेल का प्रयोग उत्तरोत्तर वृद्धि पर था।

निम्न सारणी 50 मेगावाट सैट्स के लिये वर्ष 1972-73 और 100 मेगावाट सैट्स के लिये 1974–75 के दौरान उपभोग स्तर पर उपभोग की जाने वाली मात्रा के विरुद्ध भट्टी तेल का वास्तविक उपभोग व उत्पादित शक्ति इंगित करती है :–

वर्ष	उत्पादित शक्ति		उपभोग किया गया भट्टी तेल		उत्पादन के आधार पर उपभोग किये जाने वाले भट्टी तेल की मात्रा	
	50 मेगावाट सैट्स (एम के डब्लू एच)	100 मेगावाट सेट्स	50 मेगावाट सेट्स	100 मेगावाट सेट्स	50 मेगावाट सैट्स (1972–73 के आधार पर)	100 मेगावाट सैट्स (1974–75 के आधार पर)
						(किलोलीटर)
1972–73	1356	..	11800	..	..	..
1973–74	1301	*	16800	*	11300	..
1974–75	1311	747	24400	8500	11400	..
1975–76	1283	1101	35600	21300	11200	12600
1976–77	1259	1521	30100	29400	11000	17100

टिप्पणी :– 1. उपभोग के आंकड़े निकटतम 100 किलोलीटर हैं।

*2. उत्पादन एवं उपभोग अल्प थे।

शक्ति उत्पादन 50 मेगावाट सैटों में 1972–73 में 1356 एम के डब्लू एच से घट कर 1976–77 में 1259 एम के डब्लू एच हो गया लेकिन भट्टी तेल का उपभोग 1972–73 में 11800 किलोलीटर से बढ़कर 1976–77 में 30100 किलोलीटर हो गया। 1972–73 के स्तर की तुलना में 50 मेगावाट सैटों में भटटी तेल का अधिक उपभोग 1976–77 तक के अगले चार वर्षों में लगभग 62000 किलोलीटर था जब कि 100 मेगावाट सैटों के सम्बन्ध में 1974–75 के उपभोग स्तर की तुलना में 1975–76 और 1976–77 में अधिक उपभोग लगभग 21000 किलोलीटर था। इस अवधि के दौरान भारित औसत दर पर अधिक उपभोग का मूल्य कुल 720.10 लाख रुपये था। तथापि, परिषद् ने भटटी तेल के अधिक उपभोग की जांच पड़ताल नहीं की है, विशेष कर जब कि 50 मेगावाट सैटों में उत्पादन अवनति पर रहा है।

(ग) भट्टी तेल का छलकना (स्पिलेज)

100 मेगावाट सैटों के लिये 1972–73 के दौरान समुचित ओवरफ्लो पद्धति सहित तीन भट्टी तेल भण्डारण टंकियां (550 किलोलीटर प्रति टंकी क्षमता) बनवायी गयी थीं। चूंकि उन सैटों के लिये छाने गये पानी के लिए भण्डारण टंकियां तैयार नहीं थीं और इकाई I की तेजाब से सफाई होनी थी, शक्ति केन्द्र प्रबन्धकों ने इन तेल भण्डारण टंकियों को अस्थायी रूप से छने पानी के भण्डारण हेतु प्रयोग करने का निर्णय किया (मार्च 1973)। इन टंकियों की ओवरफ्लो प्रणाली में कुछ सुधार भी किये गये। सितम्बर 1973 से ये टंकियां भट्टी तेल भण्डारण हेतु प्रयोग में लायी गयीं। तथापि, टंकियों को भट्टी तेल भण्डारण के योग्य बनाने के लिये ओवरफ्लो प्रणाली में आवश्यक सुधार नहीं किये गये। 22/23 मार्च 1976 की रात जब कि भट्टी तेल 13 टैंकरों से विद्युत् चालित पम्प द्वारा (150 मैट्रिक टन प्रति घंटे की दर से) एक टंकी में खाली किया जा रहा था यह लबालब भर गयी, फलतः ओवरफ्लो प्रणाली में स्वतः साइफन क्रिया होने लगी इसके परिणाम स्वरूप भट्टी तेल बाहर बहने लगा। बहा हुआ भट्टी तेल आंशिक रूप से रोकने वाली दीवारों के पास जमा हो गया, इस प्रकार रुका हुआ तेल नुकसान से बच गया। लेकिन टंकी से बहा हुआ 218 किलोलीटर तेल भूमि के नाले में नष्ट हो गया। शक्ति केन्द्र द्वारा परिषद् को क्षति (2.19 लाख रुपये) की सूचना यह बताते हुए दी गयी (अप्रैल 1976) कि ओवरफ्लो प्रणाली सलाहकारों द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुरूप नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे चलने दिया गया। इसके बाद टंकियों का सुधार किया गया। परिषद् ने क्षति की जिम्मेदारी नियत करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है (दिसम्बर 1977)।

6.12. मानव शक्ति विश्लेषण

निम्नांकित सारणी शक्ति केन्द्र के परिचालन और उसके रखरखाव के लिये मूल और संशोधित कर्मचारियों की आवश्यकता दर्शाती है :—

कर्मचारियों की श्रेणी	50 मेगावट सैट्स		100 मेगावाट सैट्स	
	मूल प्राक्कलन 1962	संशोधित प्राक्कलन 1967	मूल प्राक्कलन 1967	संशोधित प्राक्कलन 1977
				(संख्या में)
परिचालन और रखरखाव	305	968	400	393
प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी (सिविल, कालोनी अस्पताल आदि)	32	573	330	635
योग	337	1541	730	1028
प्रति मेगावाट कार्मिक तत्व	1.3	6.2	2.4	3.4

टिप्पणी—कार्मिक तत्व प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति मेगावाट पर कार्मिकों की संख्या इंगित करता है।

50 मेगावाट सैटों के लिए संशोधित परियोजना प्रतिवेदन (नवम्बर 1967) ने कर्मचारियों को अपेक्षित संख्या 337 से बढ़ाकर 1541 कर दी, उसके लिये बिना कोई कारण, बढ़ोत्तरी विशिष्ट के क्षेत्र और उसके औचित्य को सिद्ध करती हुई परिस्थितियां बतलाए। इसी प्रकार 100 मेगावाट सैटों के लिये कर्मचारियों की संख्या में 1977 में इकाई III के प्रारम्भ होने के बाद वस्तुतः लगे हुए कर्मचारियों के आधार पर संशोधन किया गया और इस बढ़ोत्तरी के लिये क्षेत्र/कारण विश्लेषित नहीं किये गये हैं (दिसम्बर 1977)।

निम्नांकित सारणी 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान वस्तुतः लगाये गये कर्मचारियों की संख्या और समग्र रूप से शक्ति केन्द्र के लिये कार्मिक तत्व को दर्शाती है :—

वर्ष	अपेक्षित कर्मचारी	वस्तुतः लगाये गये कर्मचारी (ठेके पर लगे मजदूरों को मिला कर)	कार्मिक तत्व संशोधित परियोजना प्रतिवेदन	वास्तविक
1974–75 ..	2569	2715	4.67	6.03
1975–76 ..	2569	2954	4.67	5.37
1976–77 ..	2569	3413	4.67	6.20

परिचालन और रखरखाव में लगे ऊपर कथित कर्मचारियों के अलावा शक्ति केन्द्र, कर्मचारियों (कुशल व अकुशल) को ठेकेदारों के माध्यम से, नियमित रूप से परिचालन, रख-रखाव और नेमी कार्यों के लिये, जिसके लिये नियमित आधार पर कर्मचारी पहले से नियुक्त किये जा चुके थ, काम पर रख रहा था। 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के वर्षों के दौरान उनकी औसत प्रतिदिन संख्या क्रमशः 315, 425 और 664 थी। इसके अतिरिक्त शक्ति केन्द्र में समयोपरि घन्टों में भी कार्य किया गया। इन सबको मिलाकर नियुक्ति की स्थिति नीचे दिये गए अनुसार थी :—

विवरण	वर्ष		
	1974–75	1975–76	1976–77
नियमित कर्मचारी ..	2400	2529	2749
ठेकेदार के कर्मचारी ..	315	425	665
समयोपरि मजदूर ..	69	113	113
वास्तविक कार्मिक तत्व (प्रति मेगावाट) ..	6.19	5.58	6.41

विद्युत् तकनीकी समिति ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में संस्तुति की कि ओबरा तापीय शक्ति केन्द्र में कार्मिक तत्व प्रति मेगावाट 4 के आस पास होना चाहिये। विद्युत् तकनीकी समिति द्वारा संस्तुति प्रतिमान की तुलना में काम में लगी अतिरिक्त मानव शक्ति 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में क्रमशः 984, 867 और 1326 थी।

6.13. समयोपरि भुगतान

(क) वेतन और मजदूरी के अतिरिक्त, समयोपरि कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि का भुगतान किया जा रहा था। 1976–77 तक के तीन वर्षों के दौरान समयोपरि कार्य घण्टे और भुगतान की गयी धनराशि नीचे सारणीबद्ध है :—

वर्ष	समयोपरि घण्टे (लाख घंटों में)	भुगतान की गई धनराशि (लाख रुपयों में)
1974–75	2.03	9.38
1975–76	3.30	16.47
1976–77	3.31	20.90

*'लागू वेतन' के सम्बन्ध में, जिस पर समयोपरि भुगतान होता है, निकाली गई प्रतिशत नीचे दिये गए अनुसार है :—

वर्ष	लागू वेतन	समयोपरि भुगतान	लागू वेतन पर समयोपरि का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1974–75	66.38	9.38	14.1
1975–76	85.23	16.47	19.3
1976–77	86.01	20.90	24.3

(ख) फैक्ट्री अधिनियम 1948 में प्राविधान है कि एक तिमाही में एक कर्मचारी द्वारा 50 घंटे से अधिक समयोपरि कार्य नहीं होना चहिये। इन प्राविधानों के विपरीत शक्ति केन्द्र ने कुछ खण्डों (बायलर रख रखाव, कोल हैण्डलिंग, टरबाइन रखरखाव, कार्यशाला आदि) में उन्हीं कर्मचारी/कर्मचारियों को एक तिमाही में 150 घन्टों तक नियमित आधार पर कार्य करने दिया, उनकी संख्या 1975–76 में 20 से 94 तक थी, जो 1976–77 में भी चलती रही। इन वर्षों (1974–75 से 1976–77) के दौरान प्रत्येक तिमाही में इन कर्मचारियों को समयोपरि भुगतान उनके 'लागू वेतन' के 51 और 138 प्रतिशत के बीच रहा।

6.14. ठेके पर मजदूर

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शक्ति केन्द्र ने ठेकेदारों के माध्यम से उत्पादन इकाइयों के रख रखाव और परिचालन के लिये कर्मी नियुक्त किये। नियुक्त हुई श्रेणी में कुशल (यंत्रविद, फिटर आदि), अर्ध कुशल (बढ़ई, रिगर्स आदि) और अकुशल (सहायक, मजदूर आदि) कर्मी शामिल थे। 1976–77 तक के तीन वर्ष की अवधि में नियुक्त हुए मजदूर और भुगतान की गयी धनराशि नीचे दिये गए अनुसार थी :—

वर्ष	कुल कार्य दिवस (हजारों में)	औसत दैनिक मानव शक्ति	भुगतान की गई धनराशि (लाख रुपयों में)
1974–75	114.9	315	4.45
1975–76	155.3	425	8.21
1976–77	242.2	665	12.76

(क) परिषद् के अक्तूबर 1971 के आदेशानुसार दैनिक दर के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति केवल आकस्मिक और अत्यावश्यक जरूरतों को पूरी करने के लिये अनुमन्य थी। तथापि, इन आदेशों के विपरीत ठेकेदारों के माध्यम से आकस्मिक मजदूरों की भर्ती लगातार की जाती रही।

(ख) लगातार कई वर्षों तक कर्मचारी सामान्यत: शक्ति केन्द्र के परिचालन और रखरखाव खण्डों में वार्षिक सर्वेक्षण, सफाई, बुहारी, नेमी रखरखाव और अन्य कार्यों के लिये नियुक्त किये जाते रहे। प्रबन्धकों ने इस प्रकार की नियुक्ति को नियमित करने के लिये कार्य की आवश्यकताओं को नहीं आंका।

(ग) क्योंकि ये कर्मचारी बिजली घर परिसर में काम करते हैं, उनके प्रवेश और निकासी को नियमित करने के लिए उनकी उपस्थिति टाइम आफिस में अंकित करने की प्रणाली नहीं चालू की गयी है।

---

* 'लागू वेतन' में मूल वेतन, विशेष वेतन, और महंगाई भत्ता शामिल है।

(घ) 1975–76 तक ऐसे कर्मियों द्वारा किये गये कार्य की दैनिक प्रगति रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा तैयार की जाती रही, और उसी आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता रहा। उनकी दैनिक उपस्थिति और उनके किये गए वास्तविक कार्य की माप, जहां संभव हो, का सत्यापन खण्डीय अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व नहीं किया गया। यहां तक कि 1976–77 से तैयार की गयी दैनिक प्रगति रिपोर्टों में मजदूरों द्वारा किये गये काम की सही प्रकृति का संकेत भी नहीं था; केवल मोटे तौर पर श्रेणीकरण (यथा शक्ति केन्द्र की मरम्मत और रख रखाव, फैक्ट्री प्रबन्धक कार्यालय में अन्य कार्य, डस्ट सिस्टम का चलाना और रख रखाव आदि) अंकित किया गया था।

6.15. भण्डार नियंत्रण

(क) अधिप्राप्ति प्रणाली

शक्ति केन्द्र के परिचालन और रख रखाव हेतु आवश्यक सामान सेन्ट्रल परचेज डिवीजन द्वारा समुचित क्रय समिति के अनुमोदन के बाद खरीदा जाता है। अधीक्षण अभियन्ता, उप सामान्य प्रबन्धक और सामान्य प्रबन्धक के नेतृत्व में क्रमशः तीन क्रय समितियां प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की खरीद का अनुमोदन करती है; प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये से कम की खरीद सम्बन्धित खण्डीय अधिकारी द्वारा सीधे की जाती है। शक्ति केन्द्र के परिचालन एवं रख-रखाव के लिये की गई कुल खरीद का मूल्य और खण्डीय अधिकारियों द्वारा सीधे क्रय किये गये भण्डार नीचे दिखाए गए हैं :—

वर्ष	कुल खरीद का मूल्य	खण्डीय अधिकारियों द्वारा की गई खरीद का मूल्य	कुल खरीद पर खण्डीय अधिकारियों द्वारा की गयी खरीद का प्रतिशत
	(लाख रुपयों में)		
1974–75	188.63	48.80	26
1975–76	235.66	91.54	39
1976–77	423.33	141.72	33

खण्डीय अधिकारियों द्वारा की गयी खरीद "सीमित पूछताछ" के आधार पर थी; खुली निविदाओं के आधार पर की गई थोक खरीद के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ इन मामलों में खो दिया गया। अपनायी गयी प्रणाली के लिए कारण खण्ड के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। परिषद् के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1978)।

जुलाई 1976 तक अधिप्राप्ति और भण्डार नियंत्रण अधिशासी अभियन्ता, भण्डार एवं क्रय के अधीन केन्द्रित था। उसके बाद दो भिन्न स्वपूर्त खण्डों के अधीन भण्डार और खरीद कार्यों को प्रभाव में लाया गया। इन दो कार्यों को अधीक्षण अभियन्ता, भण्डार एवं क्रय के स्तर पर समन्वित किया जाता है।

आगामी वर्ष हेतु भण्डार की अधिप्राप्ति के लिये प्रति वर्ष नवम्बर/दिसम्बर से मांग-चक्र शुरू होता है। लगभग सभी परिचालन एवं रख रखाव खण्ड अपने सामानों की वार्षिक आवश्यकताएं प्रेषित करते हैं, जो सेन्ट्रल परचेज डिवीजन में संघटित की जाती है।

सामानों के निरीक्षण में विलम्ब

प्राप्त सामानों का शीघ्र निरीक्षण नहीं किया गया, निरीक्षण में विलम्ब एक माह और 12 माह के ऊपर के बीच रहा, जैसा कि नीचे इंगित है :—

निरीक्षण के लिये लीड की अवधि	संख्या	खरीद का मूल्य (लाख रुपयों में)
1 से 3 माह के बीच	18	11.33
3 से 6 माह के बीच	20	24.14
6 से 12 माह के बीच	4	1.79
12 माह से ऊपर	2	0.96

प्रबन्धकों ने भण्डार में सामानों के प्राप्ति के बाद उनके निरीक्षण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है ।

(ख) भण्डार सूची नियंत्रण

शक्ति केन्द्र द्वारा अपनाये गए भण्डार सूची नियंत्रण उपाय निम्नांकित सीमा तक अपर्याप्त रहे :–

(i) वार्षिक क्रय अनुमान नहीं तैयार किये गये यद्यपि वर्षानुवर्ष खरीद पर व्यय राशि बढ़ रही थी । भण्डार की खरीद के लिये आदेश बिना किसी यथार्थवादी आकलन के दिये जाते रहे, जिससे भण्डार और फुटकर पुर्जे आदि अधिक मात्रा में जमा हो गये, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है :—

विवरण	1974–75	1975–76	1976–77
	(लाख रुपयों में)		
भण्डार, फुटकर पुर्जों आदि के प्रारम्भिक रहतिये का मूल्य	233.52	257.95	282.63
वर्ष में खरीदा गया	188.63	235.66	423.33
उपभोग के लिये उपलब्ध भण्डार ..	422.15	493.61	705.96
उपभोग	164.20	210.98	346.97
अन्तिम रहतिया	257.95	282.63	358.99
उपलब्ध भण्डार पर उपभोग का प्रतिशत ..	39	43	49

(ii) अधिक / अत्यधिक उपभोग का पता लगाने के लिये विशिष्ट मदों के उपभोग का कोई प्रतिमान प्रबन्धकों द्वारा निश्चित नहीं किया गया है (दिसम्बर 1977) ।

(iii) स्टाक के अधिकतम, न्यूनतम और पुन: आदेश देने के स्तर निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(iv) सामानों का क्रिटिकल, नान-क्रिटिकल, त्वरित और विलम्ब से खपत की मदों में वर्गीकरण नहीं किया गया था ।

(v) कोई क्रय और भण्डार लेखा संहिता नहीं थी ।

(ग) फालतू और अप्रचलित भण्डार और फुटकर पुर्जे

आवश्यकता से फालतू, अप्रचलित और बेकार की मदों के आवधिक पृथक्करण और सत्यापन की कोई प्रणाली निर्धारित नही की गयी है (दिसम्बर 1977) ।

मार्च 1977 के अन्त में भंडार में 49.42 लाख रुपये मूल्य के फालतू घोषित भंडार और फुटकर पुर्जे शामिल थे जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	संख्या	कब फालतू घोषित हुए	मूल्य (लाख रुपयों में)
पम्पहाउस स्पेयर्स ..	21	1971	13.23
केबिल्स ..	..	मार्च 1977	6.81
सामान्य स्टोर्स ..	..	मार्च 1977	6.42
औजार और संयंत्र	98	मार्च 1977	0.91
तेल और रीफैक्ट्री मदें ..	8	मार्च 1977	0.28
पाइप और फिटिंग्स ..	16	मार्च 1977	0.11
इस्पात ..	1047 (मैट्रिक टन)	जून 1976	20.94
ग्लास वूल ..	..	1972	0.72
			49.42

इसमें निर्माताओं द्वारा आपूर्त संयंत्र के फुटकर पुरजे, बायलरों के फुटकर पुरजे, ट्रालीज, लोडर्स आदि के फुटकर पुर्जे, 100 मेगावाट सेट्स के निर्माण उपकरण से संबंधित फालतू मदें और 6.81 लाख रुपये के अनावश्यक केबिल्स शामिल नहीं हैं।

(घ) भण्डार रख-रखाव/लेखाओं में त्रुटियां

भण्डार रख-रखाव और लेखा प्रणाली की परख जांच ने निम्न बातें दर्शायीं:—

(i) स्टाक रजिस्टरों और औजार व संयंत्र रजिस्टरों की सामयिक बन्दी की जानी होती है अर्थात अर्द्धवार्षिक/वार्षिक। ये रजिस्टर क्रमशः सितम्बर 1971 और सितम्बर 1972 से बन्द नहीं किये गए हैं। तदनुसार, मार्च 1973 को समाप्त होने वाली और उसके बाद की अवधि के स्टाक रजिस्टर और सितम्बर 1973 को समाप्त होने वाली और उसके बाद की अवधि के औजार व संयंत्र रजिस्टर न तो खोले गये और न प्राप्ति व निर्गमनों के लेन देन की प्रविष्टियां की गयीं।

(ii) 31 मार्च 1977 को भण्डार और फुटकर पुर्जों के मूल्य (358.99 लाख रुपये) का समाधान नहीं हो पाया क्योंकि भण्डार के मूल्य लेखाओं को लेखा विभाग द्वारा अलग से नहीं रखा गया था।

(iii) शक्ति केन्द्र के अन्दर मार्च 1977 तक की अवधि के लिए अन्तर खण्डीय डेबिट जिनकी स्वीकृति 30 सितम्बर 1977 तक प्रतीक्षित रही कुल 20 लाख रुपये के थे जब कि बाहरी खण्डों द्वारा 7 लाख रुपये के लिए डेबिट्स की स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(iv) निर्माण कार्यों एवं ठेकेदारों को किये गये निर्गमन को डेबिट करने के लिये सामानों के निर्गमन दर अक्तूबर 1970 से संशोधित नहीं किये गये थे।

(v) भण्डारों, फुटकर पुर्जों और अन्य मदों का भौतिक सत्यापन 1974–75 व 1975–76 में नहीं किया गया और 1976–77 में आंशिक रूप से किया गया (16000 मदों में से 10818 मदों के सम्बन्ध में)।

(vi) रेलवे पर किये गये दावे (3.89 लाख रुपये) लेकिन 31 मार्च 1977 को निबटारे के लिये शेष, नीचे दिये गए विवरण अनुसार थे :—

विवरण				मदों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
1972–73 तक	..	..	..	43	1.30
1973–74	..	..	..	19	1.94
1974–75	..	..	..	14	0.32
1975–76	..	..	..	27	0.33
					3.89

इसके अतिरिक्त तांबे के तार का एक केबिल ड्रम (कीमत: 18500 रुपये) डाल्टनगंज में मार्च 1973 से पुलिस की निगरानी में है और 1.46 लाख रुपये मूल्य का सामान आसनसोल में रेलवे द्वारा 5300 रुपये में फरवरी 1975 में नीलाम कर दिया गया था।

इन दोनों मामलों में, प्रेषण कागजातों के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं को पहले ही अग्रिम भुगतान (लगभग 1.65 लाख रुपये) किया जा चुका था।

(ङ) लोकोमोटिव्स

कोयला/इंधन तेल रेलवे वैगनों में प्राप्त किया जाता है, जिन्हें कोल यार्ड/टंकी स्थल में शन्ट किया जाता है और फिर रेलवे साइडिंग्स में वापिस शन्ट किया जाता है। इस उद्देश्य के लिये शुरु से ही शक्ति केन्द्र रेलवे से लोकोमोटिव किराये पर लेता रहा था। जून 1973 में परिषद् ने लगभग 73 लाख रुपये की लागत से चितरंजन लोकोमोटिव से दो डीजल लोकोमोटिव खरीदने का निर्णय किया। जनवरी 1975 और मार्च 1976 में दो लोकोमोटिव प्राप्त किये गये, लेकिन इन्होंने संतोषजनक सेवा नहीं दी, जिसका कारण इन्जेक्टरों और अन्य पुर्जों में निर्माण की खराबियों को बताया गया। ये खराबियां आपूर्तिकर्ता द्वारा फरवरी 1975 और अप्रैल 1976 में ठीक की गयीं और इंजिनों को पुन: प्रयोग में लाया गया। उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है (उनकी प्राप्ति की तिथि से जुलाई 1977 तक दो लोकोमोटिव द्वारा चले घण्टे 3188 और 774 थे)। इन इंजिनों के तुच्छ निष्पादन के कारण शक्ति केन्द्र ने रेलवे से दो अतिरिक्त इंजिन बराबर किराये पर लेना जारी रखा। 1976–77 में इन दो इंजिनों के लिये रेलवे को 5.27 लाख रुपये किराये के रूप में भुगतान किये गए।

6.16. लागत नियंत्रण

शक्ति केन्द्र लागत लेखा की एक प्रणाली का पालन करता है, जिसके अन्तर्गत प्रति इकाई उत्पादन की लागत सालाना निर्धारित की जाती है। प्रणाली में निम्नांकित त्रुटियां पायी गयीं :—

(i) लागत केन्द्र स्थापित नहीं किये गये, फलत: उत्पादन की लागत समुचित समय के भीतर नहीं निकाली जा सकी।

(ii) लागत लेखा अभिलेखों का वित्त पुस्तकों के साथ समाधान नहीं किया गया।

(iii) शक्ति केन्द्र में मरम्मत और रख रखाव का खर्च 1974–75 में 141.07 लाख रुपये से बढ़ कर 1976–77 में 262.81 लाख रुपये हो गया, 1974–75 की तुलना में बढ़ोत्तरी 1975–76 में 22 प्रतिशत थी और 1976–77 में 86 प्रतिशत।

50 मेगावाट सेटों के लिए नवम्बर 1967 के और 100 मेगावाट सेटों के लिये जुलाई 1977 के संशोधित परियोजना प्रतिवेदनों में परिकलित उत्पादन लागत 7 और 9.999 पैसे प्रति इकाई थी। इसके विरुद्ध 1976–77 तक के तीन वर्ष की अवधि में वास्तविक उत्पादन लागत नीचे दिये गए अनुसार थी :

वर्ष	50 मेगावाट सेट्स	100 मेगावाट सेट्स
	(पैसे में प्रति इकाई)	
1974–75	10.1	12.5
1975–76	14.1	15.7
1976–77 (अनन्तिम)	14.1	14.9

उत्पादन लागत में वृद्धि के लिए उत्तरदायी परिवर्तनीय तत्वों पर नियन्त्रण रखने और आंकलन करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय में वृद्धि का परिषद् द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया।

6.17. प्रसार योजना स्तर II

राज्य की बढ़ती हुई विद्युत् आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 1970 में परिषद ने शक्ति केन्द्र की क्षमता दो स्तरों में 200 मेगावाट प्रति की पांच इकाइयां जोड़ कर (प्रथम स्तर में तीन इकाईयां और बाद के स्तर में 2 इकाइयां) 550 मेगावाट से 1550 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। 1969–70 में प्रचलित कीमतों के आधार पर 89.90 करोड़ रुपये और 68.00 करोड़ रुपये कुल 157.90 करोड़ रुपये के दो परियोजना प्राक्कलन भारत सरकार द्वारा जून 1972 और सितम्बर 1973 में क्रमशः प्रथम और बाद के स्तरों के लिये अनुमोदित किये गये। अक्तूबर 1976 में, दोनों स्तरों को मिलाकर एक परियोजना बना दी गयी और प्राक्कलन संशोधित कर 353.69 करोड़ रुपये का कर दिया गया (परिषद् द्वारा अनुमोदित नहीं–दिसम्बर 1977)। यह प्राक्कलन मुख्य संयंत्र और उपकरण (5× 200 मेगावाट सेट्स), सिविल निर्माण कार्यों हेतु निष्पादित अनुबन्धों, निर्मिति, जांच और कार्यारम्भ के लिए आपूर्ति की वास्तविक निविदत्त दरों पर आधारित किया गया है और सामान्य सुविधाओं यथा ठण्डे जल, जल उपचारित व्यवस्था आदि के लिये मदें शामिल हैं।

निम्नांकित सारणी में मूल और संशोधित प्राक्कलन की तुलना, मोटे तौर पर विभक्त शीर्षकों के अन्तर्गत की गयी है :–

विवरण	लागत		लागत में बढ़ोत्तरी	
	मूल प्राक्कलन (जून 1972) के अनुसार	संशोधित प्राक्कलन (अक्टूबर 1976) के अनुसार	दाम बढ़ने के कारण	अन्य कारणों से
	(लाख रुपयों में)			
भूमि	3.50	40.00	36.50	..
सिविल और यांत्रिक कार्य ..	1431.00	3638.00	1286.00	921.00
संयंत्र और उपकरण ..	12496.00	27934.00	8567.00	6871.00
औजार और संयंत्र	169.00	407.00	238.00	..
भवन	347.00	946.00	599.00	..
अन्य मदें यथा प्रारम्भिक कार्य, प्लान्टशन, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष व्यय	1344.00	2604.00	1260.00	..
योग ..	15790.50	35569.00	11986.50	7792.00

परियोजना के अभियंत्रण सम्बन्धी परामर्श का कार्य बम्बई की एक फर्म को 3.22 करोड़ रुपये में सौंपा गया (फरवरी 1972)। कार्य के क्षेत्र में उपकरणों की डिजाईनिंग, निविदा कागजातों की जांच पड़ताल और अन्य परामर्श सेवायें सम्मिलित थीं। मुख्य संयंत्र तथा मशीनों की आपूर्ति, निर्मिति और चालू करने के लिये एक ठेका (279.34 करोड़ रुपये) अगस्त 1970 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रदान किया गया। जब कि सिविल निर्माण, ढांचागत नीवों, नियंत्रण और यंत्रीकरण व्यवस्था के लिये अन्य ठेके मई 1973 से मार्च 1976 के बीच विभिन्न अभिकरणों को प्रदान किये गये।

मार्च 1977 तक कुल 173.89 करोड़ रुपये का व्यय नीचे दिये गये विवरण अनुसार किया जा चुका है:—

मदें	संशोधित प्राक्कलन में प्राविधान	मार्च 1977 तक वास्तविक व्यय
	(लाख रुपयों में)	
भूमि	40.00	21.31
सिविल/यांत्रिक कार्य	3638.00	2041.62
भवन	946.00	268.85
उपकरण	27934.00	14548.69
औजार और संयंत्र	407.00	286.32
विविध	2427.00	222.35
		17389.14

5 इकाइयों के चालू करने का कार्यक्रम नीचे दिये गये अनुसार है:—

इकाई	माह		
	मूल प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	आशंसित
I	जून 1976	जून 1977	जनवरी 1978
II	मार्च 1977	मार्च 1978	जुलाई 1978
III	दिसम्बर 1977	मार्च 1979	दिसम्बर 1979
IV	..	मार्च 1979	जून 1980
V	..	दिसम्बर 1979	दिसम्बर 1980

पहली इकाई चालू नहीं की गई है (दिसम्बर 1977)।

आर्थिक व्यवहार्यता

प्रसार परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, जैसा कि परियोजना प्राक्कलन में निकाली गयी है, निम्नांकित धारणाओं पर आधारित है:—

(i) वार्षिक भार तत्व 62.78 प्रतिशत पर,

(ii) ब्याज प्रभार 6.25 प्रतिशत प्रति वर्ष पर,

(iii) कार्यान्वयन (परिचालन एवं रखरखाव)—व्यय प्रति वर्ष 6714.45 लाख रुपये,

(iv) सहायक उपभोग-उत्पादन का 8 प्रतिशत,

(v) प्रति इकाई उत्पादन की लागत—13.1 पैसे,

(vi) बस बार पर प्रति इकाई बिक्री—14.1 पैसे।

शक्ति केन्द्र के अभिलेखों की परख जांच के दौरान निम्न बातें जानकारी में आयीं:—

(i) परियोजना प्राक्कलन में प्राविधानित 6.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के विरुद्ध परिषद् सार्वजनिक वित्त संस्थानों और सरकार से अपने पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिये 1971 से ब्याज की विभिन्न दरों पर (औसत दर लगभग 8 प्रतिशत प्रति वर्ष) ऋण लेता रहा है;

(ii) परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कीमतों/मजदूरियों की संभावित वृद्धि के लिये कोई गुंजाइश नहीं रक्खी गयी; और

(iii) सहायक उपकरणों में शक्ति का उपभोग प्रतिवर्ष बढ़ रहा था और यह प्राविधानित 8 प्रतिशत के विरुद्ध 1976-77 में उत्पादन का 10.5 प्रतिशत औसतन था।

6.18. अन्य रोचक विषय

(क) शण्ट रिएक्टर को क्षति

अक्टूबर 1975 से नवम्बर 1975 के मध्य स्वीडन से निर्माणाधीन 400के वी ओबरा—कानपुर ट्रांसमीशन लाइन के लिये आवश्यक एक 50 एम वी ए आर रिऐक्टर आयात किया गया, जिसे एक्सटेंशन प्लांट क्षेत्र में रेलवे साइडिंग की तरफ के भण्डार में रखा गया। फरवरी 1976 में पैकेजेज स्वीडिश तकनीशियनों द्वारा खोले गये और उपकरणों का निरीक्षण किया गया और संतोषजनक स्थिति में पाये गये। पैकेजों को पुनः पैक किया गया और उस जगह पर भण्डार में रख दिया गया। फरवरी 1976 में पैकेजों के ऊपर एक अस्थाई शैड बनाया गया। 31 मई 1976 की रात्रि में एक आग लगी और रिऐक्टर के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गये। उसी दिन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और बीमा कम्पनी को भी पहली जून 1976 को तार द्वारा आग की सूचना दी गयी। बीमा कम्पनी द्वारा किये गये अन्तिम सर्वेक्षण से पता चला कि 400के वी वुशिंग्स (3 इकाइयां), रेडियेटर्स (12), टुरेट्स (3) और आयल कन्जरवेटर्स, फ्रेम आदि पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो गये थे। प्रबन्धकों द्वारा हानि 29.82 लाख रुपये आंकी गयी और 28 जून 1977 को धनराशि के लिये बीमा कम्पनी में जून में एक दावा प्रस्तुत किया गया। तथापि दावे का निस्तारण नहीं हुआ है (दिसम्बर 1977)। इसी बीच आपूर्तिकर्ताओं से इन क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलने के लिये 23 अगस्त 1976 को अनुरोध किया गया। फर्म हिस्से बदलने को सहमत हो गयी (सितम्बर 1976) और पहले प्राप्त किये गये सम्पूर्ण उपकरण के 46.26 लाख रुपये के मूल्य के विरुद्ध 71.00 लाख रुपये (लगभग) कीमत बतलायी। तदनुसार, क्षतिग्रस्त हिस्सों के लिये आपूर्तिकर्ताओं को एक आदेश दिया गया (सितम्बर 1976)। बदले हुए हिस्से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 1977)।

परिषद् ने (i) अग्निकाण्ड के कारणों की जांच करने, (ii) दुर्घटना के लिये दायित्व नियत करने, और (iii) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये उपाय सुझाने के लिये उपसामान्य प्रबन्धक के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की (मई 1976)। समिति ने अपने प्रतिवेदन (अगस्त 1976) में पाया कि आग सम्भवतः रात में वहां शरण लेने वाले मजदूरों द्वारा जलते हुए बीड़ी के टुकड़ों को फेंकने से लगी। समिति, क्षति के लिये दायित्व नियत करने में असमर्थ रही।

(ख) स्लैगवूल का क्रय

शक्ति केन्द्र द्वारा दिसम्बर 1969 में दिल्ली की एक फर्म को स्लैगवूल (1097 मैट्रिक टन) आपूर्ति का आदेश 900 रुपये प्रति मैट्रिक टन, 10 प्रतिशत की छूट के साथ, की दर पर दिया गया। आपूर्ति जून 1971 तक पूर्ण होनी थी। चूंकि 100 मेगावाट सैट्स का निर्माण कार्यक्रमानुसार प्रगति नहीं कर रहा था, प्रबन्धकों ने फर्म से सामान भेजने का कार्य रोक देने को कहा (जून 1971)। इस समय तक फर्म ने 341.75 मैट्रिक टन स्लैगवूल की आपूर्ति कर दी थी। आपूर्तियां फर्म द्वारा फरवरी 1973 में फिर शुरू की गयी और मार्च 1975 में पूर्ण हुई। तथापि,

फर्म ने, दाम बढ़ाकर 900 रुपये से 1080 रुपये प्रति मैट्रिक टन अगस्त 1973 तक और सितम्बर 1973 से मार्च 1975 तक 1550 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दिया। दाम में वृद्धि परिषद् द्वारा कीमतों में वृद्धि की सीमा, यदि कोई हो, बाजार से बिना सुनिश्चित और विश्लेषित किये, स्वीकार कर ली गयी और प्रेषण कागजातों के विरुद्ध पूरा भुगतान कर दिया गया। फलत: निविदत्त कीमत के विरुद्ध 4.69 लाख रुपये का एक अतिरिक्त भुगतान हो गया (94.50 मैट्रिक टन पर अगस्त 1973 तक और अगस्त 1973 के बाद 600 मैट्रिक टन)। क्रय की गई मात्रा में से 800 बैगों (लगभग 50 मैट्रिक टन) को मार्च 1977 में आवश्यकताओं से फालतू घोषित कर दिया गया, इनका निस्तारण प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1977)।

(ग) सामान की क्षति

100 मेगावाट सेट्स के निर्माण के दौरान 4.37 लाख रुपये मूल्य के वायलर के कुछ पुर्जे अन्य सहायक पुर्जे आदि मई 1976 में नष्ट हो गये। चूंकि उपकरणों का बीमा हो गया था, बीमा कम्पनी के पास क्षति की पूर्ति हेतु 19 मई 1976 को अनुरोध भेजा गया। बीमा कम्पनी नें 25 मई 1976 को कुछ कागजातों (एफ आई आर, और विधिवत् भरे हुए दावा प्रमाण-पत्र) का प्रस्तुतीकरण चाहा। शक्ति केन्द्र द्वारा बीमा कम्पनी को अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है (दिसम्बर 1977)।

अनुभाग VII

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

राजस्व की हानि

7.01. राजस्व का लेखे में नहीं/कम लिया जाना

बिल में लगाई राशि के विरुद्ध वसूली पर निगरानी रखने और बकायादारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से उपभोक्ताओं से वसूल की गई राशि का उपभोक्ताओं के खातों में प्रविष्टि करना आवश्यक होता है। राजस्व रोकड़बही में प्रदर्शित वसूली की राशि का उपभोक्ता खाते में प्रदर्शित राशि से प्रत्येक महीने समाधान करना होता है।

नये खाताबहियों में प्रारम्भिक अवशेषों को भी मुख्य बिल लिपिक द्वारा साक्ष्यांकित करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अवशेष सही अग्रेणित किये गये, इस प्रकार अग्रेणित अवशेषों की एक निश्चित प्रतिशत (अभिशासी अभियन्ता द्वारा जो तय हो) लेखाकार (राजस्व) द्वारा परख जांच करनी होती है।

(क) उपर्युक्त कार्य प्रणाली का विद्युत वितरण खण्ड, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) द्वारा पालन नहीं किया गया। खण्ड के लेखाओं की जनवरी/फरवरी 1977 में की गई एक परख जांच से निम्न बातें प्रकट हुई :—

(i) निजी ट्यूबवैल/पम्पिंग सैट्स और लघु/मध्यम विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में 1973–74, 1974–75 और 1975–76 के खाता बहियों से अग्रेणित बकाये अगले वर्षों के खाता बहियों में, 267 मामलों में 2.75 लाख रुपये से कम दर्ज किये गये। इन मामलों का वर्षवार विवरण निम्न है:—

वर्ष		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
से	तक		
1973–74	1974–75	43	0.39
1974–75	1975–76	203	2.09
1975–76	1976–77	21	0.27
		267	2.75

(ii) इसके अतिरिक्त मासिक अवशेषों को एक मास से दूसरे अगले मास में अग्रेणित करते समय, 258 मामलों में या तो पूरी की पूरी राशि छोड़ दी गयी या कम दिखलायी गयी थी। इस प्रकार कम दिख लायी गयी कुल राशि 2.08 लाख रुपये है। इसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:—

वर्ष	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1973–74	8	0.06
1974–75	95	0.83
1975–76	151	1.12
1976–77	4	0.07
	258	2.08

(iii) 7 जुलाई 1975 से 21 जुलाई 1976 की अवधि के दौरान 79 उपभोक्ताओं के नाम वास्तविक वसली की राशि से 0.83 लाख रुपये से अधिक जमा होना दिखलाया गया।

(iv) 13 उपभोक्ताओं से सम्बन्धित 0.13 लाख रुपये के योग के भुगतान प्राप्त न हुए दावे, सम्बन्धित खातावही लिपिक द्वारा मार्च 1975 से फरवरी 1976 की अवधि के दौरान सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (राजस्व) के अनुमोदन के बिना, वापस ले लिये गये। ये वापसियां खाता के आंकलन/बकाया स्तम्भ में ऋण की प्रविष्टि दिखलाकर की गई।

परिषद् को हानि पहुंचाने वाली ये गलतियां और हेराफेरी समुचित पर्यवेक्षण और समुचित जांच के अभाव के कारण सुगम हुई।

सम्परीक्षा द्वारा मामला लिये जाने पर (जनवरी 1977), परिषद् ने तीन फरवरी 1977 से 8 जून 1977 तक खण्ड के राजस्व के लेन देन की विशेष लेखा परीक्षा के लिये अपनी आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी प्रतिनियुक्त की। विशेष लेखा परीक्षा ने अपने लेखा परीक्षण में 1973–74 से 1976–77 तक की अवधि को लिया। विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से निम्नांकित बातें, जिनसे परिषद् को हानि हुई, प्रकाश में आयीं:—

(i) शेष राशि (बैलेन्सेज) एक मास से दूसरे मास और वर्षानुवर्ष अग्रणित करने की प्रकिया में बकाया राशि का कम होना (5.93 लाख रुपये)।

(ii) प्रत्येक मास के अन्त में गलत योग द्वारा बकाये राशि का कम होना (3.12 लाख रुपये)।

(iii) उपभोक्ताओं के खाते में अनाधिकृत जमा दिखाकर बकाये राशि में कमी (3.66 लाख रुपये)।

उपर्युक्त के अतिरक्त, विशेष लेखा परीक्षा दल ने यह भी बतलाया:—

(i) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना आंकलन की वापसी (3.45 लाख रुपये),

(ii) अनाधिकृत छूट (0.15 लाख रुपये), और

(iii) 40 मामलों में सम्बन्धित उपभोक्ताओं के बिल ही नहीं बनाना (0.47 लाख रुपये)।

परिषद् ने बतलाया (दिसम्बर 1977) कि:—

(i) मामले की और अधिक तहकीकात करने तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाने के लिये राज्य सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया था, ;

(ii) सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी ;

(iii) उपभोक्ताओं को सही बिल भेजने के लिये 1973–74 से 1976–77 तक के उनके खातों को फिर से तैयार करने के आदेश दिये गये थे ; और

(iv) चीफ जोनल इन्जीनियर, वाराणसी को जिला सरकारी वकील की सलाह से पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये कहा गया था।

(ख) विद्युत् वितरण खण्ड, प्रथम, आजमगढ़ में मार्च/अप्रैल 1977 में किये गये परख लेखा परीक्षा के द्वारा निम्न बातें प्रकाश में लाई गयीं:—

(i) निजी ट्यूब वैल/पम्पिंग सैट्स और लघु/मध्यम विद्युत् उपभोक्ताओं के 147 मामलों में मासिक बकाया राशि 0.99 लाख रुपये से कम अग्रेषित हुई। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:—

वर्ष	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1972–73	43	0.24
1973–74	78	0.51
1974–75	16	0.12
1975–76	10	0.12
	147	0.99

(ii) 1972–73 के अंतिम शेष को अग्रेषित करने में उपभोक्ताओं के हित में उपरिलेखन (ओवर राइटिंग) या मिटा कर लिखने के द्वारा 25 उपभोक्ताओं के शेष 0.11 लाख रुपये से कम कर दिये गये।

अगस्त 1977 में सरकार को मामले की रिपोर्ट कर दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

7.02. बिलम्बित भुगतान पर अधिभार का न लगाया जाना

(क) परिषद् द्वारा अक्टूबर 1975 में निर्गत निर्देशों के अनुसार, स्टेट ट्यूब वेल पम्प्ड कैनाल और लिफ्ट इर्रीगेशन हेतु विद्युत् आपूर्ति के बिल के भुगतान में 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में, राजकीय नलकूपों, पम्प नहरों और डाल सिंचाई (लिफ्ट इर्रीगेशन) को विद्युत् आपूर्ति के लिये बिल की राशि पर, दिसम्बर 1975 से 2 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके अंश पर अधिभार लगाया जाना था। विद्युत् वितरण खण्ड, हापुड़ और बड़ौत ने दो उपभोक्ताओं के मामले में दिसम्बर 1975 से फरवरी 1977 की अवधि के दौरान इस प्रकार के विलम्बित भुगतान पर अधिभार नहीं लगाया। अधिभार न लगाने के कारण 2.34 लाख रुपये योग की धनराशि कम प्रभारित (अन्डर चार्ज) हुई।

परिषद् ने सूचित किया (जनवरी 1978) कि अधिभार का न लगाया जाना इसलिये सम्भव हुआ कि सिंचाई विभाग से परिषद् को विद्युत् देयों का भुगतान 1974 में केन्द्रित कर दिया गया था। क्षेत्र इकाइयों द्वारा दिये गये बिलों पर सिंचाई विभाग से समेकित भुगतान की प्राप्ति के कारण, भुगतान की देय तिथि और भुगतान किये जाने की वास्तविक तिथि निश्चित करना असम्भव हो गया। इसलिये क्षेत्र इकाइयों को निर्देश दिया गया कि वे सिंचाई विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर अधिभार लगाना बन्द कर दें। परिषद् ने यह भी बताया कि सिंचाई विभाग से भुगतान की प्राप्ति पहली अक्टूबर 1977 से फिर से विकेन्द्रित कर दी गई थी और खंडों को सामान्यरूप से अधिभार लगाना था।

अगस्त 1977 में मामले की रिपोर्ट सरकार को कर दी गयी है; उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

(ख) सिंचाई हेतु नलकूपों/पंपिंग सेटों के लघु शक्ति उपभोक्ताओं और लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू क्रमशः 1 नवम्बर 1974 तथा 12 अक्टूबर 1974 से प्रभावी दर सूची के अनुसार मासिक बिल का उसमें उल्लिखित निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा बिल की राशि पर, 12 प्रतिशत अधिभार देय है। भुगतान की देय तिथि के अगले मास की प्रथम तारीख से गणना कर छः मास से अधिक विलम्ब की स्थिति में, उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार

हुए विलम्ब की अवधि के लिये भी प्रति माह या उसके अंश पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार देय है ।

परिषद् की निम्नांकित इकाइयों में से प्रथम तीन इकाइयों ने अतिरिक्त अधिभार बिल्कुल नहीं लगाया और अन्तिम इकाई ने सामान्य अधिभार नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप 1.27 लाख रुपये योग का राजस्व कम प्रभारित (अन्डर चार्ज) हुआ :—

इकाइयों के नाम	अवधि	अधिभार की दर	उपभोक्ताओं की संख्या	कम प्रभारित की गई धन-राशि (लाख रुपयों में)
विद्युत् वितरण खण्ड, बड़ौत (मेरठ)	नवम्बर 1974 से सितम्बर 1976	2 प्रतिशत	16	0.44
विद्युत् वितरण खण्ड, हापुड़ (मेरठ)	नवम्बर 1974 से सितम्बर 1976	2 प्रतिशत	44	0.37
विद्युत् वितरण खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर)	नवम्बर 1974 से सितम्बर 1976	2 प्रतिशत	212	0.35
विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव	नवम्बर 1974 से जुलाई 1977	12 प्रतिशत	41	0.11
			योग	1.27

मामले की रिपोर्ट परिषद्/सरकार को अगस्त/सितम्बर 1977 में कर दी गयी थी; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

7.03. शुल्क दर (टैरिफ) का गलत लागू किया जाना

12 अक्टूबर 1974 से प्रभावी एल एम वी 6 दर सूची सामान्य उद्देश्यों, औद्योगिक एवं कृषि औद्योगिक उद्देश्यों, 3 अश्वशक्ति से अधिक के कम से कम एक मोटर के साथ सार्वजनिक जलकल और जलोत्सारण पंपिंग के लिये 75 किलोवाट (100 बी एच पी) तक अनुबन्धित भार वाले लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू होती है । विद्युत वितरण खण्ड, शामली (मुजफ्फरनगर) और बड़ौत (मेरठ), प्रत्येक 3 अश्वशक्ति के अनुबन्धित भार वाले कुछ उपभोक्ताओं को उपर्युक्त दर सूची पर बिल देना जारी रखे जबकि उनके ऊपर एल एम वी-2 वी वाणिज्यिक शक्ति शुल्क दर सूची लागू होनी थी । विद्युत वितरण खण्ड, शामली और विद्युत वितरण खण्ड, बड़ौत में क्रमश: 34 और 16 उपभोक्ताओं के मामलों में दर सूची के गलत कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 12 अक्टूबर 1974 से मार्च 1977 की अवधि के दौरान 0.32 लाख रुपये (शामली: 0.24 लाख रुपये; बड़ौत : 0.08 लाख रुपये) का राजस्व कम भारित किया गया ।

मामला सरकार/परिषद् को जुलाई और अगस्त 1977 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

7.04. छूट की अनियमित स्वीकृति

(क) लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपभोग पर 3 पैसा प्रति यूनिट की छूट की स्वीकृति के प्राविधान के साथ 12 अक्टूबर 1974 से प्रभावी परिषद् की बिजली चार्जेज की दर सूची अक्टूबर 1974 में संशोधित की गई । यह छूट, परिषद् द्वारा जनवरी 1975 में पूर्वकालिक प्रभाव से, वापस ले ली गई ।

किन्तु, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, गोरखपुर ने 31 दिसम्बर 1975 तक छूट स्वीकृत करना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1974 से दिसम्बर 1975 की अवधि के दौरान 2.43 लाख रुपये तक का राजस्व कम भारित किया गया।

मामला सरकार को अगस्त 1977 और परिषद् को दिसम्बर 1976 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

(ख) विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव प्रथम जुलाई 1975 से एक निर्माता को 11 किलो वोल्ट सप्लाई पर 5000 के वी ए के अनुबन्धित भार पर बिजली की आपूर्ति करता रहा है। 12 अक्टूबर 1974 से प्रभावी सम्बन्धित दर सूची के प्राविधानों के अनुसार ए सी वोल्टेज पर 400 से अधिक और 66 किलोवाट तक विद्युत् आपूर्ति के लिये मांग और शक्ति चार्जेज का वास्तविक धनराशि पर पांच प्रतिशत की छूट अनुमन्य थी। जुलाई 1975 से जनवरी 1976 की अवधि में खण्ड ने वास्तविक मांग और शक्ति चार्जेज के बजाय न्यूनतम मासिक गारण्टी की धनराशि पर छूट दी। फलतः उपरोक्त अवधि में 0.38 लाख रुपये की अधिक छूट दी गयी।

मामले को सरकार और परिषद् की जानकारी में सितम्बर 1977 में लाया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

7.05. अवप्रभारण (अन्डर चार्ज)

विद्युत् उपभोग के अंकन के लिये, दीर्घ एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के प्रांगण में ट्रिवेक्टर मीटर लगाये जाते हैं। इस मीटर में, नामतः तीन मीटर होते हैं:—

(i) इनर्जी मीटर (के डब्लू एच)
(ii) वोल्ट एम्पीयर आवर्स मीटर (के वी ए एच)
(iii) रिएक्टिव वोल्ट एम्पीयर आवर्स मीटर (के वी ए आर एच)

उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के लिये बिल, के डब्लू एच मीटर में अंकित उपभोग के आधार पर दिये जाते हैं और के डब्लू एच मीटर में अंकित उपभोग को के वी ए एच मीटर में अंकित उपभोग से भाग देकर पावर फैक्टर निर्धारित किया जाता है। यदि पावर फैक्टर 0.85 के मानक पावर फैक्टर से कम है तो के डब्लू एच मीटर द्वारा अंकित उपभोग कम होगा। तदनुसार, दीर्घ एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं से किये गये अनुबन्धों में यह प्राविधान रक्खा गया कि उन्हें पावर फैक्टर को 0.85 तक बनाये रहना चाहिये और यदि यह कम था, तो उपभोक्ताओं द्वारा कैपैसिटर लगाकर इसे इस स्तर तक लाना चाहिये। उपभोक्ता द्वारा कैपैसिटर लगाने में असफल होने की दशा में परिषद् को अपेक्षित कैपेसिटर लगाने और उपभोक्ता से उसकी लागत वसूलने का अधिकार होगा।

विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव के लेखाओं की सम्परीक्षा में यह देखा गया कि सात उपभोक्ताओं के मामलों में पावर फैक्टर, मानक पावर फैक्टर से कम थे, फलतः नवम्बर 1974 से जुलाई 1977 की अवधि म 1.74 लाख रुपये का अवप्रभारण (अन्डरचार्ज) हुआ (विद्युत् शुल्क 0.13 लाख रुपये और कोयला अधिभार समायोजन 0.48 लाख रुपये मिला कर)।

सितम्बर 1977 में मामले को सरकार और परिषद् की जानकारी में लाया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

7.06. विद्युतदयों की गैर अदायगी (नान-पेमेन्ट)

सड़कों पर रोशनी और जलकल हेतु महापालिका वाराणसी को विद्युत् आपूर्ति के लिये एक लाइसेन्सी के साथ किया गया प्रबन्ध, परिषद् द्वारा 6 फरवरी 1975 को लाइसेन्सी के उपक्रम का

अधिग्रहण के उपरान्त भी जारी रहा । परिषद् द्वारा लगाई जाने वाली दरें भूतपूर्व लाइसेन्सी द्वारा लगाई जाने वाली दरों से सड़क पर रोशनी हेतु विद्युत् आपूर्ति के लिये उच्चतर और जलकल के लिये निम्नतर थीं । जुलाई 1976 म, नगर महापालिका ने परिषद् से, अधिग्रहण की तिथि से जलकल हेतु विद्युत् आपूर्ति के लिये; अपनी स्वयं की शुल्क दर लागू करने का अनुरोध किया । परिषद् ने इस शर्त पर अनुरोध स्वीकार किया (नवम्बर 1976) कि सड़कों पर रोशनी की आपूर्ति भी उसी तिथि से परिषद् के शुल्क दर सूची से प्रभारित होगी । तदनुसार, सितम्बर 1976 तक की अवधि की बिलें निम्न प्रकार से संशोधित की गई:—

	मूल बिलों की धन-राशि	संशोधित बिलों की धनराशि (लाख रुपयों में)	अन्तर
सड़क पर रोशनी	5.07	13.54	(+) 8.47
जलकल	43.00	33.77	(−) 9.23
योग	48.07	47.31	(−) 0.76

उपभोक्ता ने जलकल हेतु विद्युत् प्रभार को स्वीकार कर लिया, लेकिन सितम्बर 1976 तक की अवधि क सड़क पर रोशनी हेतु बिलों का भुगतान भूतपूर्व लाइसेन्सी के दरों पर हुआ, फलतः 8.47 लाख रुपये का कम भुगतान हुआ । अक्टूबर 1976 से, उपभोक्ता ने सड़क पर रोशनी के लिये बिजली के बिलों का भुगतान, परिषद् की दर सूची एल एम वी-4 ए (44 पैसे प्रति यूनिट) के बजाय, नगर महापालिका कानपुर के लिये लागू निम्नतर दर (28 पैसे प्रति यूनिट) पर करना चालू किया ।

परिषद् और वाराणसी नगरमहापालिका के मध्य का विवाद अनिश्चित रहा है । तथापि, परिषद्, अपने स्वयं के आधार पर देय धनराशियां प्रदर्शित कर रही है और परिषद् के आंकड़ों के आधार पर अगस्त 1977 के अन्त में संचित देय 13.11 लाख रुपये के निकलते हैं ।

मामले की रिपोर्ट परिषद् को जून 1977 और सरकार को अगस्त 1977 में कर दी गयी; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

अनुभाग VIII

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

अन्य रोचक विषय

8.01. भण्डार की कमी

(क) एक सहायक भण्डारी, जो तथाकथित रूप से विद्युत अनुरक्षण खण्ड, लखीमपुर खीरी (0.03 लाख रुपये) और ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, रायबरेली (2.58 लाख रुपये) में 2.61 लाख रुपये मूल्य की भण्डार की कमियों (फरवरी 1969 से अक्टूबर 1972 की अवधि के दौरान) से सम्बद्ध था, को नवम्बर 1972 से ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उन्नाव में भण्डार का कार्यभार ग्रहण करने दिया गया। सितम्बर 1973 में खण्ड के भण्डार का दो उप-खण्डीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किये जाने पर मूलतः कुल 10.39 लाख रुपये मूल्य की कमियां पायी गयीं; बाद में समायोजन के परिणाम स्वरूप कमियों का मूल्य घटकर 6.93 लाख रुपये रह गया। सितम्बर 1974 में मामला पुलिस को सूचित किया गया और नवम्बर 1974 में कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया। न तो कमियों की जांच पूरी हुई है और न कर्मचारी से कोई वसूली हुई है (दिसम्बर 1977)।

सितम्बर 1977 में मामला सरकार और परिषद् को सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

(ख) अवर अभियन्ता के रूप में पदोन्नति होने पर, विद्युत वितरण खण्ड, रामपुर के भण्डारी ने अक्टूबर 1963 में निर्माणस्थल पर भण्डार तथा औजार और संयंत्र की वास्तविक गणना के आधार पर भण्डार का कार्यभार सहायक भण्डारी को सौंपा। पुस्तक शेष के संदर्भ में कम पाये गये भण्डार तथा औजार और संयंत्रों (मूल्य : 71391 रुपये) के मदों की एक सूची जून 1965 में भूतपूर्व भण्डारी, जो उस समय किसी अन्य खण्ड में अवर अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहा था, को भेजी गई तथा उससे उन कमियों का समाधान करने के लिये कहा गया। चूंकि कमियों का समाधान नहीं किया गया, विद्युत पारेषण निर्माण खण्ड, रुड़की के अधिशासी अभियन्ता, जहां वह कर्मचारी तब कार्य कर रहा था तथा मण्डल (रुड़की) के अधीक्षण अभियन्ता को उसके वेतन से आसान किस्तों में धनराशि वसूल करने की अक्टूबर 1971 में परामर्श दिया जाना बताया गया। किन्तु कोई वसूली नहीं की गई है (दिसम्बर 1977)। सम्बन्धित कर्मचारी परिषद् की सेवाओं से अवकाश प्राप्त कर चुका है (मई 1976)।

34040 रुपये मूल्य की भंडार सामग्री की कमी जुलाई 1967 में, अवर अभियन्ता के कार्यभार सौंपते समय, पता लगाई गई। कोई वसूली नहीं की गई है (दिसम्बर 1977)। बताया गया कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है।

मामला अगस्त 1977 में सरकार को और जनवरी 1977 में परिषद् को सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

(ग) परिषद् ने रामपुर की एक फर्म से 800 पूर्व प्रतिबलित सीमेण्ट कंक्रीट पोल खरीदे जिन्हें जून 1973 में विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, वाराणसी को भेज दिया गया। 800 पोलों में से 240 पोलों (मूल्य : 0.38 लाख रुपये) को खण्ड के सहायक भण्डारी द्वारा लेखों में नहीं दर्ज किया गया। जनवरी 1977 में सम्बन्धित सहायक भंडारी से धनराशि वसूल करने का निर्णय लिया गया क्योंकि वह 240 पोलों का हिसाब या लेखों में दर्ज न किये जाने का कोई औचित्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

कथित सहायक भंडारी से निम्नलिखित धनराशियां पहले से ही वसूल करने के लिये पड़ी थीं :

	धनराशि (लाख रुपयों में)	माह
1--जुलाई 1974 में पाई गई स्टाक की कमियां (ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड, चुनार)	0.57	जून 1975
2--सितम्बर 1975 में कार्यभार देते समय पाई गई कमियां (विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, वाराणसी)	0.23	नवम्बर 1975
3--ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, वाराणसी के कार्यों के लिये, जो मई 1975 में तोड़ दिया गया था, सितम्बर 1975 म निर्गमित दिखाये गये सामान का मूल्य	0.28	मार्च 1976
योग	1.08	

इस प्रकार मार्च 1976 को सहायक भण्डारी के विरुद्ध बकाया कुल धनराशि 1.46 लाख रुपये थी ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह बताया गया (फरवरी 1977) कि सहायक भण्डारी से 66 रुपये प्रतिमाह की दर से वसूली की जा रही थी । इस दर पर वसूली करने से उसके अवकाश प्राप्त करन तक उसके विरुद्ध बकाया धनराशि का 10 प्रतिशत भी वसूल कर पाना सम्भव नहीं होगा ।

मामला परिषद् को मई 1977 में और सरकार को अगस्त 1977 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

(घ) जनवरी 1975 के दौरान रामपुर उप-खण्ड में ट्रान्सफार्मर मरम्मत कार्यशाला के भण्डार का कार्यभार सौंपते समय 0.25 लाख रुपये मूल्य के 998.4 किलोग्राम तांबे के 'लैग क्वायल्स' की कमी पाई गई । अधीक्षण अभियन्ता ने अगस्त 1976 में बताया कि कमी का मामला जांच के अन्तर्गत था । आगे की प्रगतियों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

मामला परिषद् को नवम्बर 1976 में तथा सरकार को अगस्त 1977 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

8.02. ट्रान्सफारमर तेल की हानि

उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल, लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता ने कानपुर की एक फर्म को 7.5 एम वी ए (66/33 के वी) ट्रांन्सफार्मर (मूल्य : 3.52 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिये एक आदेश दिया (जून 1970) । ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति मुजफ्फरनगर के एक उप-खण्ड को मार्च 1971 तक कर दी जानी थी । तथापि, ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति अप्रैल 1973 में की गई किन्तु उसे लगाया नहीं गया तथा भण्डार में रख दिया गया ।

ट्रान्सफार्मर में 10590 लीटर तेल था । 24/25 जून 1975 को 5200 लीटर ट्रान्सफार्मर का तेल (मूल्य : लगभग 0.52 लाख रुपये) बह गया क्योंकि 'ड्रेन कार्क' नदारद पाया गया । तथापि, अक्टूबर 1977 में ट्रान्सफार्मर में तेल भर दिया गया किन्तु उसे लगाया नहीं गया है (दिसम्बर 1977) ।

परिषद् ने बताया (मार्च 1977) कि "मात्र इस तथ्य से ही कि जून 1975 तक ट्रान्सफार्मर का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि ट्रान्सफार्मर तेल का 'ड्रेन कार्क' चोरी चला गया था और ट्रान्स-

फार्मर में बहुत कम तेल रह गया था, यह पता लगता है कि ग्रिड में किसी भी उप-खण्ड में लगाने के लिये ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता नहीं थी"। आगे यह बताया गया कि "दिया गया आदेश वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं था और इससे ट्रान्सफार्मरों की खरीद और आबंटन में योजना की कमी का पता चलता है"। खण्डीय अधिकारी ने सब-स्टेशन पर ट्रान्सफार्मर और भण्डार के अन्य सामानों की सुरक्षा के लिये समुचित पहरा और निगरानी सुविधा की व्यवस्था नहीं की थी।

खण्डीय अधिकारी ने ट्रान्सफार्मर के तेल की हानि के बारे में अधीक्षण अभियन्ता को सितम्बर 1975 में सूचित किया। ट्रान्सफार्मर की इंसुलेशन शक्ति की कमी से बचाव के लिये खण्डीय अधिकारी ने ट्रान्सफार्मर में तेल पुनः नहीं भरा। परिषद् ने बताया (मार्च 1977) कि "यद्यपि ट्रान्सफार्मर तेल भण्डार में उपलब्ध था", अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और सहायक भण्डारी ने "परिषद् के हितों के प्रति उदासीनता दिखायी"। यह भी बताया गया कि अधीक्षण अभियन्ता, जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा मामला सूचित किया गया था, ट्रान्सफार्मर भरने के लिये आवश्यक आदेश देने में असफल रहा जिसने "इतने महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने में उसकी असक्षमता को दर्शाया"।

8.03. बिक्रीकर का अधिक भुगतान

26 मई 1975 से संशोधित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकार द्वारा स्वामित्व की गई या नियंत्रित किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम के सभी कार्यालय, अपने स्वयं के प्रयोग के लिये किसी भी वस्तु का क्रय (लेकिन दुबारा बिक्री के लिये या किसी वस्तु के निर्माण या पैकिंग में प्रयोग के लिये नहीं) बिक्रीकर की रियायती दर पर, अर्थात् 30 जून 1975 तक 3 प्रतिशत की और उसके बाद 4 प्रतिशत, कर सकती थी। यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध थी जब कि सम्बन्धित क्रयकर्ता अधिकारी बिक्रीकर विभाग से प्राप्य एक निर्धारित प्रपत्र में विक्रय व्यापारी को एक घोषणा प्रेषित करें।

परख लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि परिषद् की 43 इकाइयों ने बिक्रेता व्यापारियों से अपने निजी प्रयोग के लिये जून 1975 से अगस्त 1976 की अवधि के दौरान कुल 610.40 लाख रुपये मूल्य का माल खरीदा किन्तु बिक्री-कर की रियायती दरों का लाभ लेने के लिये निर्धारित घोषणा नहीं प्रेषित की। इसके परिणाम स्वरूप इन खरीदों पर कुल 6.10 लाख रुपये के बिक्रीकर का अतिरिक्त भुगतान हो गया।

मामला परिषद् को मार्च से अक्टूबर 1976 के दौरान और सरकार को अगस्त 1977 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

8.04. किस्तों का वसूल न किया जाना

जुलाई 1972 में परिषद् ने निजी नलकूपों और पंपिंग सेटों को वरीयता के आधार पर बिजली देने की एक 'वरीयता योजना' प्रत्येक वर्ष अप्रैल में देय दस वार्षिक किस्तों में 'वरीयता चार्जेज' (जो वापिस नहीं किये जाने थे) के रूप में 700 रुपये और 1050 रुपये की वसूली की शर्त के आधीन चालू की; पहली किस्त पंपिंग सैटों को बिजली दिये जाने के पूर्व ही वसूल की जानी थी। तथापि, बड़ौत, हापुड़ और शामली के विद्युत वितरण खण्डों ने 5035 उपभोक्ताओं, जिन्हें 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान वरीयता योजना के अन्तर्गत बिजली दी गई थी, से अप्रैल 1973 से अप्रैल 1977 के दौरान देय द्वितीय और उसके बाद की किस्तों की वसूली नहीं की। उपभोक्ताओं से अप्रैल 1977 तक किस्तों की वसूल न की गई धनराशि 17.52 लाख रुपये हुई।

इसी प्रकार, परिषद् ने 1972–73 और 1973–74 के दौरान 605 उपभोक्ताओं को जीवन बीमा निगम योजना के अन्तर्गत बिजली प्रदान की, जिसके अनुसार 50 रुपये की दस वार्षिक किस्तों में 500 रुपये की वसूली की जानी थी; प्रथम किस्त की वसूली पम्पिंग सेटों को बिजली देने के समय करनी थी। 605 उपभोक्ताओं से अप्रैल 1977 तक वसूल न की गई किस्तों की धनराशि 1.50 लाख रुपये हुई।

मामला परिषद्/सरकार को जुलाई और अगस्त 1977 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

8.05. वितरण ट्रान्सफार्मरों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

निम्न वितरण ट्रान्सफार्मरों की खरीद के लिये फरवरी 1976 में निविदायें आमंत्रित की गई :

किस्म			संख्या
(i) 25 के वी ए सील्ड	..	..	5000
(ii) 63 के वी ए सील्ड	..	..	5000
(iii) 100 के वी ए कन्वैन्शनल		..	1500

निविदाओं में विशेषरूप से उल्लेख था कि 25 के वी ए और 63 के वी ए के ट्रान्सफार्मर उच्च वोल्टता और निम्न वोल्टता की बुशिंग्स से व्यवस्थित होने चाहियें, जिसके सिरे (लैड) "कनैक्टर से होकर इंटीगरल सहित मोल्डेड एपोक्सी रेजिन बुशिंग द्वारा टंकी से होकर निकाले जा सकें। बुशिंग्स के गास्केट की व्यवस्था टंकी के बाहर होनी चाहिये और ये कृत्रिम रबर के ढंग के होंगे न कि सादे कार्क के"।

(क) निविदा पूछ तांछ के उत्तर में तकनीकी तौर पर स्वीकार्य निविदाओं के निम्नतम उद्धृत दर (गन्तव्य स्थान तक निष्प्रभार) 25 के वी ए के लिये 3675 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर पर मिर्जापुर की एक फर्म 'एच' के और 63 के वी ए तथा 100 के वी ए दोनों के लिये क्रमशः 7620 रुपये और 9700 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर पर सोनीपत की एक फर्म 'आई' के थे। फर्म 'एच' का निम्नतम प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि इसने तब तक ट्रान्सफार्मरों का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया था। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति ने निविदाओं पर विचार किया (25 अगस्त 1976) और सदस्य (वाणिज्यिक) को राज्य में स्थित निर्माताओं से फर्म 'आई' द्वारा अपने सोनीपत स्थित कारखाने से 25 के वी ए, 63 के वी ए और 100 के वी ए ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने के लिये उद्धृत क्रमशः 4440 रुपये वैध द्वितीय निम्नतम प्रस्ताव, 7620 रुपये और 9700 रुपये की दरों पर, बातचीत करने के लिये अधिकृत किया। तद्नुसार, राज्य में स्थित 10 निर्माताओं से उसी दिन प्रस्ताव किये गये।

27 अगस्त 1976 को, अर्थात् प्रस्ताव का कोई उत्तर प्राप्त होने के पूर्व ही, फर्म 'आई' ने अपने निविदा की वैधता बढ़ाते हुए अपने सोनीपत स्थित कारखाने से आपूर्ति करने के लिये 25 के वी ए, 63 के वी ए और 100 के वी ए के प्रत्येक ट्रान्सफार्मर की अपनी दरें घटाकर क्रमशः 4150 रुपये, 7150 रुपये और 9300 रुपये कर दी। फर्म ने अपने गाजियाबाद स्थित कारखाने से आपूर्ति के लिये 25 के वी ए, 63 के वी ए, और 100 के वी ए के प्रत्यक ट्रान्सफार्मर के लिये क्रमशः 4910 रुपये, 8140 रुपये और 10167 रुपये की दरें भी उद्धृत की थीं। अपने गाजियाबाद के कारखाने से आपूर्ति के लिये निविदा की वैधता बढ़ाते समय 30 अगस्त 1976 को, फर्म 'आई' ने 25 के वी ए, 63 के वी ए और 100 के वी ए के प्रत्येक ट्रान्सफार्मर की अपनी दरें घटाकर क्रमशः 4300 रुपये, 7300 रुपये और 9450 रुपये कर दी थीं। यद्यपि, फर्म के प्रस्ताव के पत्र विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल को सम्बोधित किये गये थे और उसकी प्रतियां अध्यक्ष तथा सदस्य (वाणिज्यिक) को भी भेजी गई थीं, किन्तु इन संशोधित दरों पर कोई विचार नहीं किया गया।

जब कि राज्य के 10 निर्माताओं को 25 अगस्त 1976 को भेजे गये प्रस्तावों के उत्तर प्रतीक्षा में थे, परिषद् के अध्यक्ष ने निविदाओं पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की सिफारिशों पर अपने 18 सितम्बर 1976 की टिप्पणी में यह लिखा कि राज्य के ट्रान्सफार्मर्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधियों (नाम नहीं लिखे गये) के साथ उसी दिन सरकार द्वारा की गई एक बैठक में निर्माताओं

ने सरकार से परिषद् को यह परामर्श देने की प्रार्थना की थी कि परिषद् अन्य राज्यों के निर्माताओं, जिन पर अपनी दरें कम उद्धृत करने का दोषारोपण किया गया था, की स्पर्धा से उनको बचाने के लिये आवश्यक सहारा प्रदान करें ; इसलिये सरकार ने यह इच्छा की थी कि राज्य में स्थित निर्माताओं से प्रस्तावित निम्नतम स्वीकार्य प्रस्ताव पर राज्य में स्थित निर्माताओं को ही आर्डर दिये जायें। अध्यक्ष ने निर्माताओं के प्रतिनिधियों (नाम नहीं दिये गये) को 19 सितम्बर 1976 को बुलाया और लखनऊ की फर्म 'जे' द्वारा 25 के वी ए और 63 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये उद्धृत की गई क्रमशः 4800 रुपये और 8700 रुपये की तथा फर्म 'ए' द्वारा 100 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिये उद्धृत की गई 10670 रुपये की दरों का प्रस्ताव, मूल्य परिवर्तन के लिये बिना किसी शर्त के साथ, उनके समक्ष रखा। ये मूल्य इस आधार पर प्रस्तावित किये गये थे कि ये, अपने सोनीपत कारखाने से आपूर्ति करने के लिये फर्म 'आई' द्वारा उद्धृत निम्नतम मूल्यों (क्रमशः 4700 रुपये, 7900 रुपये और 9800 रुपये) के, लगभग थे। यह उल्लेखनीय है कि ये, ट्रान्सफार्मरों की विभिन्न संख्याओं की आपूर्ति के लिये फर्म 'आई' द्वारा उद्धृत दरों की छः सेटों में से, उच्चतम थे। यह प्रस्ताव सभी 10 फर्मों द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिनको केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा मूलतः न्यूनतर दरें प्रस्तावित की गई थीं। उस आधार पर 25 के वी ए के 5310, 63 के वी ए के 4965 और 100 के वी ए के 1600 ट्रान्सफार्मरों (कुल मूल्य : 8.58 करोड़ रुपये) के क्रय के लिये नौ फर्मों को सितम्बर 1976 में तथा एक फर्म को नवम्बर 1976 में परिषद् के विशिष्ट अनुमोदन के बिना आर्डर दिये गये।

राज्य में स्थित निर्माताओं से प्राप्त निम्नतम दरों (गाजियाबाद कारखाने से ट्रासफार्मरों की आपूर्ति करने के लिये फर्म 'आई' की दरों) से तुलना करने पर अतिरिक्त व्यय की राशि 115.58 लाख रुपये आती है। यह उल्लेखनीय है कि 19 सितम्बर 1976 को जब दरों पर बात चीत की गई तो गाजियाबाद के कारखाने से ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने के लिये फर्म 'आई' के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निम्नतम उद्धृत दरों (राज्य के बाहर से प्राप्त हुई दरों को सम्मिलित करते हुए), जो कि स्वीकार्य पाई गई, अर्थात् 25 के वी ए, 63 के वी ए और 100 के वी ए के ट्रान्सफार्मरों के लिए क्रमशः 4150 रुपये, 7150 रुपये और 9300 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर (अपने सोनीपत कारखाने से आपूर्ति करने के लिये फर्म 'आई' द्वारा उद्धृत) की तुलना में, ट्रान्सफार्मरों के क्रय में 133.39 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ख) जैसाकि ऊपर वर्णित है, 25 के वी ए और 63 के वी ए के 'सील्ड' ट्रान्सफार्मर निविदा सूचना के अनुसार विशिष्ट बुशिंग्स से व्यवस्थित करने थे। लखनऊ की फर्म 'जे' की दरें, जिन पर विभिन्न फर्मों को आर्डर दिये गये, एल वी साइड पर केबिल एण्ड बाक्स की व्यवस्था के साथ उपर्युक्त विशिष्टि के ट्रान्सफार्मरों के लिये थी।

विशिष्ट बुशिंग्स की व्यवस्था करने के लिये, जो ट्रान्सफार्मर की सील को खराब किये बिना बदली जा सकती थीं, 'जे' को छोड़कर अन्य फर्मों ने अपनी निविदाओं में 210 रुपये से 300 रुपये तक की अतिरिक्त मांग की थी। इसके अलावा, फर्म 'जे' की निविदा में 'एल वी साइड पर केबुल एण्ड बाक्स' की लागत लगभग 225 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की थी।

किन्तु विभिन्न फर्मों को दिये गये (सितम्बर/नवम्बर 1976) आर्डरों में विशिष्ट बुशिंग्स (कन्वेन्शनल टाइप की बुशिंग्स के स्थान पर जिसकी आपूर्ति की गई) तथा 'एल वी साइड पर केबुल एण्ड बाक्स' के साथ ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने की शर्त नहीं थी। अतः 25 के वी ए के 5310 ट्रान्सफार्मरों और 63 के वी ए के 4965 ट्रान्सफार्मरों की खरीद करने में 48.75 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

परिषद् ने बताया (सितम्बर 1977) कि अध्यक्ष से बातचीत के दौरान राज्य में स्थित निर्माता 25 के वी ए और 63 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये लखनऊ की फर्म 'जे' की दरों को स्वीकार

करने के लिये सहमत हो गये थे, अतः फर्म द्वारा उद्धृत मूल्य में से इन दो मदों के तत्वों की लागत घटाने का प्रश्न ही नहीं उठा। किन्तु 19 सितम्बर 1976 को हुई बातचीत के कार्यवृत्त में विशिष्टियों के परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं था।

8.06. क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर

पावर और वितरण ट्रान्सफार्मर का जीवन क्रमशः 35 वर्ष और 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। परिषद् के नियमानुसार प्रत्येक ट्रान्सफार्मर का विवरण कार्ड, जिसमें उसका मेक, क्षमता, प्राप्ति, स्थापन, कार्यारम्भ, क्षतियां, यदि कोई हों, आदि की तिथियों का विवरण दिखाते हुए बनाना चाहिए। फिर भी विभिन्न खण्डों में प्रयोग में आ रहे, क्षतिग्रस्त या रद्दी पावर और वितरण ट्रान्सफार्मरों का ऐसा कोई अभिलेख नहीं रक्खा गया। परिषद् ने न तो विभिन्न निर्माताओं से क्रय किये गये ट्रान्सफार्मरों के निष्पादन पर निगाह रखने के लिये कोई तरीका विकसित किया और न ही इसने समय से पूर्व ट्रान्सफार्मरों के खराब हो जाने के कारणों का विश्लेषण किया। ट्रान्सफार्मरों की सेवा योग्यता और उनकी गारण्टी अवधि या नियत जीवन पूर्ण होने के पूर्व ही खराब हो जाना, किसी भी स्तर पर निगरानी में नहीं रखा गया। खण्ड, उपयोग में आ रहे, क्षतिग्रस्त, मरम्मत किये गये, रद्दी हो गये, आदि ट्रान्सफार्मरों के आंकड़े देने में, असमर्थ थे।

प्रयोग में आ रहे ट्रान्सफार्मरों में से अधिकतम परिषद् द्वारा 1962–63 के बाद से खरीदे गये थे। ट्रान्सफार्मरों को अपना निर्धारित जीवन अभी पूर्ण करना है (दिसम्बर 1977)।

(क) पावर ट्रान्सफारमर

परिषद् मुख्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार (अगस्त 1977) विभिन्न खण्डों में सन् 1969 के बाद से 1.5 एम वी ए से 100 एम वी ए क्षमता के 4.58 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के 322 पावर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। अनेक मामलों में क्षति की तिथियां उपलब्ध नहीं थीं।

विभिन्न निर्माताओं द्वारा आपूर्त ट्रांसफार्मरों के निष्पादन पर निगाह रखने के लिये नियत अभिलेखों और तरीकों के अभाव में, पावर ट्रांसफार्मरों की क्षति की यथार्थ स्थिति विदित न थी।

समय से पूर्व क्षति के कुछ मामले निम्न अनुच्छेदों में दिये हैं:--

(i) फर्म 'ए' द्वारा जून 1967 में कैप्टेनगंज रेलवे स्टेशन (देवरिया) को भेजे गये 3 एम वी ए के एक पावर ट्रान्सफार्मर का दृष्टि निरीक्षण करने पर उसका आयल ड्रेन वाल्व गायब पाया गया और ट्रांसफार्मर का तेल बह चुका था। 19 सितम्बर 1967 से लम्बे पत्राचार के उपरांत 6 जनवरी 1969 को रेलवे ने ट्रांसफार्मर की खुली सुपुर्दगी दी। फर्म को 90 प्रतिशत मूल्य (1.21 लाख रुपये) का रेलवे रसीद के विरुद्ध जुलाई 1967 में पहले ही भुगतान किया जा चुका था। अधिशासी अभियन्ता, देवरिया द्वारा 20 दिसम्बर 1967 को रेलवे को प्रस्तुत क्षतिपूर्ति का दावा निर्धारित समय के अन्दर न होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। अधिशासी अभियन्ता ने फर्म को भी बीमाकर्ता से दावा प्रस्तुत करने के लिए 18 सितम्बर 1967 को तार द्वारा सूचित किया। जून 1971 में फर्म ने परिषद् को सूचना दी कि क्षति के लिये उसके जामिनदार से दावा करना इस आधार पर सम्भव नहीं था कि ट्रान्सफार्मर को क्षति की सूचना उसे प्रेषण तिथि से 20 मास बाद दी गयी थी। फर्म से हानि-पूर्ति की किसी अनुक्रिया की अनुपस्थिति में, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर ने विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मण्डल से फर्म के सभी भुगतान रोक देने, फर्म द्वारा प्राप्त राशि ब्याज सहित वसूल करने और भावी आदेशों के बारे में फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध अक्टूबर 1975 में किया।

फर्म को शेष 10 प्रतिशत का भुगतान परिषद् के मुख्यालय से मुक्त लेखाधिकारी द्वारा जुलाई 1974 में पहले ही किया जा चुका था। फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है (दिसम्बर 1977)। ट्रांसफार्मर मार्च 1976 में गोरखपुर की विभागीय मरम्मत कार्यशाला में स्थानान्तरित कर दिया गया जहां वह बिना मरम्मत किया हुआ पड़ा है।

(ii) 1.5 एम वी ए का एक पावर ट्रान्सफार्मर–33/11 के वी रेटिंग-फर्म 'ए' द्वारा जुलाई 1967 में 0.72 लाख रुपये में आपूर्त किया गया। ट्रांसफार्मर की टेपिंग स्विच जुलाई 1968 और पुनः मई 1970 में बदलनी पड़ी। ट्रांसफार्मर नवम्बर 1970 में क्षतिग्रस्त हो गया। उसे फर्म की नैनी स्थित कार्यशाला में मरम्मत के लिये भेजा गया। दृष्टि निरीक्षण के बाद फर्म ने (मई 1974) अनुमान दिया कि 2800 लीटर तेल की कीमत (33600 रुपये), एच टी और एल टी लेग बुशिंग प्रत्येक का एक (23500 रुपये) और मजदूरी व्यय (31500 रुपये) समेत मरम्मत व्यय 0.90 लाख रुपये होगा। फर्म बचे खुचे सामान को रोक लेगा (लेग बुशिंग सहित)। फर्म ने सूचित किया कि यदि मरम्मत आदेश 10 दिन के भीतर नहीं दिया गया तो वह उसकी कार्यशाला में पड़े हुए ट्रांसफार्मर के लिये 300 रुपये प्रतिदिन भंडारण व्यय के रूप में लेगी। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी ने फर्म के प्राक्कलन को अनुमोदित कर दिया (मार्च 1975) और अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी द्वारा अप्रैल 1975 में ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिये औपचारिक आदेश दिया गया। मरम्मत के बाद ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नये सामानों पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर मिला कर फर्म को 0.96 लाख रुपये भुगतान मरम्मत व्यय के लिये किया गया (मई 1975)। फर्म को भुगतान किये गये 31500 रुपये के मजदूरी व्ययों के विरुद्ध ऐसे पावर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए मई 1976 में इसके साथ निष्पादित दर संविदा में दी गई दर 9000 रुपये थी। फर्म द्वारा ट्रांसफार्मर तेल के लिए लिया गया मूल्य (12 रुपये प्रति लीटर) भी उस समय के चालू 9.07 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से अधिक था।

(iii) मई 1968 में बस्ती खण्ड को प्रेषित 1.5 एम वी ए के दो पावर ट्रांसफार्मरों (मूल्य 1.32 लाख रुपये) में से एक ट्रांसफार्मर की 21 मार्च 1969 को ट्रांसफार्मर के अनेक पुर्जों की कमी/क्षतियों के कारण खुली सुपुर्दगी ली गयी। बम्बई के 'टी' आपूर्ति कर्ता को मूल सुपुर्दगी प्रमाण पत्र अप्रैल 1969 में भेजा गया। ट्रांसफार्मरों के संयुक्त निरीक्षण (मार्च 1971) में यह पाया गया कि ट्रांसफार्मर की दशा असन्तोषजनक थी; धूल और जंग के निशान भी ट्रांसफार्मर के भीतर देखे गये। फर्म लापता/क्षतिग्रस्त मदों की, भुगतान करने पर, आपूर्ति करने के लिये इस आधार पर राजी हो गयी कि प्राप्तकर्ता को निर्धारित अवधि में रेलवे के समक्ष क्षतियों/कमियों के लिये दावा प्रस्तुत करना चाहिये था। उसने यह भी बतलाया कि ट्रांसफार्मर को बिना तेल के उचित रूप से नहीं रक्खा गया था। जून 1973 में फर्म ट्रांसफार्मर की निःशुल्क मरम्मत के लिये राजी हो गयी यदि तेल की कीमत परिषद् वहन करे और ट्रांसफार्मर-फर्म की कार्यशाला को परिषद् की लागत पर भेजा जाय। तथापि, ट्रांसफार्मर को गोरखपुर को विभागीय कार्यशाला को भेज दिया गया जहां वह बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है (दिसम्बर 1977)।

(iv) एन जी ई एफ लिमिटेड द्वारा अप्रैल 1971 में फैजाबाद में आपूर्त 1.5 एम वी ए क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर (मूल्य: 0.79 लाख रुपये) खराब हो गया। फर्म के प्रतिनिधि ने सितम्बर 1971 में ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया और बतलाया कि दो रेडियेटर टैंकों को बदलने की आवश्यकता है। ये तथा साथ ही साथ अन्य कई लापता पुर्जे और सात बैरेल ट्रांसफार्मर तेल (लगभग 1,500 लीटर) फर्म द्वारा आपूर्त किए गये और उसके द्वारा नवम्बर/दिसम्बर 1972 में ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गई। तेल के निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) के उपरान्त ट्रान्सफार्मर प्रयोग में लाने के काबिल हुआ। फरवरी 1974 में यह फिर चालू किया गया, परन्तु यह पाया गया कि मरम्मत के लिये पड़े रहने की अवधि में वाइन्डिंग के एक्सपोजर के कारण इन्सुलेशन प्रतिफलन (रिजल्ट्स) बहुत निम्न हो गए थे। खराब ट्रांसफार्मर निष्क्रिय पड़ा है (दिसम्बर 1977)।

(v) ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड द्वारा 1969 के एक आदेश के अनुपालन में आपूर्ति किये गये 3 एम वी ए –33/11 के वी रेटिंग के 21 पावर ट्रांसफार्मरों में से एक ट्रांसफार्मर (मूल्य 0.89 लाख रुपये) की सुपुर्दगी फैजाबाद में सितम्बर 1971 में ली गई। ट्रान्सफार्मर मार्च 1973 में जलालपुर (फैजाबाद) में लगाया गया और उर्जित किया गया परन्तु इसने कार्य नहीं किया क्योंकि उसका टेप चेन्जर त्रुटिपूर्ण पाया गया (जनवरी 1973)। मार्च 1976 में फर्म से ट्रान्सफार्मर की मरम्मत के लिये कहा गया, लेकिन इसनें बदलने वाली मदों (स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं) की कीमत और अपने सेवा अभियन्ता के लिये भी 400 रुपये प्रतिदिन (अवधि स्पष्ट नहीं की गयी) की दर से व्यय इस आधार पर मांगें (अप्रैल 1976) कि आपूर्ति तिथि से अठारह मास की रख-रखाव की अवधि 13 मार्च 1973 को समाप्त हो चुकी थी। इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अक्टूबर 1976 में उप-खण्डीय अधिकारी, दर्शनगर (फैजाबाद) द्वारा ट्रांसफार्मर की फिर जांच करने पर यह पाया गया कि ट्रान्सफार्मर में तेल बिल्कुल नहीं था (तेल क्षमता: 2050 लीटर)। ट्रान्सफार्मर उपकेन्द्र पर उसी स्थिति में पड़ा हुआ है (दिसम्बर 1977)।

(vi) बड़ौदा की एक फर्म द्वारा 3 एम वी ए का एक ट्रांसफार्मर (मूल्य 0.81 लाख रुपये) दिसम्बर 1971 में आपूर्ति किया गया, इसके 'बिना भार' पर उर्जित होने के एक मास के भीतर ही ट्रांसफार्मर का एल टी केबिल जल गया और बुशिंग केबिल क्षतिग्रस्त हो गया (सितम्बर 1972)। फर्म ने इसके मरम्मत व्यय का अनुमान 1.35 लाख रुपये लगाया (जुलाई 1976)। ट्रांसफार्मर उसी हालत में पड़ा हुआ है (दिसम्बर 1977) क्योंकि फर्म द्वारा मांगे गए मरम्मत व्ययों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(vii) मुख्य अभियन्ता ने फर्म 'ए' को बतलाया (जून 1972) कि 1969 के एक सम्बिदा के विरुद्ध फर्म द्वारा आपूर्त 5 एम वी ए के 15 ट्रांसफार्मरों (मूल्य 24.30 लाख रुपये) में से 10 ट्रांसफार्मर अक्टूबर 1969 से अप्रैल 1971 के बीच या तो गारन्टी अवधि के भीतर या थोड़ा बाद क्षतिग्रस्त हो गये। क्षति की सीमा व उसके कारण उपलब्ध नहीं थे। 20 जून 1972 को एक मीटिंग में फर्म मई 1970 तक क्षतिग्रस्त चार ट्रांसफार्मरों को निःशुल्क मरम्मत करने को सहमत हो गयी; शेष छः ट्रांसफार्मरों को ट्रांसफार्मर तेल और लापता पुर्जों की कीमत के अलावा 0.43 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर के एकमुश्त भुगतान पर मरम्मत किया जाना था। ट्रांसफार्मरों के लाने और ले जाने का व्यय परिषद् को वहन करना था। इन छः ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की स्थिति व मरम्मत पर किया गया वास्तविक व्यय सरलता से उपलब्ध नहीं था। सूचना जो मांगी गयी है, अपेक्षित है (दिसम्बर 1977)।

फर्म द्वारा पिछले उप-अनुच्छेद में संदर्भित चार में से एक ट्रांसफार्मर की 1972 में मरम्मत की गयी। लेकिन इसके वाइन्डिंग की इन्सुलेशन प्रतिरोध क्षमता नहीं बढ़ी। फरवरी 1977 में एक उप खण्डीय अधिकारी द्वारा नैनी स्थित फर्म की कार्यशाला में ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया गया, जिसने प्रतिवेदन दिया कि ट्रांसफार्मर बिना तेल का था और कन्जरवेटर और बुशिंग मेटल पुर्जों समेत अनेक पुर्जे गायब थे। मई 1977 में किए गए एक अन्य संयुक्त निरीक्षण के बाद फर्म ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत 1.99 लाख रुपये की कीमत (ट्रांसफार्मर का मूल मूल्य 1.62 लाख रुपये था) पर करने तथा बची सामग्री को रोकने का प्रस्ताव दिया (जुलाई 1977)। ट्रांसफार्मर का तेल परिषद् को देना था। ट्रांसफार्मर फर्म की कार्यशाला में पड़ा है (दिसम्बर 1977)।

नवम्बर 1969 में क्षतिग्रस्त एक अन्य ट्रांसफार्मर सितम्बर 1971 में फर्म को मरम्मत के लिये भेजा गया। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी ने बतलाया (अक्टूबर 1977) कि मरम्मत के बाद यह खण्ड में अप्रैल 1974 में वापस मिला। मरम्मत किए हुए ट्रांसफार्मर की संस्थापना के समय यह पाया गया (फरवरी 1977) कि ट्रांसफार्मर बुशिंग्स और अन्य मदों के बिना था। इसमें 3075 लीटर ट्रांसफार्मर तेल (मूल्य: 0.30 लाख रुपये) की कमी थी। ट्रांसफार्मर बिना उपयोग के पड़ा हुआ है (दिसम्बर 1977)।

वाराणसी के दो अन्य ट्रांसफार्मर जुलाई 1975 में फर्म को बिना तेल (9200 लीटर) के भेजे गये, जिसे वाराणसी में जनवरी 1975 में निकाल लिया गया था। इस प्रकार निकाला गया तेल स्टाक में नहीं लिया गया। उनकी मरम्मत की स्थिति उपलब्ध नहीं है (दिसम्बर 1977)।

(viii) मेरठ की फर्म 'डी' द्वारा आपूर्त एक 5 एम वी ए का ट्रांसफार्मर (मूल्य: 1.50 लाख रुपये) 30 नवम्बर 1973 को बहराइच में चालू किया गया। वह मई 1975 में क्षतिग्रस्त हो गया। अप्रैल 1976 में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण पर यह पाया गया कि एच टी वाइंडिंग का बाटम क्वायल क्षतिग्रस्त था, जिसको बदलने के लिये 'डिस्क' वाउन्ड एच टी कायल्स के दो जोड़ों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, 16 इंच लम्बाई की कोर ट्यूबें भी क्षतिग्रस्त हो गयी थीं। फर्म के अनुसार कुछ भूमि-दोष परिस्थितियों के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ था। जून 1976 में फर्म ने 'लागत आधार पर' ट्रांसफार्मर की मरम्मत का प्रस्ताव किया परन्तु यह बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी मरम्मत विभाग में ही हो या फर्म द्वारा हो यह प्रश्न तय नहीं हो पाया है (दिसम्बर 1977)।

(ix) मद्रास की फर्म द्वारा आपूर्त 20 एम वी ए का एक ट्रांसफार्मर (मूल्य: लगभग 1 . लाख रुपये) अप्रैल 1974 में सुल्तानपुर में क्षतिग्रस्त हो गया था। ट्रांसफार्मर फर्म की मद्रास कार्यशाला को भेज दिया गया (जुलाई 1975)। फर्म के अनुसार ट्रांसफार्मर का कोर अधिवोल्टता की परिस्थितियों के अन्तर्गत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका चुम्बकीय गुणधर्म ओवर फ्लक्स में असाधारण ताप के कारण नष्ट हो चुका था। कोर के निकट टेरटियरी वाइंडिंग्स भी क्षतिग्रस्त हो गयी थी। तेल की स्थिति अज्ञात थी। फर्म ने कोर बदलकर, उसी वाइन्डिंग का प्रयोग करते हुए, टेरटियरी वाइंडिंग्स को लुप्त कर और अन्य मरम्मतों द्वारा ट्रान्सफार्मर की मरम्मत करने के लिये तथा परीक्षण व्ययों के लिये 8 लाख रुपये मांगें (उस ट्रान्सफार्मर को ले जाने व लाने के परिवहन व्यय को छोड़कर)। उसने कार्यारम्भ से बारह मास या प्रेषण से अठारह मास, जो भी पूर्वतर हों, के लिये मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मर के सन्तोषजनक कार्य किये जाने की गारन्टी दी। फर्म से ट्रान्सफार्मर की मरम्मत कराये जाने के अधिशाशी अभियन्ता, सुल्तानपुर के प्रस्ताव पर फैजाबाद के अधीक्षण अभियन्ता ने बतलाया (अगस्त 1975) कि ट्रान्सफार्मर की मरम्मत कराया जाना उचित नहीं था क्योंकि उस समय उसी क्षमता के नये ट्रान्सफार्मर की कीमत लगभग 10.5 लाख रुपये थी। अक्टूबर 1976 में अधीक्षण अभियन्ता ने मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी और सदस्य (टी और डी) से ट्रान्सफार्मर के निस्तारण के लिये अनुमति मांगी। कोई निर्णय नहीं लिया गया था (दिसम्बर 1977)। फर्म द्वारा आपूर्त 20 एम वी ए का एक अन्य ट्रान्सफार्मर भी (मूल्य लगभग 10 लाख रुपये) जौनपुर में कोर में ओवर फ्लक्स के कारण क्षतिग्रस्त हो गया (फरवरी 1975)। ट्रान्सफार्मर जौनपुर में बिना मरम्मत किया हुआ पड़ा है (दिसम्बर 1977)।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् उप-केन्द्र परिकल्पना मण्डल ने 12 नवम्बर 1976 के अपने परिपत्र में उल्लेख किया था कि मद्रास की फर्म द्वारा आपूर्त 20 एम वी ए के तीन ट्रान्सफार्मर नीमकरोरी (फर्रुखाबाद), लखनऊ और शाहजहांपुर में क्षतिग्रस्त हो गये और फर्म की मद्रास कार्यशाला में मरम्मत के लिये पड़े हुए थे। ट्रान्सफार्मर सामान्य वोल्टता की 110 प्रतिशत से अनधिक वोल्टता पर चलने के लिये परिकल्पित थे और ये अधिभार तथा संचालन असफलताओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे। इस तरह, फर्म द्वारा आपूर्त 5 ट्रान्सफार्मर (मूल्य: लगभग 50 लाख रुपये) बिना मरम्मत के पड़े हुए हैं (दिसम्बर 1977)।

(x) विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव में भण्डार अभिप्राप्ति मण्डल के फरवरी 1973 के आदेश के विरुद्ध कलकत्ता की एक फर्म से प्राप्त हुए (अप्रैल 1973) 1.53 लाख रुपये की लागत के 1.5 एम वी ए क्षमता के दो ट्रान्सफार्मर दिसम्बर 1974 और मार्च 1975 में चालू किये गये। ये दोनों ट्रान्सफार्मर जनवरी 1975 और जुलाई 1975 में, अर्थात् कार्यारम्भ से क्रमश: एक और चार माह के भीतर क्षतिग्रस्त हो गये। अधिशासी अभियन्ता ने अकुशल कारीगरी और/या ट्रान्सफार्मरों के निर्माण में निम्न स्तर के सामान के प्रयोग को क्षति का कारण बतलाया। ये ट्रान्सफार्मर खण्ड में बिना मरम्मत के पड़े हुए थे (अगस्त 1977)।

मामला सरकार और परिषद् की जानकारी में सितम्बर 1977 में लाया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

(ख) वितरण ट्रांसफार्मर

सदस्य (अभियन्त्रण) द्वारा मई 1974 में लगाये गय एक अनुमान के अनुसार उस समय लगभग 25,000 क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर (मूल्य: लगभग 10.00 करोड़ रुपये) मरम्मत होने के लिये थे। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा जुलाई 1977 में दी गयी सूचना के आधार पर परिषद् ने अनुमान लगाया (जुलाई 1977) कि लगभग 30,000 क्षति ग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मर थे, जिसमें से लगभग 14,000 ट्रांसफार्मरों की विभागीय या केन्द्र में और खण्डीय/मण्डलीय स्तर पर निर्णित किये गए दर अनुबन्धों/आदेशों पर मरम्मत हुई थी। इसके अलावा, सम्परीक्षा को सितम्बर 1977 में भण्डार नियंत्रक द्वारा दी गयी सूचना से प्रकट हुआ कि एक बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर (सही संख्या इंगित नहीं की गयी थी) रद्द कर दिये गये थ जिनके कोर और स्टैम्पिंग्स (403 मैट्रिक टन) और खाली लोहे के टैंक (531 मैट्रिक टन) भण्डार में जमा रहे। 403 मैट्रिक टन कोर और स्टैम्पिंग्स के स्टाक में से 107 मैट्रिक टन अच्छी दशा में थीं और 296 मैट्रिक टन में जंग लग गयी थी (सितम्बर 1977)।

1971–72 से दिसम्बर 1974 तक कुल मिला कर अलमूनियम की वाइन्डिग वाले 11,522 ट्रांसफार्मर खरीदे गये थे, जिसमें से 3314 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हो गये जैसा कि क्षेत्र अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा परिषद् को जनवरी और अप्रैल 1976 के बीच सूचित किया गया।

8.07. कर्मचारियों की भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्राविधानों के अन्तर्गत भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता के अंशदान तथा प्रशासकीय व्ययों को मिलाकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां सम्बन्धित महीनों के अगले माह की 15 तारीख तक जमा किया जाना होता है, जिसमें असफल होने पर हरजाना लगाया जाता है। विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, मेरठ ने अंशदान (प्रशासनिक व्यय मिलाकर) दिसम्बर 1965 से दिसम्बर 1973 की अवधि के दौरान निर्धारित समय में जमा नहीं किया। बतलाया गया कि परिषद् से खण्ड को विलम्ब से निधि प्राप्त होने के कारण ऐसा हुआ। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने दिसम्बर 1965 से दिसम्बर 1973 की अवधि के लिए प्रशासकीय व्यय सहित अंशदानों के भुगतान में चूक के लिए कुल 2.99 लाख रुपये का हरजाना (12 1/2 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दर पर) लगाया।

मामला सरकार और परिषद् की जानकारी में अगस्त 1977 में लाया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

8.08. वायरलैस सैट्स

मार्च 1972 में, लखनऊ इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग (लेसू) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निराकरण और सहज सम्प्रेषण के लिये 20 वायरलैस सैट्स (मूल्य :0.77 लाख रुपये) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटड से खरीदे। कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में ये सैट दिसम्बर 1975 तक चालू नहीं किए गए थे। तथापि, 1972 से 1975 तक के वर्षों के दौरान 360 रुपये प्रति सैट प्रति वर्ष की दर से 0.29 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया गया। यद्यपि लाइसेंस शुल्क के भुगतान के नियमों के अनुसार 25 रुपये प्रति सैट प्रतिवर्ष का अधिकार शुल्क देय था। इसके परिणाम स्वरूप 0.27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

जनवरी 1976 में सात सैटों का प्रयोग शुरू किया गया और 13 सैट बेकार पड़े थे (दिसम्बर 1977)।

मामला परिषद् को जून 1977 में और सरकार को सितम्बर 1977 में सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977)।

अनुभाग IX

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

चेसिस का क्रय तथा बस ढांचों का निर्माण

9.01. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, विस्तार एवं नये मार्गों के वृद्धि हेतु 773 नई बसें क्रय की जानी थीं, जिसके विरुद्ध 31 मई 1972 तक अर्थात् निगम के सृजन के पूर्व परिवहन विभाग द्वारा मात्र 432 बसें क्रय की गईं। इसके अतिरिक्त योजना अवधि में 1,000 अतिरिक्त सड़क किलो मीटर परिचालन में लेने के विरुद्ध 31 मई 1972 तक राज्य उपक्रम केवल 612 अतिरिक्त सड़क किलोमीटर ले सका। निगम के सृजन के बाद 5 नये मार्ग लिये गये, चार 1973–74 के दौरान तथा एक 1976–77 में।

गाड़ियों के प्रतिस्थापन और सेवाओं की वृद्धि/विस्तार हेतु 1976–77 तक पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार चेसिस के क्रय के लक्ष्य, दिये गये आपूर्ति आदेशों के विवरण तथा चेसिस की वास्तविक प्राप्ति निम्न थी:

वर्ष	चैसिस के क्रय के लिये लक्ष्य			दिये गये आपूर्ति आदेश			गाड़ियों की वास्तविक प्राप्ति
	वृद्धि हेतु	प्रतिस्थापन हेतु	योग	वृद्धि हेतु	प्रतिस्थापन हेतु	योग	
1972–73	209	300	509	50	361	411	335
1973–74	132	400	532	291	433	724	619
1974–75	124	376	500	..	318	318	459
1975–76	836	624	1460	290	596	886	660
1976–77	300	800	1100	93	778	871	1137
योग ..	1601	2500	4101	724	2486	3210	3210

9.02. चैसिस के क्रय

निगम द्वारा प्रतिवर्ष क्रय किये जाने के लिये चेसिस की आवश्यकता (i) नये मार्गों पर परिचालन अथवा वर्तमान क्षमता में वृद्धि (ii) निष्प्रयोज्य गाड़ियों के प्रतिस्थापन के लिये गाड़ियों की आवश्यक संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। देश में समस्त चैसिस निर्माता, चेसिस की आपूर्ति हेतु दो दरें बताते हैं, एक एशोसियेशन आफ रोड ट्रान्सपोर्ट अन्डर-टेकिंग्स के सदस्यों के लिये तथा दूसरी अन्यों के लिये। एक वर्ष विशेष में परिचालन हेतु गाड़ियों की आवश्यक मात्रा व बनावट निर्धारित करने के बाद निगम ने टाटा व लैलैन्ड के स्थानीय वितरकों/व्यवसायियों को पूर्ति आदेश दिये जो कि निर्माताओं से क्रय करने की तुलना में मितव्ययी बताया गया (अगस्त 1977)। टाटा चेसिसों की सुपुर्दगी फर्म के फाफामऊ (इलाहाबाद) डिपो से ली जा रही थी जबकि लेलैन्ड चेसिसों की सुपुर्दगी केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में ली जा रही थी।

(क) अग्रिमों के समायोजन तथा ब्याज की वसूली में देरी

टाटा एवं लेलैन्ड के चेसिसों के व्यवसायियों के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उनको 98 प्रतिशत अग्रिम भुगतान तथा चेसिस की प्राप्ति के दस दिन के भीतर शेष भुगतान करना था। इस भुगतान विधि में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रति चेसिस 200 पये की एक छूट स्वीकार्य थी। उनको, अग्रिम भुगतान के प्राप्ति के 15 दिन के भीतर चेसिसों की सुपुर्दगी करनी आवश्यक थी। विकल्पतः चैसिसों की सुपुर्दगी के समय शत प्रतिशत भुगतान किया जाना था। चैसिसों की आपूर्ति में देरी के लिये फर्मों से ब्याज/दंड नहीं लिया गया। किन्तु, उतने दिनों के लिये जितने दिन सुपुर्दगी में देरी होती है, प्रचलित बाजार दर से अग्रिम धनराशि पर ब्याज भारित करने के लिये जनवरी/फरवरी 1976 में अनुबन्ध में एक शर्त शामिल की गई।

निगम 200 रुपये प्रति चेसिस की छूट की सुविधा का उपभोग करने तथा कमियों (यदि कोई पाई जायं) के समायोजन हेतु 2 प्रतिशत का रिजर्व रखने के लिये 98 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के प्रथम विकल्प को चुना। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इंडिया (आई0 डी0बी0आई0) द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्तीय सुविधाओं के माध्यम से लेन देन की दशा में, सुपुर्दगी के विरुद्ध शत प्रतिशत भुगतान का दूसरा विकल्प आई0डी0बी0 आई0 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के शर्तों के अनुसार अमल में आना था।

निम्न तालिका, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान चेसिसों के क्रय के लिये अग्रिम भुगतानों-(98 प्रतिशत) के कुछ मामले जहां सुपुर्दगी में निर्धारित 15 दिन की अवधि से अधिक का विलम्ब था, इंगित करती है:--

भुगतान की तिथि	दिये गये अग्रिम की धनराशि (लाख रुपयों में)	चैसिसों की संख्या	अवधि जिसमें प्राप्त हुआ (दिनों की संख्या)
टाटा चैसिस			
31 मार्च 1975	34.40	40	79 से 95
12 जुलाई 1975	45.50	50	17 से 47
1 अगस्त 1975	20.85	25	40 से 74
19 सितम्बर 1975	45.42	50	24 से 68
4 फरवरी 1976	23.67	26	16 से 54
लेलैंड चसिस			
16 मई 1975	35.28	40	25 से 64
24 जुलाई 1975	27.07	30	36 से 40
13 अगस्त 1976	29.58	32	21 से 52
21 सितम्बर 1976	119.30	129	18 से 38

लखनऊ की एक फर्म के मामले में जिसको लेलैंड चेसिस की आपूर्ति के आदेश दिये गये थे चेसिस आपूर्ति में देरी के लिये ब्याज के 1.42 लाख रुपये (0.14 लाख रुपये 1975–76 के दौरान तथा 1.28 लाख रुपये 1976–77 के दौरान) वसूल नहीं किये गये। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि ब्याज की धनराशि यदि कोई होगी तो आपूर्तिकर्ता के शेष बीजकों से वसूल कर ली जायेगी।

(ख) मूल्य वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय

चैसिस की वास्तविक देय कीमत चैसिस की सुपुर्दगी तिथि को प्रचलित मूल्य पर अवलम्बित थी (आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समय समय पर सूचित किया गया)। तथापि, व्यवसायियों द्वारा चेसिसों की आपूर्ति, जैसे-जैसे ये उत्पादकों से उपलब्ध हुए, की गयी। 98 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के विरुद्ध होने वाली आपूर्तियों का, जो कि अग्रिम मिलने के 15 दिन के भीतर हो जानी आवश्यक थी, चैसिसों की विलम्बित सुपुर्दगी के मामलों में उच्चतर कीमत पर भुगतान करना पड़ा। और भी, अनुबन्ध के अनुसार एक वर्ष के दौरान आदेशित चेसिस की आपूर्ति उसी वर्ष के भीतर हो जानी आवश्यक थी। चेसिसों के सुपुर्दगी में कमी के कारण जो कि आगे के वर्षों में उच्चतर दर पर पूरी की गई निगम को उसी वर्ष के दौरान जिसमें आपूर्ति आदेश दिये गये प्राप्त न होने वाली अपूर्तियों पर 16.41 लाख रुपये का जिसका ब्योरा निम्न है, अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

वर्ष	आपूर्ति में गिरावट टाटा	लेलैंड	आगामी वर्ष में प्रति गाड़ी मूल्य वृद्धि टाटा (रुपये)	लेलैंड (रुपये)	अतिरिक्त व्यय टाटा	लेलैन्ड
					(लाख रुपयों में)	
1972–73	51	25	3555	3369	1.81	0.84
1973–74	155	26	6258	9230	9.70	2.40
1974–75	40	..	362	..	0.14	..
1975–76	266	..	573	..	1.52	..
		योग ..			13.17	3.24

(ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत गाड़ियों का क्रय

शहरों में नगरीय परिवहन को सुदृढ़ करने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को, निगम को दिये जाने वाले ऋण के रूप में, उन्हीं शर्तों पर जो दूसरे ऋणों के लिये लागू थीं, केन्द्रीय सहायता देने का निश्चय किया (जनवरी 1976)। इस उद्देश्य के निमित्त मार्च 1976 में निगम को 280 लाख रुपये की एक धनराशि आबंटित करके दे दी गयी। निगम ने कानपुर में उपयोग के लिये 10 बेडफोर्ड के चेसिस के अतिरिक्त कानपुर (50), लखनऊ (40), आगरा (30), वाराणसी (30) और इलाहाबाद (26) में परिचालन के लिये 176 टाटा चेसिस खरीदने का निश्चय किया।

इस सम्बन्ध में निम्न बातें जानकारी में आयीं:—

(i) 163.74 लाख रुपये मूल्य की 176 टाटा चेसिसों के क्रय के विरुद्ध मार्च 1976 में 164.92 लाख रुपये का भुगतान किया गया; 1.18 लाख रुपये के अधिक्य की वसूली नहीं हुई है।

(ii) दो ढांचों के निर्माण और चैसिस के क्रय पर व्यय वहन करने के बाद निगम के पास 29.36 लाख रुपये अनुपयुक्त पड़े रहे (अगस्त 1977)।

प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि 1.18 लाख रुपये के अधिक भुगतान की वसूली का मामला पत्र-व्यवहार में था और अनुपयुक्त धनराशि की वापसी या उपयोग के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

(घ) डाजगाड़ियों की कार्य क्षमता

कानपुर क्षेत्र में मई 1971 के दौरान 5.40 लाख रुपये से खरीदी गयी 12 डाज गाड़ियां कल-पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण तीन वर्ष के भीतर चलने योग्य नहीं रहीं। दो बसें 1972 में, तीन 1973 में, दो 1974 में और शेष पांच 1975 में सेवाओं के लिये ठप्प हो गईं। फरवरी 1975 में बम्बई की एक फर्म को कल-पुर्जों की आपूर्ति के लिए (मूल्य उपलब्ध नहीं) एक आपूर्ति आदेश दिया गया जो समस्त आवश्यक कल-पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर सकी। इनके मरम्मत पर 1.48 लाख रुपये व्यय करने के बाद पांच बसें 1976 के दौरान तथा दूसरी पांच बसें 1977 में सड़क पर चलने हेतु वापस आ गयीं। दो बसें क्रमशः अप्रैल एवं अक्टूबर 1975 से अपरिचालित रहीं (दिसम्बर 1977) प्रत्येक बस में अपरिचालन के परिणामस्वरूप निगम को लगभग 300 रुपया प्रतिदिन की राजस्व की हानि हुई। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि इन बसों के अनुरक्षण हेतु निर्माताओं एवं अन्य श्रोतों से आवश्यक कल-पुर्जों के मिलने में कठिनाई होती रही जिससे ये गाड़ियां लम्बी अवधि तक खड़ी रहीं और उनको चलाने के लिये वैकल्पिक पुर्जों को लगाने के प्रयास किये जा रहे थे।

9.03. बस ढांचों का निर्माण

(क) एक नयी कार्यशाला का निर्माण

निगम की केन्द्रीय कार्यशाला में 1974–75 तक बस ढांचों के निर्माण के बारे में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की 1974–75 वर्ष की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 71 में उल्लेख किया गया था। अक्टूबर 1975 में, निगम द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से एलेन फारेस्ट कानपुर में प्रतिमाह 100 बस ढांचों की निर्माण की क्षमता के साथ एक और कार्यशाला का निर्माण कराया गया। दो शेडों के निर्माण पर 1973–74 से 1975–76 के दौरान 7.04 लाख रुपये का व्यय किया गया। बस ढांचे के पुनर्नवीकरण के लिये निर्मित एक शेड, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अक्टूबर 1975 में हस्तांतरित किया गया। किन्तु, इस शेड में ढांचों का पुनर्नवीकरण कार्य नवम्बर 1976 में आरम्भ हुआ। दूसरा शेड निगम को मई 1976 में उपलब्ध किया गया परन्तु यह जून 1976 में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया (एफ0सी0आई0) को 22 पैसे प्रति वर्ग फुट के दर पर छः माह के लिये किराये पर दे दिया गया। यह शेड अक्टूबर 1977 में खाली कराया गया। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि पुनर्नवीकरण के निमित्त निर्धारित से अधिक समय से पड़ी बसों के ढेर को साफ करने (पुनर्नवीकृत करने) के लिये एलेन फारेस्ट कार्यशाला में ढांचा निर्माण क्षमता बनाने का विचार किया गया था और यह योजना अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये बनायी गयी थी ताकि स्थायी तौर पर आने वाले महीनों में निरन्तर यही स्थिति बनी रहे। आगे यह भी बताया गया कि द्वितीय शेड को तत्काल उपयोग में लाना संभव नहीं था क्योंकि प्रथम शेड में उपलब्ध जगह की कार्यशाला के उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिये पर्याप्त थी।

(ख) बस ढांचे का विभागीय निर्माण

1974–75 से 1976–77 के दौरान विभागीय तौर पर किये गये बस ढांचे के निर्माण तथा पुनर्नवीकरण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

	1974–75	1975–76	1976–77
केन्द्रीय कार्यशाला			
ढांचों का निर्माण	568	490	342
ढांचों का पुनर्नवीकरण	179	224	602
कुल किया गया कार्य	747	714	944
कुल कार्य पर निर्माण का प्रतिशत	76	69	36
कुल कार्य पर पुनर्नवीकरण का प्रतिशत	24	31	64
एलेन फारेस्ट कार्य शाला			
ढांचों का पुनर्नवीकरण	..	..	133

केन्द्रीय कार्यशाला में नये चेसिस के उपर बने ढांचों की संख्या 1974–75 में 568 से घटकर 1976–77 में 342 हो गई जो 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान गैर सरकारी पार्टियों को बस ढांचे के निर्माण कार्य दे दिये जाने के कारण हुई। 1976–77 के दौरान कार्यशालाओं में अधिक पुनर्नवीकरण किये गये।

(ग) गैर सरकारी पार्टियों द्वारा निर्माण

(i) मार्च 1976 में, टाटा चेसिस पर डिस्ट्रिक्ट टाइप, सिटी टाइप तथा हिल टाइप और लेलैंड वाईकिंग चेसिस पर डिस्ट्रक्ट टाइप के 1000 बस ढांचे निर्मित करने के लिये निविदायें

आमंत्रित की गईं । निविदादाताओं द्वारा निर्मित होने वाले बस ढांचे आल स्टील फोल्डेड सेक्शन सुपर-स्ट्रेक्चर, अल्युमीनियम पैनिलिंग तथा अल्यूमीनियम फर्श के होने थे । प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य के आधे प्रतिशत परन्तु कम से कम 10000 रुपये का बयाना जमा करना था और सफल निविदाओं को अनुबंधित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमानत जमा करना आवश्यक था । 15 मई 1976 को निवदायें खोली गयीं । प्राप्त 31 निविदाओं में मात्र 17 ने 10000 रुपये के बयाना जमा किये । मई 1976 के अन्तिम सप्ताह में निगम द्वारा निर्माणशाला के निरीक्षण के लिये चयन की हुई 13 फर्मों की एक सूची को अन्तिम रूप दिया गया । सूची में जयपुर की एक फर्म का नाम शामिल था जिन्होने बयाना जमा नहीं किया था, परन्तु दो फर्मों (एक जमशेदपुर की तथा दूसरी लखनऊ की) जिन्होंने जमानत जिमा किया था और जिनसे निगम बस ढांचे के निर्माण के लिये पहले ही अनुबंध कर चुका था, सूची में शामिल नहीं थी । प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्वर 1977) कि चूंकि निगम को जमशेदपुर तथा लखनऊ की फर्मों की क्षमता एवं कार्य सम्पादन ज्ञात था इन फर्मों में निर्माणशालाओं का निरीक्षण आवश्यक नहीं समझा गया । आगे यह भी बताया गया कि जयपुर की फर्म भूल से शामिल हो गई और निरीक्षण की गई । जालंधर की एक फर्म जो बहुत कम गन्तव्य लागत (टाटा चेसिस पर डिस्ट्रक्ट टाइप, सिटी टाइप तथा हिल टाइप क्रमश: 46756, 45736 और 41916 और लेलैण्ड चेसिस पर डिस्ट्रक्ट टाइप के लिये 50056 रुपये), अनेक राज्य सड़क परिवहन निगमों के साथ लम्बे अनुभव, गत दो वर्षों में उच्चतम निर्माण सम्पादन (1025 बसें) और अधिकतम अनुकूल सुपुर्दगी प्रोग्राम (30 प्रतिमाह) वाली बतलायी गयी अन्य दूसरों के साथ निरीक्षण के लिये नहीं चुनी गयी ।

सभी 13 फर्मों की निर्माणशालायें जून 1976 में निरीक्षण कर ली गयीं । 3 जून 1976 को दिल्ली की दो फर्मों तथा गुड़गांव की एक फर्म के सभी निर्माणशालाओं को एक दिन में निरीक्षण के समय यह पाया गया कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा, दिल्ली की दो में से एक उपरोक्त कथित जलंधर की फर्म सहित काली सूची में कर दी गयी थी । मेरठ की दो फर्में जिनके पास न तो पूर्व अनुभव था और न सुपुर्दगी प्रोग्राम था, को शामिल करते हुए 9 फर्में, दिल्ली में हुए जून 1976 के अन्तिम सप्ताह में वार्ता के लिये चुनी गई । जमशेदपुर तथा लखनऊ की दो फर्में भी जो पहले से ही बस ढ़ांचे के निर्माण के लिये निगम से अनुबन्धित थीं और जिन्होने निविदायें प्रस्तुत की थीं, बातचीत के लिये आमंत्रित की गयीं ।

वार्ता के समय, फर्मों से पुन: टाटा एवं लेलैण्ड चेसिस पर निर्मित किये जाने वाले चारों टाइप के ढ़ाचे के निर्माण की अपने न्यूनतम मौलिक दरें बताने के साथ ही साथ बीजक प्राप्ति के सात दिन के भीतर 100 प्रतिशत भुगतान के लिये स्वीकार की जाने वाली छूट बताने को कहा गया । गुड़-गांव तथा फरीदाबाद की फर्म द्वारा बतायी गयी दरें हिल टाइप को छोड़कर जो वार्ता समिति द्वारा उचित समझी गयी थी समस्त टाइप में प्रति बस ढ़ांचा 3000 रुपये घटाकर कुछ अन्य फर्मों के स्तर पर नीचे लाई गईं । लखनऊ की फर्म ने, जिसकी निविदा न्यूनतम थी प्रति बस ढ़ांचा 700 रुपये घटाने का प्रस्ताव किया था और कुछ अन्य फर्मों द्वारा दरें घटाने के बाद भी न्यूनतम स्थान कायम रखे थी । अन्त में, वार्ता समिति द्वारा, टाटा चेसिस पर डिस्ट्रक्ट, सिटी और हिल टाइप के लिये तथा लेलैंड वाइकिंग चैसिस पर डिस्ट्रक्ट टाइप के लिये क्रमश: 42500 रुपये, 41000 रुपये, 38500 रुपये और 46000 रुपये की घटी दरों पर (गुड़गांव व फरीदाबाद की फर्मों द्वारा बातचीत के दौरान बतायी गयी दरें) या न्यूनतम दरों (जैसा कि कुछ अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तावित), विभिन्न फर्मों को आपूर्ति आदेश देने के लिये अनुमोदित की गई (जून 1976) । प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्वर 1977) कि वार्ता समिति ने चुनी गई फर्मों में से सामान्य तौर पर उचित एवं विवेकपूर्ण आधार पर बस ढ़ांचे के निर्माण के निमित्त समान मानक दरें तय करने के उद्देश्य से विभिन्न फर्मों द्वारा दिये गये मौलिक दरों को ही विचार किया । किन्तु, समिति ने डिस्ट्रक्ट टाइप बसों के निर्माण के लिये जालंधर की फर्म के प्रस्ताव की स्वीकृति की संस्तुति नहीं की । यद्यपि उसके मौलिक दरें एवं गन्तव्य लागत न्यूनतर थीं ।

समस्त 11 फर्मों की प्रति बस ढांचा मौलिक एवं संशोधित गंतव्य लागत की बातचीत के पूर्व व बाद की स्थिति निम्न थी:—

फर्म का स्थान		टाटा चैसिस डिस्ट्रिक्ट टाइप	टाटा चैसिस सिटी टाइप	हिल टाइप	लेलैन्ड चेसिस डिस्ट्रिक्ट टाइप
				(रुपयों में)	
लखनऊ ..	मौलिक	45025	43450	41875	48700
	संशोधित	44325	42750	40875	48000
जयपुर 'क' ..	मौलिक	46485	44615	44945	50885
	संशोधित	46485	44615	43545	50885
जयपुर 'ख' ..	मौलिक	48309	46659	45009	52159
	संशोधित	48309	46659	44009	52159
फरीदाबाद ..	मौलिक	51266	49613	43552	55123
	संशोधित	48266	46613	43552	52123
गुड़गांव ..	मौलिक	51391	49738	43677	55248
	संशोधित	48391	46738	43677	52248
जयपुर 'ग' ..	मौलिक	49900	52400	44400	58000
	संशोधित	48400	46900	44400	52000
रोहतक ..	मौलिक	48635	46982	45329	52492
	संशोधित	48635	46982	44329	52492
दिल्ली ..	मौलिक	48840	43340	..	51920
	संशोधित	46590	43340	..	50370
जमशेदपुर ..	मौलिक	49840	..	..	55000
	संशोधित	47840	..	..	51500
मेरठ 'अ' ..	मौलिक	43116	..	..	..
	संशोधित	43116	..	..	..
मेरठ 'ब' ..	मौलिक	49250	..	..	..
	संशोधित	46750	..	.	..

निगम ने जब बस ढांचे के निर्माण क लिये चेसिसें गैर सरकारी पार्टियों को देने का निश्चय किया (मार्च 1976) उस समय केन्द्रीय कार्यशाला में केवल 172 चेसिसें उपलब्ध थीं । व्यवसायियों को 400 चेसिसों के क्रय के लिये पहले दिये गये एक आपूर्ति आदेश को हिसाब में लेने पर, निगम ने निम्नलिखित फर्मों को 467 बस ढांचे निर्मित करने के (आगे के महीनों में बढ़ाकर 844 बस ढांचे किया गया) आदेश निर्गत किये (जुलाई 1976), जिनकी स्थिति, उनके संशोधित गंतव्य लागत के आधार पर, यथा निम्न इंगित है, थी:—

फर्म का स्थान	टाटा चेसिस डिस्ट्रिक्ट टाइप (क)	टाटा चेसिस सिटी टाइप (ख)	टाटा चेसिस हिल टाइप (ग)	लेलैन्ड चेसिस डिस्ट्रिक्ट टाइप (घ)	योग	आदेश के अनुसार प्रति वर्ष ढांचे की दर
गुड़गांव ..	250	58	99	103	510	42287.50 (क)
	IX*	VI*	IV*	VIII*		40795.00 (ख)
						38307.50 (ग)
						45770.00 (घ)
फरीदाबाद	..	14	..	92	106	40795.00 (ख)
		IV*		VI*		45770.00 (घ)
लखनऊ ..	34	57	..	19	110	41591.00 (क)
	II*	I*		I*		40096.00 (ख)
						45073.50 (घ)
जयपुर 'क' ..	..	..	..	11	11	45150.00 (घ)
				IV*		
जयपुर 'ख' ..	..	..	..	90	90	45600.00 (घ)
				VII*		
मेरठ 'अ' ..	11	..	..	..	11	40118.40 (क)
	I*					
मेरठ 'ब' ..	6	..	..	..	6	41000.00 (क)
	V*					
योग ..	301	129	99	315	844	

इन आदेशों के विरुद्ध कुल 781 बसों का निर्माण हुआ । 19 को छोड़कर जो अप्रैल और जून 1977 के बीच दी गयी, समस्त बसों का निर्माण व सुपुर्दगी मार्च 1977 तक हो गई । इस सम्बन्ध में निम्न बातें जानकारी में आयीं:—

(i) गुड़गांव व फरीदाबाद की फर्मों ने अपने सुपुर्दगी प्रोग्राम में प्रतिमाह 20 बसों और 10–20 बसों की सुपुर्दगी बताया था जबकि लखनऊ, जमशेदपुर और जालंधर की फर्मों ने प्रतिमाह क्रमश: 30, 25 और 30 बसों की सुपुर्दगी बतलाई थी । इसके अतिरिक्त, कुम्भ मेला का अंतिम शुभ दिन 17 जनवरी 1977 को पड़ता था । इस तारीख तक यात्रियों की परिवहन की आवश्यकता पूरी हो जानी

*ये अंक संशोधित दरों के आधार पर उनकी तुलनात्मक स्थिति इंगित करते हैं ।

थी । परन्तु, इस तिथि के बाद 174 चेसिस, जिनका ब्योरा निम्न है, विभिन्न फर्मों को वितरित की गईं जो फरवरी और जून 1977 के दौरान निर्मित हो कर वापिस मिलीं, इससे वह उद्देश्य समाप्त हो गया जिसके लिये निर्माण कार्य गैर सरकारी पार्टियों के द्वारा उच्चतर दरों पर कराया गया ।

फर्मों के नाम	मेला के पश्चात् सुपुर्द की गई चेसिस	अवधि जिसमें सुपुर्दगी दी गयी
गुड़गांव फर्म	134	जनवरी से मार्च 1977
फरीदाबाद	6	फरवरी 1977
लखनऊ फर्म	19	फरवरी से अप्रैल 1977
मेरठ की फर्म 'अ'	10	मार्च से मई 1977
मेरठ की फर्म 'ब'	5	जून 1977

(ii) गुड़गांव की फर्म ने 2 जुलाई 1976 तथा 21 जुलाई 1976 के बीच निर्गत किये हुए चेसिसों पर बस ढांचों का नमूना बनाने के पूर्व, बस ढांचों के स्पेशिफिकेशन में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया । निगम के प्रतिनिधि फर्म के प्रबन्ध निदेशक से 24 जुलाई 1976 को मिले और फर्म द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को अनुमोदित किये । इसके परिणामस्वरूप फर्म द्वारा 497 बस ढांचे निर्मित करने में 1.85 लाख रुपये की बचत हुई । बस ढांचों के स्पेशिफिकेशन के परिवर्तन के कारण अन्तर की धनराशि (1.85 लाख रुपये) को वापस करने के लिये फर्म को 14 जुलाई 1977 को सूचित कर अनुरोध किया गया, वापस होने वाला धन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1977) ।

(iii) गुड़गांव की फर्म द्वारा निर्मित बस ढांचों में कुछ छोटी त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई थीं जो निगम द्वारा विभागीय तौर पर, फर्म की जोखिम और लागत पर, 400 रुपये प्रति बस की लागत से ठीक कराई गई थीं । इसके अतिरिक्त फर्म की तरफ से उनके द्वारा निर्मित बसों पर 0.31 लाख रुपये रोड टैक्स और इन्श्योरेन्स चार्जेज के दिये गये थे । त्रुटियों के सम्बन्ध में 1.99 लाख रुपये का और रोड टैक्स इत्यादि के सम्बन्ध में 0.31 लाख रुपये का एक दावा फर्म को अगस्त 1977 में प्रस्तुत किया गया था; भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1977) ।

(iv) निगम ने लेलैन्ड वाइकिंग चेसिस पर 46000 रुपये प्रति चेसिस की दर से, जिसमें 150 रुपये प्रति बस शीघ्र भुगतान के लिये छूट के और 250 रुपये प्रति बस मात्रा छूट घटाने थे, 90 डिस्ट्रिक्ट टाइप बस ढांचे निर्मित करने के लिये जयपुर की फर्म को एक आपूर्ति आदेश दिया (सितम्बर 1976) । अनुबन्ध में और बातों के साथ नक्शे के अनुसार प्रेस्ड स्टील सुपरस्ट्रक्चर (ऊपरी ढांचा), अल्युमीनियम पैनलिंग तथा अल्युमीनियम फ्लोरिंग के साथ निर्माण का प्राविधान था । सुपुर्दगी, चेसिस प्राप्ति से 30 दिन के भीतर हो जानी थी अन्यथा समय के अन्दर न बनाये एवं सुपुर्द किये प्रति बस ढांचे पर 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से निर्णित हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमजेज) लगना था और 30 दिन से अधिक देरी की दशा में महाप्रबन्धक द्वारा कुल आदेशित मात्रा घटाई जा सकती थी तथा फर्म से, चेसिसों की पूरे तौर पर बीमा करके फर्म की लागत पर निगम को लौटाने के लिये मांग की जा सकती थी । फर्म, मात्रा में इस कटौती के एवज में दरों में किसी संशोधन की हकदार नहीं होती थी । इसके अतिरिक्त अनुबन्ध में यह भी प्राविधानित था कि निर्मित होने वाले बस ढांचों की संख्या अनुमानित थी और यदि संख्या में वृद्धि या कमी की जाती तो क्षति पूर्ति के लिये कोई भी दावा नहीं लिया जाता या विचार किया जाता ।

फर्म को कुल 40 चेसिसें दी गई (सितम्बर 1976 में 30 और नवम्बर 1976 में 10)। फर्म से एक अनुरोध प्राप्त होने (दिसम्बर 1976) के बाद भी आगे कोई भी चेसिस नहीं दी गई। किन्तु, निगम ने इस फर्म हेतु निर्दिष्ट 15 चेसिसों को गुड़गांव की फर्म को दे दिया।

फरवरी 1977 में, जयपुर की फर्म ने चेसिसों की आपूर्ति में कमी किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और सूचित किया कि उन्होंने पूर्व आदेश के अनुसार स्ट्रक्चर किटें (ढांचे के बनाने की सामग्री) और खिड़कियों का प्रबन्ध कर लिया था जो किसी दूसरे राज्य परिवहन में उपयोग में नहीं आ सकती थी। फर्म द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि स्वयं को हानि व दिवालियापन से बचने के लिये वह टाटा चेसिसों को लेने और पहले से बने हुए किट को अपनी लागत पर आवश्यक परिवर्तन कर, इस्तेमाल करने को तैयार थी।

फर्म ने, 1976–77 के अनुबन्ध की शर्तों को वित्तीय वर्ष 1977–78 में भी चालू रखने के लिये पुनः आवेदन किया (अप्रैल 1977) ताकि वह किट इत्यादि का इस्तेमाल उन ढांचों में कर सके। निगम ने उत्तर में बताया (मई 1977) कि चूंकि 1977–78 के दौरान अब और चेसिस की खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं था अतः उस वर्ष के लिये अनुबन्ध चालू नहीं रखा जा सकता था। परन्तु अनुरोध के आधार पर निगम ने, फर्म के निर्माणशाला का निरीक्षण कर मामले पर संस्तुति देने के लिये एक समिति नियुक्त की (मई 1977)। समिति ने फर्म की निर्माणशाला का निरीक्षण किया (मई 1977) और रिपोर्ट दिया कि फर्म के पास तीस बस ढांचों के लिये किटें (सुपरस्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट्स) पड़ी थीं। समिति की राय थी कि ये किटें थोड़े संशोधन से ले लैन्ड कामेट चेसिस पर इस्तेमाल की जा सकती थीं और उनको निगम द्वारा क्रय करने के लिये संस्तुति दी।

निगम ने निर्णय लिया (जून 1977) कि बस ढांचों या पुनर्नवीकरण, अनुबन्ध में दी गई मात्रा से अधिक नहीं; फर्म को सौंप दिया जाय परन्तु बातचीत द्वारा संख्या को 39 तक सीमित करने की कोशिश की जानी चाहिये ताकि फर्म द्वारा पहले की बनाई गयी किटें इस्तेमाल की जा सकें। यह भी निश्चय किया गया कि पुनर्नवीकरण की लागत टाटा चेसिस पर बस ढांचे निर्मित करने के लिये निगम द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक नहीं होनी थी चाहे ढांचे ले लैन्ड कामेट चेसिस पर अथवा टाटा चेसिस पर निर्मित किये जायें। निगम ने फर्म को अगस्त 1977 में पुनर्नवीकरण के लिये योग्य 30 पुरानी बसें सुपुर्द किया और पुनर्नवीकृत बसें फर्म से अक्टूबर 1977 में वापस प्राप्त हुईं। किन्तु, पुरानी बसों का स्क्रेप फर्म द्वारा रख लिया गया।

(घ) वातानुकूलित गाड़ियों का निर्माण

वातानुकूलित बसों के परिचालन के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 1974-75 की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 69 में उल्लेख किया गया था। पर्यटकों की आवयकता को पूरा करने के लिये दिल्ली-आगरा मार्ग पर प्रारम्भिक परिचालन हेतु 1962 में मद्रास की एक फर्म से खरीदी गई एक बस (लागत 1.08 लाख रुपये) बाद में (1968–69) डिलक्स बस के रूप में बदल दी गई, क्योंकि पेट्रोल इंजिन से चलने वाली आयातित वातानुकूलित गाड़ी के लिये आवश्यक कल पुर्जे उपलब्ध नहीं थे। आयातित वातानुकूलित संयंत्र से युक्त डीजल इंजिन द्वारा चालित, चार और गाड़ियां केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में वर्ष 1968 से 1970 के दौरान निर्मित की गईं। एक गाड़ी, 1970 में एक बड़े दुर्घटना का शिकार हो गई, तब से वह कार्यशाला में पड़ी है (दिसम्बर 1977)। दूसरी गाड़ी 1972 से कलपुर्जों के अभाव में कार्यशाला में पड़ी है। निगम ने 12 नियमित सेवायें, दिल्ली–मंसूरी (3) दिल्ली–नैनीताल (3), दिल्ली–आगरा (4) और लखनऊ–कानपुर (2), मार्गों पर परिचालन करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1975)। दिल्ली–मसूरी और दिल्ली–नैनीताल मार्गों पर परिचालन के लिये टाटा चेसिस पर वातानुकूलित

गाड़ियां बनाने का निर्णय लिया गया और दिल्ली–आगरा मार्ग पर परिचालन के लिये लेलैन्ड चेसिस पर बसें बनाना प्रस्तावित हुआ। लखनऊ–कानपुर मार्ग एक सेमी-ट्रेलर बस चेसिस पर बने 70 सीटों वाले 'जनता' वातानुकूलित बस से परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव पर 37.04 लाख रुपये का वित्त लगना था। गाड़ियों की आपूर्ति, एवं उक्त गाड़ियों के लिये वातानुकूल संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और चालू (कमीशनिंग) करने हेतु मार्च 1976 में एक निविदा सूचना निर्गत की गई। कोई भी निविदायें प्राप्त नहीं हुई। तदन्तर, इन दोनों मदों के लिये अलग-अलग दोबारा निविदायें आमन्त्रित की गई (सितम्बर 1976)। प्राप्त निविदायें 30 अक्तूबर 1976 को खोली गईं।

वातानुकूलित गाड़ियों के निर्माण के लिये गुड़गांव की एक फर्म (लेलैन्ड चेसिस पर 1.10 लाख रुपये प्रति) और जयपुर की फर्म 'ख' (टाटा चेसिस पर 0.85 लाख रुपये प्रति) द्वारा, बताई गयी (अक्टूबर 1976) दरें अनुमोदित की गईं। वातानुकूल संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापन के लिये केवल तीन निविदायें (दो नई दिल्ली और एक पुणे से) प्राप्त हुई। निगम द्वारा इस उद्देश्य के लिये गठित एक समिति द्वारा नई दिल्ली की दो फर्मों के प्रस्ताव (132600 रुपये और 106400 रुपये) तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं समझे गये तथा पुणे की एक फर्म के प्रस्ताव (1.21 लाख रुपये बड़े आकार और 0.85 लाख रुपये छोटे आकार के संयंत्र के लिये) को सर्वाधिक उपयुक्त बताते हुए संस्तुति की गयी। समिति ने यह भी जोर दिया कि वातानुकूल संयंत्र की सफाई-धुलाई (सर्विसिंग) और निरीक्षण भी इस फर्म से इसके द्वारा उद्धृत 6000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से कराया जाना चाहिये क्योंकि यह मितव्ययी समझा गया। समिति ने, दिल्ली–मंसूरी और दिल्ली–नैनीताल मार्गों पर प्रत्येक के लिये दो वातानुकूलित गाड़ियों के परिचालन के लिये, एक दिल्ली-आगरा मार्ग के लिये और एक आपातकालीन स्थिति (स्टैन्ड बाई) के लिये, केवल 6 संयंत्र खरीदने का प्रस्ताव किया। समिति की संस्तुति के उपरान्त निगम ने निम्न पार्टियों से वातानुकूल संयंत्र खरीदने और गाड़ियों को निर्मित कराने का निर्णय लिया (जनवरी 1977) :

(i) चार वातानुकूल संयंत्र चार टाटा गाड़ियों में लगाने के लिये 0.85 लाख रुपये प्रत्येक की दर पर पुणे की फर्म से, इन गाड़ियों में से दो 0.85 लाख रुपये प्रत्येक की दर से जयपुर की फर्म 'ख' और दो विभागीय तौर पर केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में निर्मित होनी थी।

(ii) दो वातानुकूल संयंत्र लेलैन्ड बाइकिंग गाड़ियों में लगाने के लिये 1.06 लाख रुपये प्रत्येक की दर से नई दिल्ली की एक फर्म से। ये गाड़ियां गुड़गांव की एक फर्म से 1.10 लाख रुपये प्रत्येक की दर से निर्मित होनी थी।

चेसिसें वातानुकूल संयंत्रों के साथ जयपुर और गुडगांव की फर्मों को क्रमशः 23 जनवरी और 25 जनवरी 1977 को क्रमशः पहली फरवरी 1977 और 5 फरवरी 1977 के अनुबन्ध के अनुसार वितरित की गईं। केन्द्रीय कार्यशाला से चेसिसों और संयंत्रों की उनके निर्माणशाला तक ले जाने और वापस लाने के लिये ढुलाई व्यय (1.50 रुपया प्रति किलोमीटर) का भी अनुबन्ध में प्राविधान था। चेसिस दिये जाने के 12 सप्ताह के भीतर (यथा क्रमशः 23 और 25 अप्रैल को) प्रथम नमूने की बस (प्रोटोटाइप बस) और उसके बाद तीस दिन के भीतर अन्य बस की सुपुर्दगी देनी थी। पूर्णरूपेण गाड़ियों की आपूर्ति में देरी के कारण 100 रुपया प्रति दिन प्रति गाड़ी दंड लगना था और 30 दिन से अधिक देरी की दशा में, पार्टी को अपने खर्चे और जोखिम पर चेसिसों को वापस करने को कहा जा सकता था।

जयपुर की फर्म ने एक बस की सुपुर्दगी कर दी थी (29 अगस्त 1977) और दूसरी आपूर्ति कर्ताओं द्वारा वातानुकूल संयंत्र चालू होने की प्रतीक्षा में है। प्रथम बस की देर से आपूर्ति के लिये

कोई भी दण्ड नहीं लगाया गया है । गुड़गांव की फर्म द्वारा समय के भीतर कोई भी गाड़ी वापस नहीं की गई । संयंत्र के साथ चेसिस वापस करने के लिये फर्म को जून 1977 में एक नोटिस निर्गत किया गया (जून 1977) । गुड़गांव की फर्म के अधिकृत लिक्वीडेटर को 2.79 लाख रुपये का भुगतान करने और 0.75 लाख रुपये की एक गारण्टी प्रस्तुत करने के बाद चेसिस और संयंत्र अवमुक्त कराये गये और केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में 6 अक्टूबर 1977 को लाये गये । चेसिस और संयंत्र की कानपुर तक की लाने का ढुलाई-व्यय (2820 रुपये) भी निगम को वहन करना पड़ा । देरी के लिये 0.30 लाख रुपये का दंड नहीं लगाया गया है (नवम्बर 1977) । प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1977) कि गुड़गांव की फर्म से दंड की वसूली का मामला न्यायाधीन था ।

9.04. गाड़ियों का विवेकहीन उपयोग

जनवरी 1977 में होने वाले माघ मेले के निमित्त 1500 बसों के प्राविधान की राज्य सरकार की मांग (मार्च 1976) की पूर्ति के लिये, निगम ने 1100 बसें (नये मार्गों पर वृद्धि/परिचालन के लिये 300 और प्रतिस्थापन के लिये 800) को क्रय करने एवं अपने कार्यशाला में और अधिक पुनर्नवीकरण के द्वारा शेष बसों की मांग को पूरा करने का निर्णय लिया ।

1976–77 के दौरान निगम ने 1137 चेसिसें खरीदीं जिसमें से 342 चेसिसों पर बस ढांचे कार्यशाला में निर्मित हुए और 871 चेसिसें निर्माण हेतु गैर सरकारी पार्टियों को दी गईं । 1976–77 के दौरान कार्यशालाओं में पुनर्नवीकरण (केन्द्रीय कार्यशाला में 602 और एलेन फारेस्ट कार्यशाला में 133) कुल उत्पादन 1077 बस ढांचों का हुआ जो 1975–76 के उत्पादन से 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था ।

अंतिम पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में परिचालन में (आन-रोड) और खाली खड़ी (आफ-रोड) गाड़ियों का वर्षवार विवरण जैसा निगम द्वारा बताया गया (दिसम्बर 1977) नीचे इंगित है:

	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
परिचालन में बसें	3272	3417	3539	3471	4105
खाली खड़ी बसें					
रिजर्व	179	210	260	270	581
मरम्मत/निस्तारण में	1131	1118	1176	1217	1027
योग	4582	4745	4975	4958	5713

1976–77 के दौरान, निगम ने मरम्मत/निस्तारण हेतु परिचालन से 652 पुरानी बसें वापस लिया और 543 बसों का विक्रय/स्थानान्तरण किया । उसी वर्ष में, गैरसरकारी पार्टियों से प्राप्त 940 बसें और विभागीय तौर पर निर्मित 1104 बसें (358 नई और 746 पुनर्नवीकृत), परिचालन के लिये क्षेत्रों में वितरित की गईं । 31 मार्च 1977 को, मरम्मत/निस्तारण के अधीन शेष खाली खड़ी बसें 580 होनी चाहिये थी और परिचालन में होने वाली बसों का अवशेष तथा रिजर्व निगम के कथनानुसार परिचालन में बसों की संख्या यथा केवल 4105 के विरुद्ध 5133 होना चाहिये था । प्रबन्धकों के अनुसार रिजर्व 5 प्रतिशत के बराबर होना चाहिये जो कि राष्ट्रीयकृत राज्य परिवहन उपक्रमों के लिये स्वीकृत मानक था और अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों में प्रचलित था ।

9.05. अन्य रोचक विषय

(क) एक गैरसरकारी वातानुकूलित बस किराये पर लेने पर हानि

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1974–75 (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 69 में आगरा–दिल्ली मार्ग पर विभागीय तौर पर वातानुकूलित सेवायें परिचालित करने के परिणामस्वरूप 1973–74 और 1974–75 के दौरान हुई हानि (1.58 लाख रुपये) और परिणामतः निगम द्वारा इन सेवाओं के बन्द किये जाने के बारे में उल्लेख किया गया था। अक्टूबर 1976 में, विदेशी पर्यटकों की सुविधा हेतु आगरा और दिल्ली के बीच एक वातानुकूलित बस चलाने के लिये निगम ने दिल्ली की एक फर्म से अनुबन्ध किया। चालक की सेवाओं को शामिल करते हुए परिचालन और अनुरक्षण के खर्चे फर्म को वहन करने थे जब कि टिकट निर्गत करने तथा किराया वसूल करने के लिये कन्डक्टर निगम द्वारा दिया जाना था। निगम द्वारा फर्म को 2.80 रुपये प्रति किलोमीटर दिया जाना था। नवम्बर 1976 और जनवरी 1977 की अवधि में वातानुकूलित बस 46260 किलोमीटर चली। निगम ने फर्म को इस अवधि के दौरान 1.30 लाख रुपये दिया जिसके विरुद्ध कमाई 0.48 लाख रुपये हुई, परिणामतः 0.82 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1977) कि यह सेवा राज्य में पर्यटन की उन्नति के कार्यक्रम में मदद करने और निगम की प्रतिष्ठा बनाने के दृष्टिकोण से प्रयोगात्मक रूप में चलाई गयी। यह भी बताया गया कि निगम एक सार्वजनिक उपयोग की संस्था है और उसका उद्देश्य मात्र लाभ कमाना ही नहीं है।

(ख) धन का फंस जाना

निरन्तर विद्युत अवरोध के कारण कार्य में रुकावट से बचने के लिये उप-महाप्रबन्धक (भंडार) के द्वारा, मेरठ क्षेत्र के लिये कानपुर की एक फर्म से 1.15 लाख रुपये की लागत से, एक डीजल जनरेटिंग सेट क्रय (अक्टूबर 1975) किया गया। जनरेटर गृह के अभाव में यह स्थापित नहीं किया गया है (अगस्त 1977)। एक वर्ष के लिये जनरेटिंग सेट के संतोषजनक निष्पादन की आपूर्तिकर्ता की गारण्टी सितम्बर 1976 में समाप्त हो गई। जनरेटर गृह के निर्माण के लिये, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधान कार्यालय को एक प्राक्कलन प्रेषित करना (फरवरी 1976) बताया गया (सितम्बर 1976)।

सितम्बर 1977 में मामला सरकार को और नवम्बर 1976 में निगम को सूचित किया गया; उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1977) ।

वेद प्रकाश

(वेद प्रकाश)

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-II

इलाहाबाद :

प्रतिहस्ताक्षरित

अर्धेन्दु वक्सी

(अर्धेन्दु वक्सी)

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली :

परिशिष्ट

परिशिष्ट

(सन्दर्भ :पैरा 1.02

सरकारी कम्पनियों के कार्यकलापों के वित्तीय परिणामों

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+)/ हानि (−)
1	2	3	4	5	6	7
1	इंडियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	22 फरवरी 1924	1976–77	298.99	(+)3.48
2	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	13 जून 1958	1976–77	684.00	(+) 14.88
3	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1976–77	4264.40	(−)47.59
4	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार-पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1976–77	..	(+)28.42
5	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास–वेयर कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1976–77	57.92	(+)1.96
6	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1977 को समाप्त हुई वर्ष	8.03	(+)0.04
7	उत्तर प्रदेश(पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1977 को समाप्त हुई वर्ष	10.45	(+)0.02
8	उत्तर प्रदेश(रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1977 को समाप्त हुई वर्ष	85.05	(+)2.83
9	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	सूचना	10 सितम्बर 1975	1976–77	13.00	(−)1.67

I

पृष्ठ 1)

का संक्षिप्त विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगाई गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
14.19	14.19	17.67	5.91	292.47	17.67	6.04
48.84	48.84	63.72	9.32	718.32	63.72	8.87
4.33	1.45	(−) 46.14	..	2383.05	(−) 43.26	..
46.51	44.83	73.25	..	1390.33	74.93	5.39
0.43	0.10	2.06	3.56	62.08	2.39	3.85
0.23	..	(−) 0.04	..	15.89	0.19	1.20
1.05	..	0.02	0.19	63.07	1.07	1.70
1.54	1.54	5.14	5.26	84.96	4.37	5.14
..	..	(−) 1.67	..	10.39	(−) 1.67	..

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
10	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1971	1974–75	71.00	(+) 0.85
11	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य तथा रसद्	22 अक्टूबर 1974	1975–76	63.05	(+) 0.61
12	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम एण्ड पावरलूम फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	9 जनवरी 1973	1975–76	145.10	(–) 0.62
13	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1975–76	5.00	..
14	वाराणसी मन्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1976–77	35.52	(+) 0.52
15	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन समाज कल्याण	25 जून 1976	1976–77	7.58	(+) 1.05
16	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1976–77	45.00	(+) 0.08
17	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	1 मई 1975	1975–76	30.69	(+) 2.63
18	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड–कास्ट फाइनैन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	हरिजन समाज कल्याण	25 मार्च 1975	1976–77	..	(+) 5.57
19	उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमैन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1976–77	..	(+) 64.00
20	शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटड	क्षेत्रीय विकास	4 मार्च 1975	1976-77	48.44	(+) 2.39
21	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1976–77	96.48	(–) 5.22

I (जारी)

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
0.48	0.48	1.33	1.87	48.83	1.33	2.72
0.14	0.14	0.75	1.19	82.88	0.75	1 19
2.79	1.23	0.61	0.42	141.69	2.17	1.53
..	..	..	..	4.97	..	..
..	..	0.52	1.46	35.34	0.52	1.47
..	..	1.05	13.85	7.43	1.05	14.13
..	..	0.08	0.18	44.80	0.08	0.18
..	..	2.63	8.57	30.57	2.63	8.60
..	..	5.57	..	40.55	5.57	13.74
34.98	34.98	98.98	..	1812.36	98.98	5.46
..	..	2.39	4.93	47.94	2.39	4.99
1.91	1.91	(−) 3.31	..	76.74	(−) 3.31	..

1	2	3	4	5	6	7
22	गण्डक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15 मार्च 1975	1976–77	46.54	(+)0.28
23	कुमायूं अनुसूचित जन-जाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1976–77	5.13	(+)0.13
24	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सह-कारिता	27 अगस्त 1975	30 जून 1977 को समाप्त हुई वर्ष	7.22	(+)0.55
25	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशु-पालन	7 दिसम्बर 1974	1976–77	50.63	(+)0.92
26	उत्तर प्रदेश स्टेट खनिज विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23 मार्च 1974	1976–77	92.08	(+)0.06
	सहायक कम्पनियां—					
27	छाता सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1977 को समाप्त हुई वर्ष	453.00	..
28	टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	उद्योग	11 जुलाई 1939	1976–77	15.56	(+)0.19
29	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	पर्वतीय विकास	24 नवम्बर 1973	1976–77	11.21	(−)1.50
30	उत्तर प्रदेश ऐब्सकौट प्राइवेट लिमिटेड	उद्योग	28 जून 1972	1974–75	11.55	(−)0.68
31	चांदपुर सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	31 जुलाई 1977 को समाप्त हुई वर्ष	483.00	..
32	नन्दगंज सिहोरी सुगर कम्पनी लिमिटेड	उद्योग	18 अप्रैल 1975	30 जून 1977 को समाप्त हुई वर्ष	360.00	..
33	उत्तर प्रदेश इन्सट्रयूमेंट्स लिमिटेड	उद्योग	1 जनवरी 1975	1976–77	100.41	(−)16.03

टिप्पणी— (i) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालीन ऋण तथा निर्बाध आरक्षित निधि
(ii) लगाई गई पूंजी में (क्रमांक 4, 18 और 19 की कम्पनियों को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी सम्मिलित हैं।
(iii) क्रमांक 4, 18 और 19 की कम्पनियों के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i)
(iv) पुनः वित्त को सम्मिलित करते हुए उधार और निक्षेप के प्रारम्भ और
(iv) क्रमांक 13, 27, 31 और 32 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ

I (समाप्त) (कालम 6 से 10,12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	0.28	0.60	46.27	0.28	0.61
..	..	0.13	2.53	5.13	0.13	2.53
0.21	..	0.55	7.62	41.88	0.76	1.81
..	..	0.92	1.82	48.88	0.92	1.88
..	..	0.06	0.07	87.87	0.06	0.07
..	..	..	..	125.34	..	..
..	..	0.19	1.22	13.74	0.19	1.38
1.20	0.86	(−)0.64	..	12.26	(−)0.30	..
0.50	0.50	(−)0.18	..	10.24	(−)0.18	..
..	..	..	..	91.79	..	..
..	..	..	..	174.84	..	..
5.89	5.76	(−)10.27	..	69.81	(−)10.14	..

सम्मिलित है ।
निबल नियत परिसम्पत्तियां (चालू पूंजीगत निर्माणाधीन-कार्यों को छोड़कर)

प्रदत्त पूंजी, (ii) बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र, (iii) आरक्षित निधियों,
अन्त के शेषों के योग का औसत प्रदर्शित करती है ।
है ।

परिशिष्ट

[सन्दर्भ : पैरा 5.01(क) (iii) और 5.02 अनुभाग V

सांविधिक निगमों के कार्यकलापों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निविष्ट पूंजी	लाभ (+) हानि (−)
1	2	3	4	5	6	7
						(क) उत्तर प्रदेश
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	शक्ति	1 अप्रैल 1959	1976–77	149395.52	(−) 417.86
						(ख) अन्य सांविधिक
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1976–77	..	(+) 93.24
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सह-कारिता	19 मार्च 1958	1975–76	270.97	(+) 53.37
4	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 जून 1972	1972–73	3347.40	(−) 88.72*

टिप्पणी— (1) निविष्ट पूंजी में प्रदत्त पूंजी दीर्घकालिक ऋण तथा निर्बाध आरक्षित निधि

(2) लगाई गई पूंजी में (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल नियत

(3) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में लगाई गई पूंजी (i) प्रदत्त पूंजी, सम्मिलित करते हुए उधार, (v) निक्षेप और (vi) राज्य सरकार द्वारा के शेषों का योग का औसत प्रदर्शित करती हैं।

*पूंजी पर ब्याज (10.42 लाख रुपये) हानि (99.14 लाख रुपये) में सम्मिलित नहीं है।

II

पृष्ठ 57 और 59]

विवरण

लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निविष्ट पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	लगायी गई पूंजी	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	लगाई गई पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
राज्य विद्युत् परिषद्						
3971.84	3971.84	3553.98	2.38	140279.54	3553.98	2.53
निगम						
150.12	140.85	..	..	3107.97	243.36	7.83
..	..	(+)53.37	19.70	250.02	(+)53.37	21.35
136.85	130.00	(+)41.28	1.23	3394.72	(+)48.13	1.42

सम्मिलित हैं।

परिसम्पत्तियां और कार्यशील पूंजी सम्मिलित है।

(ii) बन्धपत्र और ऋण पत्र, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनःवित्त को पेशगी के रूप में दी गई विशेष योजनाओं के लिये निधि के प्रारम्भ और अन्त

पी० एस० यू० पी०--ए० जी० - 10 महालेखाकार-(3397)-10-2-78-1'50 (हिन्दी)।